भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग

नई दिल्ली

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

(2026_आरबीआई_291351_1)

आरएसओ फ्लैट, तीसरी मंज़िल, एनेक्सी बिल्डिंग, मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, नई दिल्ली के नवीनीकरण के लिए ई-निविदा

1. भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है) पात्र और इच्छुक कंपनियों/ एजेंसियों/ फर्मों से **"आरएसओ फ्लैट, तीसरी मंज़िल, एनेक्सी बिल्डिंग, मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, नई दिल्ली के नवीनीकरण"** के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है। तय की गई अनुबंध शर्तों के अनुसार, कार्य पूरा करने का समय कार्य आदेश जारी होने की तारीख के 14वें दिन से **120 दिन** होगा। **निविदा की अनुमानित लागत ₹22.20 लाख** (बाईस लाख बीस हज़ार रुपये मात्र) है, जिसमें सभी लागू जीएसटी/कर तथा ठेकेदार का लाभ और ओवरहेड्स (सीपीओएच) शामिल हैं।

2. यह एक सीमित निविदा है। केवल वे वेंडर आवेदन करने के पात्र हैं जो आरबीआई नई दिल्ली में "भवनों के अंदर और बाहर के सामान्य सिविल, बढ़ईगिरी और प्लंबिंग कार्य" श्रेणी में ₹10 लाख से ₹25 लाख की सीमा में पैनल में शामिल हैं। केवल वही फर्में निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी जो केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) https://etenders.gov.in/eprocure/app पर पंजीकृत हैं। निविदा दस्तावेज़ देखने/डाउनलोड करने के लिए 18 सितंबर 2026 को सायं 06:00 बजे से वेबसाइट https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx और https://etenders.gov.in/eprocure/app पर उपलब्ध होगा।

3. **यह दो भागों वाली ई-निविदा प्रक्रिया है।**

4. विधिवत भरे गए निविदा दस्तावेज़ सीपीपीपी वेबसाइट https://etenders.gov.in/eprocure/app पर अपलोड किए जाएँगे।

5. निविदा की समय-सीमा और अन्य विवरण इस प्रकार हैं:

क	ई-निविदा संख्या	2026_आरबीआई_291351_1
ख	कार्य का नाम	आरएसओ फ्लैट, तीसरी मंज़िल, एनेक्सी बिल्डिंग, मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, नई दिल्ली का नवीनीकरण
ग	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली निविदा केवल सीपीपीपी के ई-टेंडरिंग पोर्टल (https://etenders.gov.in/eprocure/app) के माध्यम से ही की जाएगी
घ	अनुमानित लागत	₹22.20 लाख (बाईस लाख बीस हज़ार रुपये मात्र), सभी लागू जीएसटी/कर और सीपीओएच सहित।
ङ	बयाना राशि (ईएमडी)	शून्य
च	पार्टियों के लिए एनआईटी डाउनलोड हेतु उपलब्ध होने की तारीख	18 सितंबर 2026, सायं 6 बजे से
छ	प्री-बिड बैठक की तारीख और स्थान	28 सितंबर 2026, प्रातः 11:00 बजे स्थान: सम्मेलन कक्ष, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001
ज	ई-निविदा (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली) ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तारीख	10 अक्टूबर 2026 को अपराह्न 02:00 बजे
झ	i. निविदा का भाग I खोलने की तारीख और समय ii. निविदा का भाग II अर्थात मूल्य बोली खोलने की तारीख नोट: निविदा उन बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी जो उपस्थित रहना चाहें	i. 12 अक्टूबर 2026 को अपराह्न 03:00 बजे ii. भाग II (मूल्य बोली) बाद की किसी तारीख को खोला जाएगा और इसकी सूचना योग्य बोलीदाताओं को ईमेल से दी जाएगी।
ञ	बोली की वैधता	निविदा (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तारीख से तीन महीने (90 दिन), जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। बोलीदाता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा/लेंगे।
ट	लेन-देन शुल्क	**शून्य**

6. बैंक सबसे कम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी रखता है।

7. ***नोट:*** *यह सूचना केवल जानकारी के लिए प्रकाशित की जा रही है और यह इस सीमित निविदा में दरें देने का खुला आमंत्रण नहीं है। इस निविदा में भागीदारी केवल आमंत्रण द्वारा है और खरीद करने वाली संस्था के चुने हुए सूचीबद्ध ठेकेदारों तक ही सीमित है। बिना माँगे भेजे गए प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। फिर भी, जो ठेकेदार भविष्य में ऐसी निविदाओं में भाग लेना चाहते हैं, वे तय प्रक्रिया के अनुसार आरबीआई में सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।*

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

नई दिल्ली

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग

6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

भाग - I

आरएसओ फ्लैट, तीसरी मंज़िल, एनेक्सी बिल्डिंग, एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली के नवीनीकरण के लिए ई-निविदा

बोलीदाता का नाम:

पिन कोड सहित डाक पता:

फ़ोन / फ़ैक्स / मोबाइल नंबर:

ईमेल पता:

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना इसकी नकल नहीं की जा सकती, इसे बाँटा नहीं जा सकता, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सिवाय उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए आरबीआई को जवाब दिया जाना है। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, अधिकृत कर्मियों/ एजेंसियों द्वारा भी, यहाँ बताए गए प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए करना सख्त मना है। ऐसा करना कॉपीराइट का उल्लंघन होगा और भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

विषय-सूची

खंड / अनुलग्नक	विवरण	पृष्ठ सं.
	अस्वीकरण	5
	भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली	
खंड I	ई-निविदा की समय-सारणी (एसओटी)	6
खंड II	ई-निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश (सीपीपीपी पर बोली लगाने के निर्देश और सीपीपीपी के संपर्क विवरण)	8
खंड III	**बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियम और निर्देश** (बोली तैयार करने और जमा करने में संभावित बोलीदाताओं की सहायता के लिए निर्देश)	10
खंड III (क)	बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश	10
खंड III (ख)	बोलियों का मूल्यांकन	19
खंड IV	**अनुबंध की सामान्य और विशेष शर्तें** (अनुबंध पर लागू होने वाली शर्तें)	20
खंड IV (क)	कार्य का दायरा	20
खंड IV (ख)	अनुबंध के सामान्य नियम और शर्तें	27
खंड V	**विभिन्न खंडों के अनुलग्नक**	50
अनुलग्नक I	ई-निविदा का फ़ॉर्म	50
अनुलग्नक II	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए मुख्तारनामे (पावर ऑफ़ अटॉर्नी) का प्रारूप	53
अनुलग्नक III	सार्वजनिक संस्था(ओं) द्वारा प्रतिबंधित (डिबार) किए जाने की घोषणा के संबंध में वचन-पत्र	54
अनुलग्नक IV	अनुबंध की शर्तें (आर्टिकल्स ऑफ़ एग्रीमेंट)	56
अनुलग्नक V	भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचन-पत्र / घोषणा / प्रमाण-पत्र का प्रोफ़ॉर्मा	61
अनुलग्नक VI	बैंक गारंटी का प्रोफ़ॉर्मा	63
परिशिष्ट	**सामान्य नियम और शर्तों का परिशिष्ट**	66
	भाग II – वित्तीय / मूल्य बोली	
खंड VI	वित्तीय / मूल्य बोली	78

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है) ने यह दस्तावेज़ इच्छुक बोलीदाताओं को **"आरएसओ फ्लैट, तीसरी मंज़िल, एनेक्सी बिल्डिंग, मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, नई दिल्ली के नवीनीकरण"** के बारे में पृष्ठभूमि जानकारी देने के लिए तैयार किया है। यद्यपि बैंक ने इसमें दी गई जानकारी तैयार करने में पूरी सावधानी बरती है और इसे सही मानता है, फिर भी न तो बैंक और न ही उसके कोई प्राधिकारी या एजेंसियाँ और न ही उनके अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी या इसके साथ दी जाने वाली किसी जानकारी के पूरा या सही होने के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई स्पष्ट या निहित अभ्यावेदन करते हैं।

यह जानकारी पूरी होने का दावा नहीं करती। इच्छुक बोलीदाताओं को स्वयं पूछताछ करनी होगी और उन्हें लिखित में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे "आरएसओ फ्लैट, तीसरी मंज़िल, एनेक्सी बिल्डिंग, मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, नई दिल्ली के नवीनीकरण" की निविदा जमा करने में केवल बैंक द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर दी गई है कि यह बैंक या उसके किसी प्राधिकारी या एजेंसी या उनके किसी अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार पर बाध्यकारी नहीं है। बैंक को यह अधिकार है कि वह कार्य को आगे न बढ़ाए, कार्य के स्वरूप में बदलाव करे, इस दस्तावेज़ में दी गई समय-सारणी / अनुसूची बदले या लागू की जाने वाली प्रक्रिया में बदलाव करे।

बैंक को निविदा जमा करने वाले किसी भी बोलीदाता के साथ इस विषय पर आगे चर्चा करने से मना करने का अधिकार भी है। आरएसओ फ्लैट, तीसरी मंज़िल, एनेक्सी बिल्डिंग, एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली के नवीनीकरण की यह निविदा जमा करने वाले व्यक्ति(यों) या बोलीदाता(ओं) को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। दस्तावेज़ के हिंदी और अंग्रेज़ी पाठ के अर्थ में अंतर होने पर अंग्रेज़ी पाठ का अर्थ ही मान्य होगा।

खंड I: निविदा की समय-सारणी (एसओटी)

ई-निविदा की समय-सारणी (एसओटी) इस प्रकार है:

क्र. सं.	मद	विवरण
1.	ई-निविदा संख्या	2026_आरबीआई_291351_1
2.	निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी	क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक संपदा विभाग, नई दिल्ली दूरभाष सं.: 011-23353075 ईमेल आईडी: gpcnewdelhi@rbi.org.in
3.	कार्य का नाम	**"आरएसओ फ्लैट, तीसरी मंज़िल, एनेक्सी बिल्डिंग, मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, नई दिल्ली के नवीनीकरण"** के लिए ई-निविदा
4.	स्थान	भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली
5.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली निविदा केवल सीपीपीपी के ई-टेंडरिंग पोर्टल https://etenders.gov.in/eprocure/app के माध्यम से ही की जाएगी। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी इच्छुक बोलीदाताओं को ऊपर बताई गई वेबसाइट के माध्यम से सीपीपीपी पर पंजीकरण करना होगा।
6.	निविदा की अनुमानित लागत	**₹22.20 लाख,** सभी लागू जीएसटी/कर और सीपीओएच सहित।
7.	पार्टियों के लिए एनआईटी डाउनलोड हेतु उपलब्ध होने की तारीख	18 सितंबर 2026, सायं 6:00 बजे से
8.	प्री-बिड बैठक की तारीख और स्थान	28 सितंबर 2026, प्रातः 11:00 बजे स्थान: सम्मेलन कक्ष, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001
9.	बयाना राशि (ईएमडी) (ईएमडी)	शून्य

10.	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तारीख और समय (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली)	10 अक्टूबर 2026 को अपराह्न 02:00 बजे
11.	भाग । अर्थात तकनीकी-वाणिज्यिक बोली खोलने की तारीख और समय	12 अक्टूबर 2026 को अपराह्न 03:00 बजे (उन बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो उपस्थित रहना चाहें)
12.	भाग ॥ अर्थात मूल्य बोली खोलने की तारीख	भाग ॥ (मूल्य बोली) बाद की किसी तारीख को खोला जाएगा और इसकी सूचना योग्य बोलीदाताओं को ईमेल से दी जाएगी। (उन बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो उपस्थित रहना चाहें)
13.	बोली की वैधता	निविदा का भाग । (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तारीख से तीन महीने (90 दिन), जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। बोलीदाता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा/लेंगे।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए सभी निर्देश/शर्तें पढ़ और समझ ली हैं और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

तारीख: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर सहित)

खंड II

ई-निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश

1. यह आरबीआई का एक ई-प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) https://etenders.gov.in/eprocure/app है।

2. बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपंजीकृत बोलीदाताओं को पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। चरण-दर-चरण यूज़र मैनुअल और गाइड पोर्टल के होमपेज पर उपलब्ध हैं; बोलीदाता नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में हाइलाइट किए गए हिस्से की मदद से इन्हें ढूँढ सकते हैं।

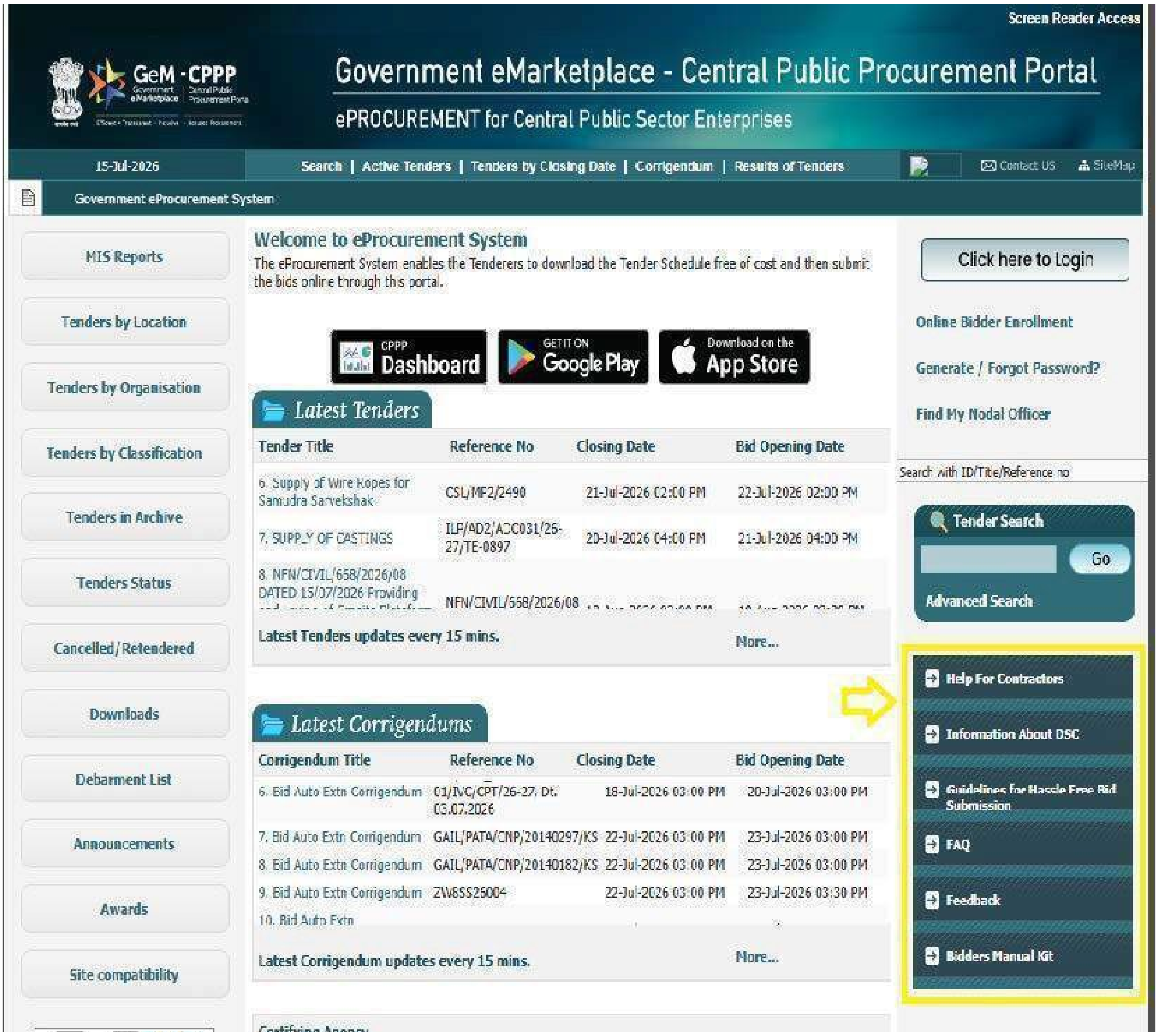

3. ई-निविदा की प्रक्रिया: बोलीदाता मैनुअल किट होमपेज पर उपलब्ध है।

4. नए बोलीदाता का पंजीकरण: इस प्रक्रिया में सीपीपी पोर्टल पर वेंडर का पंजीकरण होता है, जो निःशुल्क है।

https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page।

5. किसी भी तकनीकी प्रश्न के लिए कृपया निम्नलिखित 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें:

0120-4001 002

0120-4001 005

0120- 4493395

अंतरराष्ट्रीय बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे देश कोड के रूप में +91 लगाएँ

6. ईमेल सहायता:

प्रकाशित निविदाओं से संबंधित किसी भी समस्या या स्पष्टीकरण के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी से संपर्क करें

तकनीकी - support-eproc@nic.in

नीति संबंधी - cppp-doe@nic.in

7. **आरबीआई, नई दिल्ली में संपर्क व्यक्ति**

i. श्री सुनील निगम

   सहायक महाप्रबंधक

   संपर्क नंबर: 011-23353075

   ईमेल: gpcnewdelhi@rbi.org.in; estatenewdelhi@rbi.org.in

ii. श्री सुरेश सिंह, प्रबंधक

   संपर्क नंबर: 011-23353075, 9796699614.

   ईमेल: gpcnewdelhi@rbi.org.in; estatenewdelhi@rbi.org.in

<u>खंड III : बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियम और निर्देश</u>

खंड III (क) - बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश

1.	**दो भाग प्रणाली में बोलियाँ**
	i. निविदा दो भागों में है, अर्थात भाग I में विधिवत भरी गई निविदा का भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) होगा और भाग II में विधिवत भरी गई मूल्य बोली होगी। बोलीदाताओं को अपनी बोलियाँ वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का उपयोग करके सीपीपीपी https://etenders.gov.in/eprocure/app पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करनी होंगी। ii. ऊपर "ई-निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश" (खंड II) के अंतर्गत दिए गए निर्देश बोलीदाताओं को सीपीपीपी पर पंजीकरण करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियाँ तैयार करने और सीपीपीपी पर ऑनलाइन बोलियाँ जमा करने में सहायता के लिए हैं। ऊपर बताए अनुसार विधिवत भरी गई निविदाएँ केवल सीपीपीपी पर ही, निविदा प्राप्ति की तारीख और समय (जैसा एनआईटी / ई-निविदा की अनुसूची में बताया गया है) से पहले जमा की जा सकती हैं।
2.	**परिभाषाएँ**
	<u>खंड IV (ख) के क्लॉज़ 1</u> में परिभाषाएँ दी गई हैं, जो पूरे निविदा दस्तावेज़ पर लागू होंगी।
3.	**स्पष्टीकरण और प्री-बिड बैठक**
	i. जिन बोलीदाताओं को इस दस्तावेज़ के बारे में कोई स्पष्टीकरण चाहिए, वे इस दस्तावेज़ में दिए गए ईमेल पते पर बैंक से लिखित में संपर्क करें या प्री-बिड बैठक में अपने प्रश्न उठाएँ। प्रश्न प्री-बिड बैठक शुरू होने से पहले भेज दिए जाने चाहिए। ii. बोलीदाताओं के नामित प्रतिनिधियों को एसओटी में बताई गई तारीख पर प्री-बिड बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस समय उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्री-बिड बैठक में उपस्थित न होने के कारण किसी बोलीदाता को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन प्री-बिड बैठक के बाद निविदा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी विचलन/ शर्त के साथ प्राप्त निविदा अस्वीकार की जा सकती है।
4.	**साइट का दौरा**
	बोलीदाता को इस दस्तावेज़ <u>{खंड-IV (क)}</u> में बताए अनुसार **"आरएसओ फ्लैट, तीसरी मंज़िल, एनेक्सी बिल्डिंग, मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, नई दिल्ली के नवीनीकरण"** का कार्य करना है और उसे सलाह दी जाती है कि वह साइट का दौरा करके वहाँ की स्थिति से स्वयं परिचित हो जाए। दौरे का खर्च बोलीदाता स्वयं वहन करेगा। यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने निविदा दस्तावेज़ जमा करने से पहले परिसर का दौरा कर लिया है और वह कामकाज तथा साइट

	की स्थितियों से अवगत है।	
5.	**निविदा दस्तावेज़ में संशोधन**	
	(i) निविदा/बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, बैंक किसी भी कारण से, चाहे अपनी पहल पर या किसी संभावित बोलीदाता द्वारा माँगे गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के उत्तर में, संशोधन के द्वारा निविदा दस्तावेज़ के किसी भी भाग में बदलाव कर सकता है और उसे आरबीआई की वेबसाइट https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx पर अपलोड किया जाएगा। परिशिष्ट/ शुद्धिपत्र के रूप में ऐसा संशोधन सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा। जारी किए गए परिशिष्ट, यदि कोई हों, अनुबंध दस्तावेज़ का हिस्सा होंगे। (ii) ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए संभावित बोलीदाताओं को अपनी बोलियाँ तैयार करने के लिए उचित समय देने हेतु, बैंक अपने विवेक से बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।	
6.	**प्रतिबंध (डिबारमेंट)**	
	निम्नलिखित आधारों पर किसी बोलीदाता को बोली लगाने से प्रतिबंधित/अयोग्य किया जा सकता है:	
	(1)	यदि यह पाया जाता है कि बोलीदाता ने सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन करते हुए निम्नलिखित कार्य या चूक की है: (i) क. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ पाने या खरीद प्रक्रिया को किसी अन्य तरह से प्रभावित करने के बदले में, सीधे या परोक्ष रूप से, रिश्वत, इनाम, उपहार या कोई भौतिक लाभ देने की पेशकश करना, माँगना या स्वीकार करना। ख. कोई भी ऐसी चूक या गलत बयानी जिससे गुमराह हो सकता हो या गुमराह करने का प्रयास किया जाए, ताकि वित्तीय या अन्य लाभ लिया जा सके या किसी दायित्व से बचा जा सके।
		ग. कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण जिससे खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति पर बुरा असर पड़ सकता हो। घ. खरीद करने वाली संस्था द्वारा बोलीदाता को दी गई जानकारी का खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ पाने के इरादे से या निजी लाभ के लिए गलत उपयोग। ङ. बोलीदाता और खरीद करने वाली संस्था के किसी भी अधिकारी के बीच निविदा या अनुबंध के निष्पादन की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी वित्तीय या व्यावसायिक लेन-देन, जो खरीद करने वाली संस्था के निर्णय को सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित कर सकता हो।

		च. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए, सीधे या परोक्ष रूप से, किसी भी पक्ष या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई दबाव या धमकी। छ. खरीद प्रक्रिया की किसी जाँच या ऑडिट में बाधा डालना। ज. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए या अनुबंध प्राप्त करने के लिए झूठी घोषणा करना या झूठी जानकारी देना। (ii) हितों के टकराव की जानकारी नहीं देना। (iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश की किसी सार्वजनिक संस्था / इकाई के साथ उप-क्लॉज़ (i) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी पिछले उल्लंघन की जानकारी नहीं देना, या किसी सार्वजनिक खरीद संस्था / इकाई द्वारा प्रतिबंधित किए जाने की जानकारी नहीं देना।
	(2)	सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के अलावा बोलीदाता के ऐसे किसी भी कार्य या चूक के लिए, जिसके लिए बैंक की राय में प्रतिबंध लगाना उचित हो, जैसे घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति न करना, कार्य को बीच में छोड़ देना, कार्य की घटिया गुणवत्ता, निविदा की शर्तों का पालन न करना आदि।
	(3)	यदि बोलीदाता को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो— (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या (ख) भारतीय दंड संहिता/ भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत, किसी सार्वजनिक खरीद अनुबंध के निष्पादन के दौरान जान-माल की हानि पहुँचाने या जन स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के लिए।
	बोलीदाता को <u>अनुलग्नक III</u> में दिए गए प्रारूप में एक वचन-पत्र जमा करना होगा।	
7.	**बोली की तैयारी और बोली की लागत**	
	i. बोलीदाता को निविदा भरने और अनुबंध करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी ज़िम्मेदारी पर और अपने खर्च पर स्वयं प्राप्त करनी होगी। उसे कार्य की साइट का निरीक्षण करना होगा और सभी स्थानीय स्थितियों, कार्य स्थल तक पहुँचने के साधनों, कार्य की प्रकृति और उससे जुड़ी सभी बातों से स्वयं परिचित होना होगा। ii. यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने श्रम सहित कार्य और साइट की स्थितियों, बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियम और निर्देश, अनुबंध की सामान्य और विशेष शर्तों की ध्यान से जाँच कर ली	

	है और निविदा में दी गई दरों तक पहुँचने के लिए अपनी जाँच-पड़ताल कर ली है। इस संबंध में उसे बैंक के पास उपलब्ध आवश्यक जानकारी दी जाएगी, लेकिन उसके पर्याप्त और सही होने की कोई गारंटी नहीं होगी। iii. बोलियाँ और उनके साथ लगे सभी दस्तावेज़ अंग्रेज़ी या हिंदी में होंगे। दस्तावेज़ों के अंग्रेज़ी और हिंदी पाठ में किसी अंतर या अस्पष्टता की स्थिति में, अर्थ निकालने के मामले में अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।
8.	**प्रयोग किया जाने वाला प्रारूप**
	बोलीदाता को केवल बैंक द्वारा जारी निविदा फ़ॉर्म/प्रारूप भरने, उन पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सीपीपीपी https://etenders.gov.in/eprocure/app पर अपलोड करना होगा, जिसमें वे दरें लिखी हों जिन पर वह कार्य करने को तैयार है। जिन निविदाओं में निविदा आमंत्रण के उक्त फ़ॉर्म में बताए गए कार्य में या कार्य पूरा करने के लिए दिए गए समय में कोई बदलाव प्रस्तावित हो, या जिनमें सशर्त छूट सहित किसी भी प्रकार की अन्य शर्तें हों, उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। सभी आवश्यक जानकारी, दस्तावेज़ आदि भी केवल सीपीपीपी पर ही अपलोड किए जाएँगे।
9.	**आइटम रेट निविदा**
	बोलीदाता ध्यान दें कि जब तक अलग से न बताया गया हो, निविदा पूरी तरह आइटम दरों के आधार पर है, और उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया जाता है कि प्रत्येक आइटम की दरें सही, व्यावहारिक और अपने-आप में पूरी होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में दी गई मात्राएँ कार्य की कुल सीमा का लगभग अनुमान देती हैं, लेकिन इनमें किसी भी हद तक बदलाव हो सकता है और इन्हें हटाया भी जा सकता है, जिससे अनुबंध का कुल मूल्य बदल सकता है। मात्रा की अनुसूची में प्रत्येक आइटम की बताई गई मात्रा में प्लस (+) या माइनस (-) 25% तक के बदलाव के लिए दी गई दरें स्थिर रहेंगी।
10.	**दरें भरना**
	i. प्रत्येक आइटम की राशि निकाली जानी चाहिए और आवश्यक योग निर्धारित कॉलम में दिए जाने चाहिए। ii. यदि किसी आइटम के लिए कोई दर नहीं दी गई है और अंकों में दर तथा राशि का स्थान खाली छोड़ा गया है, तो निविदा अधूरी मानी जाएगी और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। iii. निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी बदलाव की सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
11.	**बोली पर हस्ताक्षर, मुख्तारनामा (पावर ऑफ़ अटॉर्नी)**
	i. बोलीदाता निविदा के भाग-I के साथ, बोली दस्तावेज़ों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में, उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरी किया हुआ मुख्तारनामा

	ऑनलाइन जमा करेंगे, जिसमें उस व्यक्ति को बोली दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने, उनमें सुधार/ बदलाव करने, बैंक से बातचीत करने और संपर्क व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो। मुख्तारनामे का प्रोफ़ॉर्मा अनुलग्नक II के अनुसार होगा। ii. निविदा जमा करने वाले अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्येक निविदा दस्तावेज़ पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जो इस बात का प्रमाण होगा कि उसने पात्रता मानदंड सहित बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियमों और निर्देशों, अनुबंध की सामान्य और विशेष शर्तों तथा दिए गए अन्य नियमों और शर्तों आदि को जान-समझ लिया है।
12.	**बोलियों में बदलाव / प्रतिस्थापन / वापसी**
	एनआईटी/एसओटी में बताई गई निविदा जमा करने की अंतिम तारीख और समय के बाद जमा की गई बोली में कोई बदलाव, प्रतिस्थापन या उसकी वापसी की अनुमति नहीं होगी।
13.	**बयाना राशि (ईएमडी)**
	शून्य
14.	**बोली जमा करने की अंतिम तारीख** बोलियाँ सीपीपीपी https://etenders.gov.in/eprocure/app पर एनआईटी / एसओटी में बताए गए समय और तारीख को या उससे पहले ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए। बैंक असाधारण परिस्थितियों में और अपने विवेक से बोली जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा सकता है।
15.	**देर से प्राप्त बोलियाँ**
	एनआईटी / एसओटी में बोलियाँ जमा करने के लिए बताई गई अंतिम तारीख और समय के बाद या बढ़ाई गई अंतिम तारीख, यदि कोई हो, के बाद कोई बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
16.	**बोली की वैधता**
	निविदा (भाग I) खोलने की तारीख से तीन महीने (90 दिन) की अवधि तक निविदा बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। बोलीदाता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा/लेंगे।
17.	**निविदा की स्वीकृति और कार्य का आवंटन**
	(i). बैंक से निविदा स्वीकार होने की सूचना मिलने पर सफल बोलीदाता अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और कार्य आदेश जारी होने की तारीख से चौदह दिनों के भीतर सफल बोलीदाता निम्नलिखित से मिलकर बने अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा: - ख. दिल्ली/ नई दिल्ली में लागू स्टाम्प कानूनों के अनुसार उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुलग्नक IV में दिए गए प्रारूप में अनुबंध की शर्तें (द्विभाषी रूप में हस्ताक्षर की जाएँ)। स्टाम्प पेपर की लागत ठेकेदार वहन करेगा। अनुबंध की एक प्रमाणित प्रति बैंक द्वारा

	ठेकेदार को सौंपी जाएगी। ग. निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा आमंत्रित करते समय जारी किए गए निविदा के सभी दस्तावेज़, जारी शुद्धिपत्र (यदि कोई हो), प्री-बिड बैठक का कार्यवृत्त और उसकी स्वीकृति, तथा इससे संबंधित अन्य सभी पत्राचार। (ii) जब तक सफल बोलीदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर देता, तब तक किए गए कार्य का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। अतः निर्धारित प्रारूप में करार (द्विभाषी रूप में हस्ताक्षर किया जाना है) पर हस्ताक्षर होने से पहले भुगतान के लिए पहला बिल स्वीकार नहीं किया जाएगा। (iii) इसके अलावा, बैंक द्वारा किसी निविदा की लिखित स्वीकृति बैंक और सफल बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध मानी जाएगी, चाहे बाद में औपचारिक करार किया जाए या नहीं। (iv) सफल बोलीदाता कार्य की सूचना मिलने के पाँच दिनों के भीतर या बैंक द्वारा तय की गई बाद की तारीख पर पूरा कार्य अपने हाथ में ले लेगा।
18.	**कार्य पूरा करने का समय**
	कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय कार्य आदेश जारी होने की तारीख के 14वें दिन से 120 दिन है। यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं करता है, तो उसे अनुबंध राशि के 0.25% प्रति सप्ताह की दर से **परिनिर्धारित नुकसानी (लिक्विडेटेड डैमेज)** देनी होगी, जो पूरे कार्य के लिए अनुबंध राशि के अधिकतम 10% तक होगी। ठेकेदार कार्य का विस्तृत कार्यक्रम (बार चार्ट में गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए) तैयार करेगा, जिसे बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
19.	**कर / शुल्क / लेवी**
	i. इस अनुबंध पर लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), क्रय कर, टर्नओवर कर, उत्पाद शुल्क या कोई अन्य कर ठेकेदार द्वारा देय होगा और आरबीआई इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। ii. मूल्य बोली में दी गई राशि में वस्तु एवं सेवा कर, शुल्क, लेवी और रॉयल्टी या केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया कोई अन्य कर सहित सभी कर शामिल होंगे।
20.	**किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार**
	i. ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, बैंक को अनुबंध का आवंटन करने से पहले किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, और इसके लिए प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं के प्रति बैंक की कोई देनदारी नहीं होगी। बैंक किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताएगा। ii.जो निविदाएँ केंद्रीय न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम और / या किसी अन्य श्रम कानून के अनुरूप

	नहीं होंगी, उन्हें अमान्य माना जाएगा।
21.	**भूमि सीमा संबंधी क्लॉज़ -**
	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, सार्वजनिक खरीद प्रभाग द्वारा 23 जुलाई 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) फ़ा.सं. 6/18/2019-पीपीडी द्वारा जोड़े गए जीएफआर 2017 के नियम 144(xi), उसके अनुसरण में जारी सार्वजनिक खरीद आदेशों और उनके बाद के संशोधनों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में बोलीदाता को **अनुलग्नक – V** में दिए गए प्रारूप के अनुसार, अपने लेटरहेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहर लगाकर और हस्ताक्षर करके वचन-पत्र/ घोषणा/ प्रमाण-पत्र की एक प्रति जमा करनी होगी। यदि बोलीदाता द्वारा जमा किया गया वचन-पत्र/ घोषणा/ प्रमाण-पत्र झूठा पाया जाता है, तो कार्य आदेश तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार बयाना राशि (ईएमडी)/ प्रतिभूति जमा राशि ज़ब्त करने सहित कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। बैंक उस बोलीदाता को भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी कर सकता है।
22.	**प्रतिधारण राशि (रिटेंशन मनी) / प्रतिभूति जमा राशि**
	i. ठेकेदार को किए जाने वाले प्रत्येक भुगतान में से बैंक द्वारा किए गए कार्य के मूल्य का पाँच प्रतिशत (5%) प्रतिधारण राशि के रूप में काटा जाएगा। ii. प्रतिधारण राशि की वापसी: दोष दायित्व अवधि (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) पूरी होने पर और उस अवधि के दौरान बताए गए दोषों को ठीक करने के बाद। iii. बैंक द्वारा रोकी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
23.	**कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)**
	सफल बोलीदाता को कार्य आवंटन के 14 दिनों के भीतर अनुलग्नक VI में दिए गए प्रोफ़ॉर्मा में किसी अनुसूचित बैंक से अनुबंध राशि के पाँच प्रतिशत के बराबर राशि की कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी), या पीबीजी के बराबर राशि ऑनलाइन माध्यम (एनईएफटी / आरटीजीएस) से जमा करनी होगी। पीबीजी के बारे में अधिक विवरण खंड IV(ख) के क्लॉज़ 2 में दिया गया है।
24.	**बिल का भुगतान**
	कार्य के लगभग पूरा हो जाने (वर्चुअल कम्प्लीशन) पर बिल प्रस्तुत किया जा सकता है।
25.	**स्पष्टीकरण और प्री-बिड बैठक**
	i. जिन बोलीदाताओं को इस दस्तावेज़ के बारे में कोई स्पष्टीकरण चाहिए, वे इस दस्तावेज़ में दिए गए ईमेल पते पर बैंक से लिखित में संपर्क करें या प्री-बिड बैठक में अपने प्रश्न उठाएँ। प्रश्न प्री-बिड बैठक शुरू होने से पहले भेज दिए जाने चाहिए।

	ii. बोलीदाताओं के नामित प्रतिनिधियों को एसओटी में बताई गई तारीख पर प्री-बिड बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस समय उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। iii. प्री-बिड बैठक में उपस्थित न होने के कारण किसी बोलीदाता को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन प्री-बिड बैठक के बाद निविदा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। iv. प्री-बिड बैठक का कार्यवृत्त केवल आरबीआई की वेबसाइट और सीपीपीपी पर प्रकाशित किया जाएगा और यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा। किसी भी विचलन/ शर्त के साथ प्राप्त निविदा अस्वीकार की जा सकती है।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए सभी निर्देश/शर्तें पढ़ और समझ ली हैं और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

तारीख: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर सहित)

खंड III (ख) – बोलियों का मूल्यांकन

(i) सबसे कम मूल्य (एल1) वाले बोलीदाता के नाम पर अनुबंध के आवंटन के लिए विचार किया जाएगा।

(ii) यदि दो या अधिक बोलीदाताओं की सबसे कम निविदा राशि एक समान है, तो ऐसे सबसे कम बोलीदाताओं से कहा जा सकता है कि वे पहले दी गई निविदा राशि पर छूट देते हुए संशोधित प्रस्ताव सीलबंद लिफ़ाफ़े में जमा करें। यदि ऐसा कोई सबसे कम बोलीदाता अपनी बोली कम नहीं करता है, तो उसकी मूल बोली आगे की कार्रवाई के लिए वैध रहेगी। सबसे कम निविदा का निर्णय संशोधित प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा। यदि संशोधित प्रस्तावों में दो या अधिक बोलीदाताओं की संशोधित निविदा राशि फिर से बराबर पाई जाती है, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में सबसे अधिक वार्षिक टर्नओवर वाली फर्म को अनुबंध के आवंटन के लिए चुना जाएगा।

(iii) फिर भी, बैंक सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसे किसी भी निविदा को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार है।

(iv) बैंक को बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी है।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए सभी निर्देश/शर्तें पढ़ और समझ ली हैं और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

तारीख: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर सहित)

खंड IV (क) - कार्य का दायरा

इस निविदा का मुख्य उद्देश्य **"आरएसओ फ्लैट, तीसरी मंज़िल, एनेक्सी बिल्डिंग, मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, नई दिल्ली के नवीनीकरण"** से संबंधित व्यापक सिविल, आर्किटेक्चरल और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (पीएचई) कार्य करना है। इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा जगह के ढाँचे को व्यवस्थित रूप से बेहतर बनाना, अंदरूनी फ़िनिश और प्लंबिंग नेटवर्क को आधुनिक बनाना और आवश्यक बदलाव करना है। अंतिम लक्ष्य एक अत्यंत उपयोगी, टिकाऊ और आधुनिक वातावरण तैयार करना है जो बैंक की आवश्यकताओं और कार्य-मानकों का पूरी तरह पालन करे। इसलिए, वांछित उद्देश्य को पूरा करने के लिए सिविल नवीनीकरण कार्य में निम्नलिखित मुख्य कार्य शामिल किए गए हैं:

- फ़्लोरिंग, वॉशरूम, किचन, फ़ॉल्स सीलिंग, खिड़की के शटर और फ़्रेम आदि को तोड़ना (डिस्मेंटलिंग), जिसमें मलबे को हटाना और उसका निपटान करना तथा दोबारा उपयोग योग्य वस्तुओं के लिए छूट (रिबेट) शामिल है।
- वॉशरूम, खिड़कियों, बरामदे आदि का क्षेत्र बढ़ाने के लिए ईंट का काम (ब्रिकवर्क), जिसमें दीवार और छत का प्लास्टर शामिल है।
- मौजूदा क्षतिग्रस्त छत और दीवारों की मरम्मत।
- पीसीसी और आरसीसी कार्य (रीइन्फ़ोर्समेंट सहित)।
- गीले क्षेत्रों में वॉटरप्रूफ़िंग का कार्य।
- वॉशरूम, बेडरूम, ड्रॉइंग रूम, किचन आदि के फ़र्श पर टाइल लगाने का कार्य।
- वॉशरूम, किचन आदि की दीवारों पर टाइल क्लैडिंग।
- किचन काउंटर और खिड़की के जैम्ब/सिल पर ग्रेनाइट का कार्य।
- बरामदे में ग्रिड फ़ॉल्स सीलिंग।
- पूरे क्षेत्र की मरम्मत और पुट्टी तथा एक्रेलिक इमल्शन पेंट से दोबारा पेंटिंग।
- खिड़की की ग्रिल आदि के लिए माइल्ड स्टील का कार्य और रूफ़िंग शीट लगाना।
- सैनिटरी प्लंबिंग फ़िटिंग्स और फ़िक्सचर लगाना।
- हार्डवेयर फ़िटिंग्स और फ़िक्सचर लगाना।
- उपयुक्त दराज़ों, कैबिनेट, एसएस बास्केट और सहायक हार्डवेयर के साथ अंडरकाउंटर और ओवरहेड मॉड्यूलर किचन काउंटर लगाना।

- यूपीवीसी और एल्युमिनियम की खिड़कियाँ लगाना।

किए जाने वाले कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है -

1.0 डिस्मेंटलिंग और साइट की सफ़ाई

सुरक्षा और सावधानियाँ: कार्य शुरू करने से पहले कार्य क्षेत्र को अलग कर दें। सभी चालू यूटिलिटी कनेक्शन (पानी, बिजली, एचवीएसी) काट दें या बंद कर दें। धूल और शोर को फैलने से रोकने के लिए अस्थायी स्क्रीन या तिरपाल लगाएँ।

कार्य निष्पादन: मौजूदा चिनाई (मेसनरी), कंक्रीट, प्लास्टर और फ़्लोरिंग को उपयुक्त हाथ के औज़ारों या मशीनों से व्यवस्थित तरीके से तोड़ें और यह सुनिश्चित करें कि नीचे के स्ट्रक्चरल स्लैब और आसपास के बचाए जाने वाले ढाँचों पर कोई चोट या दबाव न पड़े।

छँटाई और ढेर लगाना: निकली हुई सभी सामग्री को उपयोग योग्य और अनुपयोगी श्रेणियों में अलग करें। उपयोग योग्य सामग्री को तय स्थानों पर सावधानी से ढेर करें। सामग्री, मलबे और चल रहे कार्यों का ढेर इस तरह रखा जाए कि किसी भी समय दरवाज़े, गलियारे या रास्ते बंद न हों।

निपटान: अनुपयोगी मलबे को मशीनी परिवहन से शुरुआती 50 मीटर लीड से आगे अनुमोदित नगरपालिका डंपिंग स्थलों तक ले जाकर निपटाएँ और स्थानीय नगरपालिका के पर्यावरण नियमों का पूरी तरह पालन करें।

2.0 सिविल और स्ट्रक्चरल कार्य

ईंट की चिनाई (ब्रिक मेसनरी): उपयोग से पहले पकी हुई मिट्टी की ईंटों को कम से कम 24 घंटे (या हवा के बुलबुले बंद होने तक) साफ़ पानी में डुबोकर रखें। 1:4 सीमेंट मोर्टार को मैकेनिकल बैच मिक्सर से मिलाएँ। जोड़ों की मोटाई 10 मिमी से अधिक न हो। आधी ईंट की दीवारों में हर चौथे रद्दे (कोर्स) में 8 मिमी व्यास की दो Fe-500D टीएमटी बार लगाएँ। चिनाई की कम से कम 7 दिनों तक लगातार तराई (क्योरिंग) करें।

कंक्रीट कार्य: फ़ॉर्मवर्क मज़बूत, ठीक से टेक लगा हुआ और लीक-प्रूफ़ (स्लरी टाइट) होना चाहिए। कंक्रीट मिश्रण का अनुपात (आरसीसी के लिए 1:1.5:3, पीसीसी के लिए 1:3:6) वज़न के आधार पर (वेट-बैचिंग) तय करें। मिलाने के 30 मिनट के भीतर कंक्रीट डालें, सेग्रिगेशन और हनीकॉम्बिंग रोकने के लिए मैकेनिकल नीडल वाइब्रेटर से अच्छी तरह कॉम्पैक्ट करें, और कम से कम 10 से 14 दिनों तक गीली बोरियों या पानी भरकर (पॉन्डिंग) तराई करें।

वॉटरप्रूफ़िंग: धँसी हुई (सनकन) सतहों को खुले कंक्रीट तक तैयार करें। दो-घटक वाली पॉलिमर कोटिंग लगाएँ। इंटीग्रल वॉटरप्रूफ़िंग कंपाउंड के साथ ब्रिक बैट कोबा करें और ऊपरी सतह को बिना

जोड़ वाली वॉटरप्रूफ़ आईपीएस परत से फ़िनिश करें। आगे की फ़्लोरिंग से पहले लीक-प्रूफ़ होने की पुष्टि के लिए 48 घंटे तक वॉटर पॉन्डिंग टेस्ट करें।

प्लास्टर: मैकेनिकल पकड़ (की) के लिए चिनाई के जोड़ों को 15 मिमी गहराई तक खुरचें और कंक्रीट की सतहों को हरी (ताज़ा) अवस्था में ही खुरदुरा करें। 12-15 मिमी मोटा 1:4 सीमेंट मोर्टार लगाएँ। लकड़ी के फ़्लोट और स्टील की करनी से चिकना फ़िनिश करें। कम से कम 7 दिनों तक तराई करें।

3.0 मरम्मत और फ़िनिशिंग कार्य

सतह की तैयारी: ढीला पेंट, सीलन के सफ़ेद धब्बे (एफ़्लोरेसेंस) और धूल हटाने के लिए दीवारों और छतों को खुरचें, सैंडपेपर (ग्रेड 60/80) से घिसें और साफ़ करें। फ़िनिश लगाने से पहले सुनिश्चित करें कि सतह में नमी 10% से कम हो।

पुट्टी और प्राइमर: बिना किसी कमी वाली सीधी सतह पाने के लिए सफ़ेद सीमेंट आधारित वॉल पुट्टी (प्रति कोट अधिकतम 1 मिमी मोटाई) लगाएँ। सूखने दें, हल्का घिसें और अनुमोदित सीमेंट प्राइमर का एक कोट लगाएँ।

पेंटिंग की प्रक्रिया: अंदरूनी सतहों पर लो-वीओसी प्रीमियम एक्रेलिक पेंट के दो या अधिक कोट लगाएँ और कोट के बीच कम से कम 24 घंटे सूखने का समय दें। बालकनी की दीवारों पर सिलिकॉन एडिटिव वाला एक्सटीरियर-ग्रेड 100% एक्रेलिक स्मूथ पेंट लगाएँ।

लकड़ी/स्टील इनेमल: लकड़ी और एमएस सेक्शन के लिए सतह को घिसें, उपयुक्त वुड/ज़िंक-क्रोमेट प्राइमर लगाएँ और उसके बाद प्रथम गुणवत्ता वाले सिंथेटिक इनेमल पेंट के दो या अधिक कोट लगाएँ, ताकि बिना ब्रश के निशान वाली एक समान फ़िनिश मिले।

4.0 ग्रेनाइट और टाइल कार्य

आधार की तैयारी: सब-बेस को खुरदुरा और साफ़ करें। बैकिंग मोर्टार या मौजूदा आधार की ठीक से तराई हुई हो और वह संरचनात्मक रूप से मज़बूत हो।

टाइल लगाना: नॉच्ड ट्रॉवेल से सीएम 1:4 / सीएम (1:3) औसतन 15 से 20 मिमी मोटाई में लगाएँ। टाइलों को मज़बूती से दबाएँ और लकड़ी की मुंगरी (मैलेट) से ठोकें, ताकि 100% कवरेज हो और कहीं भी खोखली आवाज़ न आए।

लाइन और ग्राउटिंग: 600x600 मिमी विट्रिफ़ाइड / 300x450 मिमी सिरेमिक टाइलें बिल्कुल सीधी लाइन, लेवल और प्लंब में लगाएँ। गीले क्षेत्रों में मानक ढलान (1:60) दें। 24 घंटे बाद जोड़ों को प्रीमियम दो-घटक इपॉक्सी ग्राउट (फ़र्श के लिए) या मिलते रंग के पिगमेंट वाले सफ़ेद सीमेंट (दीवारों के लिए) से सतह के बराबर भरें।

ग्रेनाइट काउंटर: 15 मिमी मोटे 1:4 सीमेंट मोर्टार बेड पर 16-18 मिमी मोटा मशीन-पॉलिश ग्रेनाइट लगाएँ। जोड़ बाल जितने पतले (हेयरलाइन) हों। सिंक के लिए सटीक कट-आउट बनाएँ और किनारों के गैप को स्ट्रक्चरल सिलिकॉन सीलेंट से सील करें।

5.0 फ़ॉल्स सीलिंग और पार्टीशन कार्य

ग्रिड लगाना: पूरी तरह इंटरलॉक्ड, हॉट-डिप्ड गैल्वनाइज़्ड स्टील ग्रिड (मेन टी 1200 मिमी सी/सी पर, क्रॉस टी 600 मिमी सी/सी पर) लगाएँ। इसे केवल जीआई स्लॉटेड क्लीट, डैश फ़ास्टनर और एडजस्टेबल रॉड की मदद से लटकाएँ, जो असली स्लैब से मज़बूती से जुड़े हों।

सीलिंग टाइलें: 595x595 मिमी पीवीसी लैमिनेटेड जिप्सम टाइलें लगाएँ। सुनिश्चित करें कि किनारों की सभी ट्रिम मज़बूती से लगी हों।

6.0 दरवाज़े, खिड़कियाँ और हार्डवेयर फ़िटिंग्स

हार्डवेयर: पूरी चूड़ी वाले स्टेनलेस स्टील स्क्रू से हेवी-ड्यूटी स्टेनलेस स्टील आर्किटेक्चरल हार्डवेयर (कब्ज़े, 250 मिमी/150 मिमी टावर बोल्ट, आलड्रॉप, हैंडल) लगाएँ। लकड़ी फटने से बचाने के लिए पहले से पायलट छेद करें।

7.0 सैनिटरी और प्लंबिंग का कार्य

पाइप लगाना: सीपीवीसी (गर्म/ठंडा पानी) और यूपीवीसी (सॉइल/वेस्ट) पाइपों को दीवार में चेज़ काटकर या नीचे लटकाकर (अंडर-स्लंग) मज़बूती से लगाएँ। सीपीवीसी को वन-स्टेप सॉल्वेंट सीमेंट से और यूपीवीसी को पुश-फ़िट ईपीडीएम रिंग से जोड़ें।

हाइड्रोलिक और लीकेज टेस्ट: पाइपों को ढकने से पहले सीपीवीसी पानी आपूर्ति लाइनों का कार्य-दबाव के 1.5 गुना (न्यूनतम 7 किग्रा/वर्ग सेमी) पर 2 घंटे तक हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट करें, जिसमें दबाव कम न हो। यूपीवीसी ड्रेनेज लाइनों का स्मोक/वॉटर फ़िल टेस्ट करें।

सैनिटरी फ़िक्सचर: विट्रियस चाइना फ़िक्सचर (वॉश बेसिन, फ़्लोर माउंटेड ईडब्ल्यूसी, यूरिनल) को बताए गए सीआई/एमएस ब्रैकेट और एंकर फ़ास्टनर से लेवल और प्लंब में लगाएँ। ट्रैप को वर्टिकल स्टैक से जोड़ें और कम से कम 50 मिमी प्रभावी वॉटर सील सुनिश्चित करें।

फ़िटिंग्स: सीपी ब्रास फ़िटिंग्स को मज़बूती से लगाएँ। चूड़ी वाले जोड़ों के लिए टेफ़्लॉन टेप का प्रयोग करें। सुनिश्चित करें कि सभी वेस्ट कपलिंग और बोतल ट्रैप पूरी तरह वॉटरटाइट हों।

8.0 मॉड्यूलर किचन की असेंबली

19 मिमी मोटे मरीन ग्रेड प्लाईवुड से बने मॉड्यूलर किचन कैबिनेट उपलब्ध कराना, बनाना और लगाना, जिनकी अंदरूनी सतह पर 0.8 मिमी मोटा सफ़ेद लैमिनेट और दूसरी तरफ़ अनुमोदित शेड

और मेक का 1 मिमी मोटा लैमिनेट हो, तथा कैबिनेट बॉक्स के लिए 21 मिमी चौड़ी 2 मिमी मोटी पीवीसी एज बैंडिंग/लिपिंग का प्रयोग हो। इनमें खुलने वाले शटर और पर्याप्त संख्या में दराज़ हों, साथ में बॉडी पैनल (साइड और बॉटम पैनल), शटर और दराज़ के फ़ेशिया हों, और बॉक्स का पिछला भाग 19 मिमी डब्ल्यूपीसी बोर्ड से बना हो। सभी शेल्फ़ साइट की आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग ऊँचाई पर कैबिनेट बॉडी में लगाए जाएँगे। प्रत्येक शटर को आवश्यकता के अनुसार सर्वोत्तम गुणवत्ता के दो कैथोडिक इलेक्ट्रोडिपोज़िशन कोटेड (सीईडी) सॉफ़्ट ऑटो क्लोज़िंग कब्ज़ों (गोदरेज, हैफ़ेल, हेटिख या अनुमोदित समकक्ष मेक) से एसएस स्क्रू, कीलों आदि के साथ बॉक्स / कारकस पर लगाया जाएगा, और इन शटरों तथा दराज़ के फ़ेशिया के ऊपर आवश्यक आकार का अनुमोदित गुणवत्ता वाला पाउडर कोटेड एल्युमिनियम 'जी' प्रोफ़ाइल हैंडल लगाया जाएगा। फ़र्श पर रखे जाने वाले यूनिट के कैबिनेट बॉक्स 50 मिमी ऊँची वर्टिकल स्कर्टिंग पर टिके होंगे। यूनिट को उपयुक्त आकार के धातु के स्क्रू और रॉल प्लग से फ़र्श/ दीवार/ स्लैब पर लगाया जाएगा। माप और भुगतान के लिए केवल कैबिनेट के फ़र्श से बॉक्स के ऊपर तक के सामने वाले भाग का क्षेत्रफल माना जाएगा। कैबिनेट बॉक्स का कुल आकार (चौड़ाई x गहराई x ऊँचाई) 200X560X770 मिमी से 600X560X770 मिमी (लगभग) तक होगा और साइट की आवश्यकता तथा एसएस बास्केट आदि के आकार के अनुसार इन्हें आपस में जोड़ा जाएगा।

9.0 कपबोर्ड / लॉफ़्ट

निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार प्लाईवुड कपबोर्ड उपलब्ध कराना और अपनी जगह पर लगाना:
कपबोर्ड पार्टीशन (बाहरी बॉक्स): अनुमोदित मेक के 19 मिमी एमआर ग्रेड प्लाई से बना, जिसकी एक तरफ़ अनुमोदित मेक और शेड का 0.8 मिमी सफ़ेद लैमिनेट हो और दीवार से सटी दूसरी तरफ़ उपयुक्त वुड प्राइमर और सिंथेटिक इनेमल पेंट से फ़िनिश हो, तथा खुले किनारों पर आवश्यक चौड़ाई की 2 मिमी मोटी पीवीसी एज बैंडिंग/लिपिंग हो।

कपबोर्ड पार्टीशन (बीच वाले) और शेल्फ़ अनुमोदित मेक के 19 मिमी एमआर ग्रेड प्लाई से बने हों, जिनके दोनों तरफ़ अनुमोदित मेक और शेड का 0.8 मिमी लैमिनेट हो और आवश्यक चौड़ाई की 2 मिमी मोटी पीवीसी एज बैंडिंग/लिपिंग हो।

दराज़ यूनिट: अनुमोदित मेक के 12 मिमी एमआर ग्रेड प्लाई (फ़ेशिया को छोड़कर) से बनी, जिसके दोनों तरफ़ अनुमोदित मेक का 0.8 मिमी लैमिनेट और आवश्यक चौड़ाई की 2 मिमी मोटी पीवीसी एज बैंडिंग/लिपिंग हो, और जो अनुमोदित मेक के 2 नग हेवी क्वालिटी सॉफ़्ट/ऑटो क्लोज़िंग टेलीस्कोपिक चैनल से लगी हो। दराज़ के फ़ेशिया के ऊपर आवश्यक आकार का अनुमोदित गुणवत्ता वाला पाउडर कोटेड एल्युमिनियम 'जी' प्रोफ़ाइल हैंडल लगाया जाएगा। फ़ेशिया 19 मिमी मोटे एमआर ग्रेड प्लाई से बना हो, जिसके दोनों तरफ़ 0.8 मिमी लैमिनेट हो और खुले किनारों पर आवश्यक चौड़ाई की पीवीसी

एज बैंडिंग/लिपिंग हो।

शटर: यूनिट में 2 नग शटर लगाए जाएँगे, जो आवश्यकता के अनुसार सर्वोत्तम गुणवत्ता के तीन कैथोडिक इलेक्ट्रोडिपोज़िशन कोटेड (सीईडी) सॉफ़्ट ऑटो क्लोज़िंग कब्ज़ों (गोदरेज, हैफ़ेल, हेटिख या अनुमोदित समकक्ष मेक) से एसएस स्क्रू, कीलों आदि सहित पूर्ण रूप से लगाए जाएँगे। एक शटर पर उच्च गुणवत्ता का शीशा (लगभग आकार 1.5 मीटर (ऊँचाई) x 0.4 मीटर (चौड़ाई)) आवश्यक फ़िटिंग्स के साथ लगाया जाएगा।

कपबोर्ड यूनिट में एंड ब्रैकेट के साथ उचित लंबाई की 25 मिमी व्यास की हैंगर रॉड लगाई जाएगी।

यूनिट को उपयुक्त आकार के धातु के स्क्रू/ एक्सपेंशन फ़ास्टनर और आवश्यक रॉल प्लग से फ़र्श/ दीवार/ स्लैब पर लगाया जाएगा, जिसमें 1 नग गोदरेज मेक का अलमारी ताला, 150 मिमी लंबाई के 2 नग हैंडल, 150 मिमी लंबाई के 4 नग टावर बोल्ट, 2 नग मैग्नेट कैचर आदि उपलब्ध कराना और लगाना पूर्ण रूप से शामिल है।

10.0 स्क्रैप, साल्वेज और रिबेट का प्रबंधन

दस्तावेज़ीकरण: तोड़ी गई सभी उपयोग योग्य सामग्री (प्लंबिंग, सैनिटरी सामान, हार्डवेयर, लकड़ी का काम) की संयुक्त सूची (एम-रजिस्टर/साल्वेज रजिस्टर) तैयार करें।

साइट प्रबंधन: ठेकेदार को तय की गई छूट (रिबेट) के बदले दोबारा उपयोग योग्य सामग्री को व्यवस्थित तरीके से निकालना, मिलान करना और परिसर से हटाना होगा। यह काम लगातार चलना चाहिए ताकि साइट साफ़, सुरक्षित रहे और रास्तों में कोई रुकावट न हो।

10. सामान्य शर्तें और गुणवत्ता नियंत्रण

माप: भुगतान केवल शुद्ध वज़न/क्षेत्रफल पर होगा। बर्बादी, नट, बोल्ट या वेल्डिंग की खपत वाली सामग्री के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी।

कारीगरी: किसी भी संरचनात्मक कमी या खराब वेल्डिंग पर जुर्माना लगाया जाएगा।

साइट निरीक्षण: यह माना जाएगा कि वेंडर ने साइट का दौरा कर लिया है और सभी "लीड और लिफ़्ट" (सामग्री का ऊपर-नीचे/आड़ा परिवहन) को ध्यान में रख लिया है।

तराई (क्योरिंग): ढाँचे पर भार डालने से पहले सभी कंक्रीट कार्यों की कम से कम 7 से 14 दिनों तक तराई की जानी चाहिए।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए सभी निर्देश/शर्तें पढ़ और समझ ली हैं और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

तारीख: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर सहित)

खंड IV (ख) अनुबंध के सामान्य नियम और शर्तें

क्र. सं.	क्लॉज़
1.	**परिभाषाएँ**
	क) अनुबंध का अर्थ है निविदा और उसकी स्वीकृति से जुड़े सभी दस्तावेज़, उनसे संबंधित सभी पत्राचार, और बैंक तथा ठेकेदार के बीच किया गया औपचारिक करार, साथ ही उसमें उल्लिखित दस्तावेज़, जिनमें अनुबंध की सामान्य और विशेष शर्तें, बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियम और निर्देश, आपसी पत्राचार और बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश शामिल हैं। इन सभी दस्तावेज़ों को मिलाकर एक ही अनुबंध माना जाएगा और ये एक-दूसरे के पूरक होंगे। अनुबंध में, जब तक संदर्भ से अलग अर्थ न निकलता हो, निम्नलिखित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें यहाँ क्रमशः दिए गए हैं: - i. "करार" का अर्थ है कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदार और बैंक के बीच हस्ताक्षरित करार। ii. "साइट" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक, 6 संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। ii. "कार्य" का अर्थ है **"आरएसओ फ्लैट, तीसरी मंज़िल, एनेक्सी बिल्डिंग, मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, नई दिल्ली का नवीनीकरण"** और उससे संबंधित/जुड़े सभी कार्य। iii. "बैंक" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001। iv. "निविदा दस्तावेज़" का अर्थ है बैंक द्वारा कार्य के लिए बोलियाँ आमंत्रित करते हुए बोलीदाताओं को जारी किया गया इस नाम का दस्तावेज़। v. "दिन" का अर्थ है कैलेंडर दिन vi. "महीना" का अर्थ है कैलेंडर महीना। vii. "वर्ष" का अर्थ है वित्तीय वर्ष viii. "बोलीदाता" का अर्थ है वे सभी पक्ष जो निविदा दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार बोली प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। ix. "ठेकेदार" का अर्थ है कार्य करने वाला व्यक्ति, फर्म या कंपनी, चाहे वह निगमित हो या नहीं, और इसमें ऐसे व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि या ऐसी फर्म या कंपनी के सदस्य, या ऐसी फर्म या कंपनी के उत्तराधिकारी और ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी के अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे। x. "बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि" का अर्थ है बैंक द्वारा नियुक्त और वेतन पाने वाले वे अधिकारी जो बैंक के आदेशों के अधीन कार्य करते हैं और कार्य के दिन-प्रतिदिन के

निष्पादन की निगरानी करेंगे।

xi. प्रभारी इंजीनियर (इंजीनियर-इन-चार्ज) का अर्थ है बैंक द्वारा नियुक्त और वेतन पाने वाला वह इंजीनियर अधिकारी जो बैंक के आदेशों के अधीन कार्य करता है और कार्य की निगरानी करेगा तथा उसका प्रभारी होगा।

xii. "अनुबंध अवधि" का अर्थ है अनुबंध के निष्पादन/ कार्य पूरा करने के लिए निविदा दस्तावेज़ में बताई गई अवधि, जिसमें बैंक द्वारा अधिकृत कोई भी बढ़ाई गई अवधि शामिल है।

xiii. "अनुबंध राशि" का अर्थ है सफल बोलीदाता द्वारा दी गई इकाई दरों और निविदा दस्तावेज़ में आवश्यकता के अनुसार बताई गई मात्राओं से निकाली गई कुल राशि, जिसे बैंक ने स्वीकार किया हो और कार्य आवंटन पत्र में दर्शाया गया हो।

xiv. "लिखित सूचना" का अर्थ है लिखित, टाइप की गई या छपी हुई सूचना, जो पाने वाले के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय पर पंजीकृत डाक से भेजी गई हो (जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से न सौंपा गया हो या उसकी प्राप्ति अन्यथा साबित न हो), और यह माना जाएगा कि वह उस समय प्राप्त हो गई जब सामान्य डाक व्यवस्था में वह पहुँच जाती और/या भेज दी जाती। किसी भी स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया संदेश भी लिखित सूचना माना जाएगा।

xv. "लिखित" में कोई भी लिखित कागज़ी दस्तावेज़, ई-मेल पत्राचार और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संदेश शामिल है।

xvi. "कार्य आरंभ" का अर्थ है कार्य आदेश में 'आरंभ तारीख' के रूप में बताई गई तारीख।

2. परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी)

(क) ठेकेदार अनुबंध के सफल निष्पादन के लिए कार्य आवंटन की तारीख से 14 दिनों के भीतर, निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक VI) में, अनुबंध राशि (जीएसटी सहित) के पाँच प्रतिशत (5%) के बराबर राशि की, किसी अनुसूचित बैंक से भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के पक्ष में, कार्य पूरा होने की निर्धारित तारीख से 60 दिन आगे तक वैध, अपरिवर्तनीय परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) **या पीबीजी के बराबर राशि ऑनलाइन माध्यम (एनईएफटी/आरटीजीएस) से** जमा करेगा। यदि कार्य पूरा करने का समय बढ़ाया जाता है, तो ठेकेदार पीबीजी की वैधता भी उस बढ़ाए गए समय को कवर करने के लिए बढ़वाएगा।

i. कार्य आवंटन की तारीख से पीबीजी जमा करने के लिए दिया गया समय – 14 दिन।

ii. ऊपर (i) में बताई गई अवधि के बाद बिना जुर्माने के पीबीजी जमा करने के लिए अधिकतम अनुमत अतिरिक्त समय – 7 दिन।

	iii. ऊपर (ii) में बताई गई अवधि के बाद, कार्य निष्पादन गारंटी की राशि के 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क के साथ पीबीजी जमा करने के लिए अधिकतम अनुमत अतिरिक्त समय – 7 दिन। (ख) **पीबीजी की वापसी:** कार्य के लगभग पूरा होने (वर्चुअल कम्प्लीशन) के बाद, अनुबंध के सफलतापूर्वक पूरा होने और ठेकेदार या उसके कर्मचारियों की कोई देनदारी न होने से संतुष्ट होने पर ही पीबीजी बिना ब्याज के लौटाई जाएगी। किसी शिकायत या बकाया राशि की स्थिति में, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी को प्रतिभूति जमा माना जाएगा और सभी बकाया, देनदारियाँ आदि समायोजित करने के बाद ही इसे मुक्त किया जाएगा। (ग) **पीबीजी की ज़ब्ती**: निम्नलिखित स्थितियों में पीबीजी ज़ब्त कर ली जाएगी: क.कार्य शुरू न करना ख. अनुबंध के दायित्वों का पालन न करना या अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन न करना ग. खंड IV (ख) के क्लॉज़ 25 के अनुसार।
3.	**किए जाने वाले कार्य**
	(i) अनुबंध के तहत किए जाने वाले कार्य में, इन शर्तों में अलग से दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, कार्यों की तैयारी और उनके पूर्ण निष्पादन तथा समापन के लिए आवश्यक सभी श्रम, सामग्री, औज़ार, प्लांट, उपकरण और परिवहन शामिल होंगे। ठेकेदार ड्रॉइंग, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के आशय और अर्थ के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक हर चीज़ अपने खर्च पर उपलब्ध कराएगा, चाहे वह उनमें विशेष रूप से दिखाई या बताई गई हो या नहीं, बशर्ते उसका अनुमान उचित रूप से उनसे लगाया जा सके। यदि ठेकेदार को ड्रॉइंग में या ड्रॉइंग, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह तुरंत लिखित रूप में प्रभारी इंजीनियर को इसकी जानकारी देगा, जो तय करेगा कि किसका पालन किया जाए। मात्राओं की अनुसूची में दिए गए विवरणों में, जब तक अलग से न बताया गया हो, सामग्री की बर्बादी, ढुलाई, खाली सामान ले जाना और वापस लाना, ऊपर चढ़ाना, बैठाना, फ़िट करना और अपनी जगह पर लगाना, तथा अच्छी कार्य-पद्धति और मान्य सिद्धांतों के अनुसार उपरोक्त कार्य के पूर्ण निष्पादन और समापन के लिए आवश्यक अन्य सभी श्रम शामिल माने जाएँगे। (ii) ठेकेदार उक्त कार्य को इस अनुबंध के अनुसार और प्रभारी इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार तथा उनकी संतुष्टि तक हर तरह से पूरा करेगा। प्रभारी इंजीनियर अपने पूर्ण विवेक से

	समय-समय पर आगे और ड्रॉइंग और/या लिखित निर्देश, विस्तृत निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकते हैं, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "बैंक के निर्देश" कहा गया है, जो निम्नलिखित के संबंध में होंगे: क.कार्यों के डिज़ाइन, गुणवत्ता या मात्रा में बदलाव या संशोधन, या किसी कार्य को जोड़ना, हटाना या बदलना। ख.ड्रॉइंग में या मात्राओं की अनुसूची और/या ड्रॉइंग और/या विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति। ग. ठेकेदार द्वारा साइट पर लाई गई ऐसी किसी भी सामग्री को हटाना जो निविदा विनिर्देशों को पूरा नहीं करती, और उसकी जगह कोई अन्य सामग्री लाना। घ. ठेकेदार द्वारा उपयोग की गई ऐसी किसी भी सामग्री/किए गए कार्य को हटाना और/या दोबारा करना जो निविदा विनिर्देशों को पूरा नहीं करता। ङ.ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाए गए किसी भी व्यक्ति को कार्य से हटाना। च. ढके हुए किसी भी कार्य को निरीक्षण के लिए खोलना। छ. दोष दायित्व अवधि के दौरान देखे और बताए गए किसी भी दोष को सुधारना और ठीक करना। (iii) ठेकेदार ऐसे बैंक निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत पालन करेगा और उसे विधिवत पूरा करेगा, बशर्ते कि प्रभारी इंजीनियर द्वारा कार्य स्थल पर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों को दिए गए मौखिक निर्देश, आदेश और स्पष्टीकरण, यदि उनमें कोई बदलाव शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित में पुष्टि किए जाएँगे, और यदि प्रभारी इंजीनियर अगले सात दिनों के भीतर लिखित में उन्हें अनुमोदित/ अस्वीकृत नहीं करते, तो उन्हें अनुबंध के दायरे में बैंक के निर्देश माना जाएगा।
4.	**निविदा की पर्याप्तता**
	यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा भरने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा तथा मूल्य बोली में दी गई दरों और मूल्यों के सही और पर्याप्त होने के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है। ये दरें और मूल्य, जब तक अलग से प्रावधान न हो, अनुबंध के तहत उसके सभी दायित्वों और कार्यों को ठीक से पूरा करने तथा उनके रखरखाव के लिए आवश्यक सभी बातों और चीज़ों को कवर करेंगे।
5.	**परिनिर्धारित नुकसानी (लिक्विडेटेड डैमेज)**
	यदि ठेकेदार कार्य की आवश्यक प्रगति बनाए रखने में, या अनुबंध की तारीख या बढ़ाई गई पूर्णता तारीख को या उससे पहले कार्य पूरा करने और साइट साफ़ करने में विफल रहता है, तो ऐसे उल्लंघन के कारण बैंक को कानून के तहत उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय

	पर असर डाले बिना, वह अनुबंध राशि के 0.25% प्रति सप्ताह की दर से परिनिर्धारित नुकसानी देगा, जो पूरे कार्य के लिए अनुबंध राशि के अधिकतम 10% तक होगी। मुआवज़े की राशि को इस अनुबंध या बैंक के साथ किसी अन्य अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय किसी भी राशि में से समायोजित या काटा जा सकता है।
6.	**बदलावों (वेरिएशन) का बैंक द्वारा अनुमोदन**
	ठेकेदार वेरिएशन आइटम की मात्रा का कार्य करने से पहले बैंक से अनुमोदन लेगा। ठेकेदार दर विश्लेषण, वाउचर आदि के साथ मात्रा और दरें बताते हुए वेरिएशन का विवरण जमा करेगा। जब तक बैंक इन विवरणों को स्वीकृत नहीं कर देता, तब तक बैंक ऐसे वेरिएशन के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
7.	**प्राधिकरण, सूचनाएँ और पेटेंट**
	ठेकेदार कार्यों से संबंधित विधायिका के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों का, किसी भी प्राधिकरण के विनियमों और उप-नियमों का, तथा पानी, बिजली आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकरणों, जिनकी प्रणालियों से ढाँचे को जोड़ने का प्रस्ताव है, के नियमों का पालन करेगा। ऐसा पालन करने के कारण ड्रॉइंग या विनिर्देशों में कोई बदलाव ज़रूरी हो, तो उसे करने से पहले वह बैंक के इंजीनियर को लिखित सूचना देगा, जिसमें प्रस्तावित बदलाव और उसका कारण बताया जाएगा, और इस पर निर्देश माँगेगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश नहीं मिलते, तो वह संबंधित प्रावधानों, विनियमों या उप-नियमों के अनुसार कार्य करेगा। ठेकेदार उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों के तहत किसी प्राधिकरण को दी जाने वाली सभी आवश्यक सूचनाओं की जानकारी बैंक के इंजीनियर को देगा, और कार्यों के संबंध में उचित रूप से लगने वाले सभी शुल्क ऐसे प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक कार्यालय को चुकाएगा तथा उनकी रसीदें बैंक के इंजीनियर के पास जमा करेगा। ठेकेदार पेटेंट अधिकारों से संबंधित सभी दावों के विरुद्ध बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा, ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाहियों में बचाव करेगा, और इस संबंध में कानूनी रूप से लगने वाली सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, हर्जाना, लागत और हर प्रकार के प्रभार स्वयं चुकाएगा।
8.	**कार्य का सेटिंग आउट (रेखांकन)**
	ठेकेदार कार्यों का सेटिंग आउट करेगा और उनके सभी भागों की स्थिति, लेवल, माप और अलाइनमेंट के सही होने के लिए ज़िम्मेदार होगा। यदि ठेकेदार इसमें चूक करता है, तो किसी भी गलती/ दोष को वह अपने खर्च पर बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि तक ठीक करेगा।
9.	**सामग्री और कारीगरी विनिर्देशों के अनुरूप हो।**

	सभी सामग्री और कारीगरी मात्राओं की अनुसूची और/या विनिर्देशों में बताए गए प्रकार की होगी और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार होगी। बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर ठेकेदार यह साबित करने के लिए सभी बीजक (इनवॉइस), खाते, रसीदें और अन्य वाउचर देगा कि सामग्री उनके अनुरूप है। ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार कार्य में उपयोग से पहले प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं के माध्यम से किसी भी सामग्री की जाँच अपने खर्च पर करवाएगा।
10.	**कामगारों को हटाना**
	बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर ठेकेदार कार्य पर लगाए गए ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्य से हटा देगा जो बैंक के इंजीनियर की राय में अक्षम हो या दुर्व्यवहार करता हो, और ऐसे व्यक्तियों को बैंक की अनुमति के बिना दोबारा कार्य पर नहीं लगाया जाएगा।
11.	**कार्य तक पहुँच**
	बैंक, बैंक के इंजीनियर और उनके प्रतिनिधियों को सभी उचित समय पर कार्य स्थल और/या उन वर्कशॉप, फ़ैक्टरियों या अन्य स्थानों तक बिना रोक-टोक पहुँच होगी जहाँ सामग्री रखी है या जहाँ से वह प्राप्त की जा रही है, और ठेकेदार सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण, जाँच और परीक्षण के लिए बैंक, बैंक के इंजीनियर और उनके प्रतिनिधियों को हर आवश्यक सुविधा देगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, बैंक या बैंक के इंजीनियर द्वारा अधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्य स्थल पर आने की अनुमति नहीं होगी।
12.	**समनुदेशन (असाइनमेंट) और उप-ठेका (सबलेटिंग)**
	अनुबंध में शामिल सभी कार्य ठेकेदार द्वारा ही किए जाएँगे और ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना सीधे या परोक्ष रूप से अनुबंध या उसके किसी भाग / हिस्से या उसमें किसी हित को किसी और को हस्तांतरित, समनुदेशित या उप-ठेके पर नहीं देगा। कोई भी वचन ठेकेदार को अनुबंध की पूरी ज़िम्मेदारी से या अनुबंध के दौरान कार्यों की सक्रिय निगरानी से मुक्त नहीं करेगा।
13.	**लगाए गए कर्मचारियों की पहचान**
	ठेकेदार अपने द्वारा लगाए गए व्यक्तियों के नाम, माता-पिता का नाम, आवासीय पता, आयु आदि विवरण, हाल की फ़ोटो और पैन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसे आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ (ओवीडी) के साथ जमा करेगा।
14.	**पुलिस सत्यापन**
	ठेकेदार द्वारा पुलिस सत्यापन के बिना कोई कर्मचारी नहीं लगाया जाएगा। ठेकेदार लगाए गए

	कर्मचारियों के पूर्ववृत्त (पिछला रिकॉर्ड) का सत्यापन स्थानीय पुलिस प्राधिकरण से करवाएगा।
15.	**बदलाव, जोड़, हटाना आदि**
	कोई भी बदलाव, हटाना या वेरिएशन इस अनुबंध को अमान्य नहीं करेगा। यदि बैंक के इंजीनियर कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्यों में कोई बदलाव, जोड़ या कमी करना, या उनमें उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता में कोई बदलाव करना उचित समझते हैं, तो वे इसकी लिखित सूचना ठेकेदार को देंगे। ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, बदलाव करेगा, जोड़ेगा या हटाएगा। लेकिन ठेकेदार बैंक के इंजीनियर की पूर्व लिखित सहमति के बिना कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा, या कार्यों में कोई बदलाव, जोड़ या कमी नहीं करेगा, या अनुबंध, शर्तों, विनिर्देशों या अनुबंध ड्रॉइंग के किसी भी प्रावधान से कोई विचलन नहीं करेगा। ऐसे अतिरिक्त कार्यों, बदलावों, जोड़ या कमी का मूल्य सभी मामलों में बैंक के इंजीनियर द्वारा पूर्व लिखित अनुमोदन के साथ तय किया जाएगा और उसे, जैसा भी मामला हो, अनुबंध राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा। ठेकेदार ध्यान दें कि जब तक अलग से न बताया गया हो, निविदा पूरी तरह आइटम रेट के आधार पर है और उसका ध्यान इस बात की ओर दिलाया जाता है कि प्रत्येक आइटम की दरें सही, व्यावहारिक और अपने-आप में पूरी होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में दी गई मात्राएँ कार्य की कुल सीमा का लगभग अनुमान देती हैं, लेकिन इनमें किसी भी हद तक बदलाव हो सकता है और इन्हें हटाया भी जा सकता है, जिससे अनुबंध का कुल मूल्य बदल सकता है। फिर भी, कार्य के वास्तविक निष्पादन के दौरान यदि मात्राएँ निविदा मात्राओं से 25% से अधिक हो जाती हैं, तो परियोजना के इंजीनियर के अधिकार से और बैंक की सहमति से निविदा मात्रा के 25% से अधिक किए गए ऐसे आइटम की मात्रा को अतिरिक्त कार्य आइटम माना जाएगा, जिसके लिए ठेकेदार वास्तविक लागत + 15% (स्थापना प्रभार, ठेकेदार के ओवरहेड और लाभ के लिए) के आधार पर तैयार दर विश्लेषण के साथ नई दरें जमा करेगा। ऐसे सभी कार्य आइटम की दरें, वर्तमान दरें होने के कारण, निविदा में दिए गए एस्केलेशन फ़ॉर्मूले (यदि कोई हो) के अनुसार कीमतों या सामग्री और मज़दूरी दरों में वृद्धि या कमी के कारण मूल्य समायोजन के लिए पात्र नहीं होंगी। यदि बैंक अपने विवेक से स्वीकृत निविदा में से कोई कार्य आइटम हटा देता है, तो ठेकेदार इस कारण कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा। ठेकेदार को विनिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक और वर्किंग ड्रॉइंग/डिज़ाइन (2डी और 3डी में रंगीन ड्रॉइंग) बिना किसी लागत के तैयार करनी होंगी और कार्य शुरू करने से पहले उनके लिए बैंक से अनुमोदन लेना होगा। **सामग्री की मूल दर (बेसिक रेट) के लिए मूल्य समायोजन:**

	मूल्य समायोजन केवल वास्तव में मापी गई मात्रा पर किया जाएगा। मूल्य समायोजन निविदा में संबंधित आइटम के लिए दी गई दर में मूल दर और वास्तविक बाज़ार / सामग्री खरीद दर के अंतर तथा उस पर 15% लाभ के लिए किया जाएगा। मूल दर का अर्थ है साइट पर सामग्री की लागत, जिसमें जीएसटी, परिवहन प्रभार, बिक्री कर, उत्पाद/सीमा शुल्क, वैट, सैट, चुंगी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लागू कोई अन्य कर, शुल्क या लेवी शामिल नहीं है। सामग्री के मूल मूल्य में अंतर होने पर दरों में समायोजन यदि सामग्री के मूल मूल्य में अंतर है, तो उस आइटम को लगाने / इंस्टॉल करने / बिछाने आदि सहित आइटम की दी गई दरें नीचे दिए अनुसार समायोजित की जाएँगी- संशोधित दरें = निविदा में दी गई दरें + (अनुमोदित सामग्री की वास्तविक मूल दर – निविदा में बताई गई मूल दर) X सीपीओएच @ 15% **नोट:** सीपीओएच सामग्री के मूल मूल्यों के अंतर का 15% है। दरों के सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (खरीद वाउचर/कैश मेमो) साइट पर कार्य शुरू होने से पहले देने होंगे।
16.	**कार्यों का माप**
	कार्यों का माप लेने और दर्ज करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी: i. माप ठेकेदार द्वारा दर्ज किए जाएँगे और उनकी हार्ड कॉपी विभाग को जमा की जाएगी। सभी प्रविष्टियाँ पारंपरिक एमबी/सीएमबी दर्ज करने की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएँगी। ii. इसके बाद इन मापों की 100% जाँच जूनियर इंजीनियर/ एएम (टेक) द्वारा की जाएगी। यदि जूनियर इंजीनियर/ एएम (टेक) उपलब्ध नहीं हैं, तो एएम (टेक)/ मैनेजर (टेक) मापों की 100% जाँच करेंगे। इन जाँचों के दौरान किए गए सभी बदलाव या सुधार ठेकेदार अपने कंप्यूटरीकृत मापों के मसौदे में शामिल करेगा और सुधारे गए कंप्यूटरीकृत माप को एक पुस्तक के रूप में, विधिवत हार्ड बाउंड करके और मशीन से पृष्ठ संख्या डालकर, विभाग को जमा करेगा। इस कंप्यूटरीकृत एमबी के सभी पृष्ठों पर ठेकेदार के अधिकृत अधिकारी और बैंक के अधिकारी के नाम और पदनाम के साथ तारीख सहित पूरे हस्ताक्षर होंगे। iii. इन कंप्यूटरीकृत मापों की परीक्षण जाँच (टेस्ट चेक) संबंधित अधिकारियों द्वारा मौजूदा निर्देशों के अनुसार की जाएगी। इस पुस्तक को कंप्यूटरीकृत माप पुस्तिका (मेज़रमेंट बुक) माना जाएगा। संबंधित अधिकारी मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार अपनी जाँच और परीक्षण जाँच के लिए

	आवश्यक प्रमाण-पत्र कंप्यूटरीकृत एमबी में दर्ज करेंगे। प्रमाण-पत्र दर्ज करने से पहले यह सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारियों की ज़िम्मेदारी होगी कि सभी सुधार कंप्यूटरीकृत एमबी में शामिल कर लिए गए हैं। iv. यदि अनुबंध में अलग से नहीं बताया गया है, तो सभी माप आईएस 1200 में दिए गए माप के तरीके के अनुसार लिए जाएँगे। यदि ठेकेदार माप के समय उपस्थित नहीं होता या माप लेने में लापरवाही या चूक करता है, तो बैंक के इंजीनियर द्वारा लिए गए माप को ही कार्यों का सही माप माना जाएगा।
17.	**अतिरिक्त आइटम की दरें**
	किसी अतिरिक्त आइटम का कोई दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक वह यहाँ बताए अनुसार बैंक की सहमति से बैंक के इंजीनियर के अधिकार से न किया गया हो। ऐसे किसी भी अतिरिक्त आइटम को यहाँ अधिकृत अतिरिक्त आइटम कहा गया है और यह निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार होगा। (i) जहाँ अतिरिक्त कार्य उसी प्रकार का है और उन्हीं परिस्थितियों में किया गया है जैसा मूल निविदा में मूल्यांकित कार्य, वहाँ अतिरिक्त कार्य का मूल्यांकन मूल निविदा की शुद्ध दरों या मूल्यों से किया जाएगा। (ii) सभी अतिरिक्त आइटम की दरें, जहाँ तक संभव हो, मूल्यांकित मात्राओं की अनुसूची में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए। (iii) जहाँ अतिरिक्त कार्य उक्त प्रकार के नहीं हैं और/या उक्त जैसी परिस्थितियों में नहीं किए गए हैं, या जहाँ कुछ कार्य हटाने से बचे हुए कार्य आइटम की परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, या यदि हटाए या जोड़े गए कार्यों की राशि पूरे अनुबंध कार्य या उसके किसी भाग की राशि की तुलना में इतनी है कि बैंक के इंजीनियर की राय में मूल्यांकित मात्राओं की अनुसूची या निविदा में किसी कार्य आइटम की शुद्ध दर या मूल्य से ठेकेदार को उचित अनुमान से अधिक हानि या खर्च होता है, या ऐसे हटाने या जोड़ने के कारण वह दर अनुचित या अनुपयुक्त हो जाती है, तो बैंक के इंजीनियर बैंक के पूर्व लिखित अनुमोदन से ऐसी दूसरी दर या मूल्य तय करेंगे जो परिस्थितियों में उचित और सही लगे। (iv) जहाँ अतिरिक्त कार्य को ठीक से मापा या मूल्यांकित नहीं किया जा सकता, वहाँ ठेकेदार को मज़दूरी और उपयोग की गई सामग्री पर हुई वास्तविक लागत के आधार पर दावा करने की अनुमति होगी। ठेकेदार उक्त दावे के लिए उचित दर विश्लेषण, बीजक और भुगतान का प्रमाण जमा करेगा, जिसका सत्यापन बैंक के इंजीनियर द्वारा किया जाएगा। (v) अनुबंध से संबंधित माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में बताई गई "अंतिम माप की अवधि"

	के भीतर, या यदि वह नहीं बताई गई है तो अनुबंध कार्य पूरा होने के तीन महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा। (vi) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी अधिकृत अतिरिक्त आइटम, जिनकी दरें निविदा से नहीं निकाली जा सकतीं, के लिए ठेकेदार "वास्तविक लागत के आधार" पर तैयार दर विश्लेषण के साथ, स्थापना प्रभार, ठेकेदार के ओवरहेड और लाभ के लिए 15% जोड़कर दरें जमा करेगा। ऐसे आइटम एस्केलेशन के पात्र नहीं होंगे।
18.	**न लगाई गई सामग्री बैंक की संपत्ति होगी**
	जहाँ किसी प्रमाण-पत्र में (जिसका भुगतान ठेकेदार को मिल चुका है) बैंक के इंजीनियर ने कार्यों के लिए रखी गई और/या कार्य स्थल पर या उसके पास रखी गई किसी न लगाई गई सामग्री का मूल्य शामिल किया है, वहाँ ऐसी सामग्री बैंक की संपत्ति हो जाएगी। बैंक के इंजीनियर के लिखित अधिकार के बिना इन्हें कार्यों में उपयोग के अलावा किसी अन्य कारण से हटाया नहीं जाएगा। ऐसी सामग्री के खोने या क्षतिग्रस्त होने के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
19.	**अनुचित कार्यों को हटाना**
	कार्यों की प्रगति के दौरान बैंक को समय-समय पर लिखित आदेश देकर, आदेश में बताए गए उचित समय के भीतर, निम्नलिखित करवाने का अधिकार होगा: ऐसे कार्य या कोई भी सामग्री हटाना जो बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देशों या बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार नहीं है, उसकी जगह उचित सामग्री लगाना, और ड्रॉइंग तथा विनिर्देशों या प्रभारी इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार न होने वाली सामग्री या कारीगरी से किए गए किसी भी कार्य को हटाकर ठीक से दोबारा करना। ठेकेदार ऐसा आदेश अपने खर्च पर पूरा करेगा। यदि ठेकेदार ऐसा आदेश पूरा करने में चूक करता है, तो बैंक को इसे करवाने के लिए दूसरे व्यक्तियों को लगाने और उन्हें भुगतान करने का अधिकार होगा; और इससे होने वाले या इससे जुड़े सभी खर्च, जैसा बैंक के इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया जाए, ठेकेदार वहन करेगा, या बैंक उन्हें ठेकेदार को देय या भविष्य में देय किसी भी राशि में से काट सकता है।
20.	**कार्य के लगभग पूरा होने (वर्चुअल कम्प्लीशन) का प्रमाण-पत्र और दोष दायित्व अवधि।** जब तक बैंक के इंजीनियर लिखित में यह प्रमाणित नहीं कर देते कि कार्य लगभग पूरे हो गए हैं, तब तक कार्यों को पूरा नहीं माना जाएगा। दोष दायित्व अवधि वर्चुअल कम्प्लीशन प्रमाण-पत्र की तारीख से 12 महीने तक मान्य होगी।
21.	**कार्य के लगभग पूरा होने के बाद के दोष**
	यहाँ परिशिष्ट में बताई गई "दोष दायित्व अवधि" के भीतर, या यदि वह नहीं बताई गई है तो

	कार्यों के लगभग पूरा होने के बारह महीनों के भीतर, कोई भी दोष या अन्य कमी जो बैंक के इंजीनियर की राय में अनुबंध के अनुसार न होने वाली सामग्री या कारीगरी के कारण सामने आए, उसे ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के लिखित निर्देश पर और उसमें बताए गए उचित समय के भीतर अपने खर्च पर सुधारेगा और ठीक करेगा। चूक होने पर बैंक ऐसे दोषों, सिकुड़न, धँसाव या अन्य कमियों को सुधारने और ठीक करने के लिए दूसरे व्यक्तियों को लगा सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है, और इससे होने वाली या इससे जुड़ी सभी क्षति, हानि और खर्च ठेकेदार द्वारा पूरे और वहन किए जाएँगे। बैंक ऐसी क्षति, हानि और खर्च उससे वसूल कर सकता है या ठेकेदार को देय या भविष्य में देय किसी भी राशि में से काट सकता है। बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी खाते को पास करने के बावजूद ठेकेदार इस क्लॉज़ के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी रहेगा।
22.	**बैंक द्वारा लगाए गए अन्य व्यक्ति**
	बैंक को यह अधिकार है कि वह इस अनुबंध में शामिल न किए गए किसी भी कार्य को, जिसे वह दूसरे व्यक्तियों से करवाना चाहे, करने के लिए परिसर और साइट के किसी भी भाग का उपयोग करे। ठेकेदार ऐसे कार्य के लिए सभी उचित सुविधाएँ देगा, लेकिन बैंक के साथ विशेष व्यवस्था के बिना उसे ऐसे कार्य के लिए कोई प्लांट या सामग्री देने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कार्य इस तरह किया जाएगा कि अनुबंध में शामिल कार्यों की प्रगति में बाधा न आए, और ऐसे कार्य से या उसके कारण होने वाली किसी क्षति या देरी के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार नहीं होगा।
23.	**व्यक्तियों और संपत्ति को होने वाली क्षति के संबंध में बीमा** (i) ठेकेदार, किसी उप-ठेकेदार, किसी नामित उप-ठेकेदार या उनके किसी कर्मचारी की ओर से किसी कारण या चूक से व्यक्तियों, पशुओं या वस्तुओं को होने वाली सभी चोटों या क्षति और संपत्ति को होने वाली सभी क्षति के लिए ज़िम्मेदार होगा। इस क्लॉज़ के तहत देनदारी में ढाँचों को होने वाली कोई भी क्षति शामिल होगी, चाहे वे कार्यों के ठीक पास हों या कहीं और; सड़कों, गलियों, फ़ुटपाथों, पुलों को होने वाली कोई भी क्षति, साथ ही इस अनुबंध के विषय वाले भवनों और अन्य ढाँचों तथा कार्यों को होने वाली क्षति भी शामिल होगी। बारिश, हवा, पाले या खराब मौसम के कारण इस अनुबंध के विषय वाले भवन और अन्य ढाँचों तथा कार्यों को होने वाली किसी भी क्षति के लिए भी ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार व्यक्तियों या संपत्ति को ऊपर बताई गई किसी भी चोट या क्षति से होने वाली सभी हानि और खर्च के संबंध में, तथा चोट या क्षति के संबंध में किसी कानून के तहत या अन्यथा किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध, और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप किसी निर्णय (अवार्ड), मुआवज़े या हर्जाने के संबंध में बैंक की

	क्षतिपूर्ति करेगा और उसे हानि से सुरक्षित रखेगा। (ii) ठेकेदार अपने खर्च पर, कार्य शुरू करने से पहले, बैंक द्वारा अनुमोदित किसी बीमा कंपनी से बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम में (पॉलिसी में पहले बैंक का नाम होगा) भूकंप के जोखिम सहित अनुबंध की पूरी राशि के लिए ठेकेदारों की ऑल रिस्क बीमा पॉलिसी लेगा और इस अनुबंध के तहत वर्चुअल कम्प्लीशन प्रमाण-पत्र जारी होने तक उसे चालू रखेगा, तथा ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ बैंक के पास जमा करेगा। (iii) ठेकेदार उन सभी दावों के विरुद्ध भी बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा और उसे सुरक्षित रखेगा जो कार्यों के संबंध में या उनके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी बात के लिए किसी व्यक्ति द्वारा बैंक के विरुद्ध किए जा सकते हैं, और वह अपने खर्च पर बैंक द्वारा अनुमोदित किसी बीमा कंपनी से बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम में (पॉलिसी में पहले बैंक का नाम होगा) ऐसे जोखिम के विरुद्ध बीमा पॉलिसी लेगा, अनुबंध के लगभग पूरा होने तक उसे चालू रखेगा, और कार्य शुरू होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ जमा करेगा। पॉलिसी के तहत न्यूनतम कवरेज सीमा किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति ₹5 लाख और किसी एक दुर्घटना या घटना में संपत्ति की क्षति के लिए ₹2 लाख होगी, जिसकी कुल अधिकतम सीमा ₹25 लाख होगी। ठेकेदार इस अनुबंध की अवधि के दौरान ठेकेदार या उप-ठेकेदार के किसी कर्मचारी के संबंध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत या सामान्य कानून (कॉमन लॉ) के तहत बैंक पर किए जा सकने वाले सभी दावों के विरुद्ध भी बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा, और अपने खर्च पर बैंक द्वारा अनुमोदित किसी बीमा कंपनी से ऐसे जोखिमों के विरुद्ध बीमा पॉलिसी लेगा, अनुबंध के लगभग पूरा होने तक उसे चालू रखेगा और इस अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ बैंक के पास जमा करेगा। यदि ठेकेदार उपरोक्त बीमा कराने में चूक करता है, तो बैंक बीमा करा सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को ठेकेदार को देय या भविष्य में देय किसी भी राशि में से काट सकता है। (iv) ठेकेदार ऐसी किसी भी देनदारी के लिए ज़िम्मेदार होगा जो ऊपर बताई गई बीमा पॉलिसियों में कवर न हो, और इस अनुबंध के दोषपूर्ण निष्पादन से किसी व्यक्ति या पशु को होने वाली अन्य सभी क्षति के लिए भी ज़िम्मेदार होगा, चाहे क्षति का कारण कुछ भी हो। (v) क्षति के बाद दोबारा निर्माण या पुनर्स्थापना की स्थिति में ठेकेदार कार्य पूरा करने के लिए उतना अतिरिक्त समय पाने का हकदार होगा जितना बैंक के इंजीनियर उचित समझें, लेकिन यहाँ बताए अनुसार उत्पन्न किसी दावे के निपटान में बीमाकर्ता द्वारा अंततः भुगतान की गई राशि में किसी कमी की प्रतिपूर्ति बैंक से पाने का हकदार नहीं होगा।

	(vi) ठेकेदार किसी नामित उप-ठेकेदार को तब तक साइट पर कार्य शुरू करने की अनुमति नहीं देगा जब तक उक्त बीमा पॉलिसियाँ जमा नहीं कर दी जातीं। यदि उप-ठेकेदार साइट पर कार्य शुरू करने से पहले ऐसी बीमा पॉलिसी नहीं लेता है, तो उक्त उप-ठेकेदार से संबंधित किसी भी दावे या क्षति के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा। यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसियाँ लेने या उनका नवीनीकरण कराने में विफल रहता है, तो बैंक ठेकेदार को लिखित सूचना देकर बीमा कवर की व्यवस्था करेगा और उसका प्रीमियम ठेकेदार को देय राशि में से वसूल किया जा सकता है।
24.	**देरी और समय-सीमा में वृद्धि**
	यदि बैंक के इंजीनियर की राय में कार्यों में देरी होती है: (क) अप्रत्याशित घटना (फ़ोर्स मेज्योर) के कारण, या (ख) किसी असाधारण खराब मौसम के कारण, या (ग) पास के या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा की गई या धमकी दी गई कार्यवाही या उनके साथ विवाद के कारण, जो ठेकेदार की अपनी चूक से उत्पन्न न हुआ हो, या (घ) बैंक या बैंक के इंजीनियर द्वारा लगाए या नामित किए गए अन्य ठेकेदारों या कारीगरों के कार्यों या देरी के कारण, जिनका उल्लेख मात्राओं की अनुसूची और/या विनिर्देशों में नहीं है, या (ङ) बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के कारण, या (च) नागरिक अशांति, कामगारों के स्थानीय संगठन या भवन निर्माण से जुड़े किसी भी व्यवसाय को प्रभावित करने वाली हड़ताल या तालाबंदी के कारण, या (छ) ठेकेदार को बैंक के इंजीनियर से समय पर आवश्यक निर्देश न मिलने के परिणामस्वरूप, जिनके लिए उसने विशेष रूप से लिखित में आवेदन किया था, या (ज) अन्य कारणों से, जिन्हें बैंक के इंजीनियर ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर प्रमाणित करें, या यदि वेरिएशन के कारण कार्य का मूल्य मूल्यांकित मात्राओं की अनुसूची के मूल्य से अधिक हो जाता है, तो बैंक के इंजीनियर बैंक के पूर्व लिखित अनुमोदन से ठेकेदार के कार्यों को पूरा करने के लिए उचित और तर्कसंगत समय-वृद्धि दे सकते हैं; ऐसी हड़ताल या तालाबंदी की स्थिति में भी ठेकेदार देरी रोकने के लिए लगातार प्रयास करेगा और कार्य आगे बढ़ाने के लिए बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि तक उचित रूप से आवश्यक सब कुछ करेगा। यदि ठेकेदार निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा नहीं करता है, तो कार्य के लिए समय-वृद्धि लेने और सभी बीमा पॉलिसियों की अवधि बढ़ाने जैसे सभी वैधानिक अनुपालन करने की पूरी ज़िम्मेदारी उसी की होगी।

25.	**बैंक द्वारा अनुबंध समाप्त करना**
	यदि ठेकेदार, व्यक्ति या फर्म होने की स्थिति में, कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या निगमित कंपनी होने की स्थिति में उसके विरुद्ध अनिवार्य परिसमापन (वाइंडिंग अप) का आदेश हो जाता है या वह स्वैच्छिक रूप से या न्यायालय की निगरानी में परिसमापन का प्रभावी प्रस्ताव पारित करती है, और ऐसे दिवालियापन या परिसमापन की स्थिति में आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक, जैसा भी मामला हो, उसे सूचना मिलने के सात दिनों के भीतर यह नहीं दिखाता कि वह बैंक के इंजीनियर की उचित संतुष्टि तक अनुबंध को पूरा करने में सक्षम है और बैंक के इंजीनियर द्वारा माँगे जाने पर उसके लिए प्रतिभूति नहीं देता। या यदि ठेकेदार (चाहे व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी हो) के विरुद्ध संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय की डिक्री का निष्पादन या अन्य प्रक्रिया जारी होती है। या ठेकेदार के किसी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से इस अनुबंध के तहत किसी भुगतान की कुर्की होती है। या वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस अनुबंध को समनुदेशित करता है या उप-ठेके पर देता है। या वह इस अनुबंध या इसके तहत ठेकेदार को देय या भविष्य में देय किसी भुगतान को गिरवी रखता है या उस पर भार डालता है। या यदि बैंक के इंजीनियर बैंक को लिखित में प्रमाणित करते हैं कि ठेकेदार ने, i. अनुबंध को छोड़ दिया है, या ii. कार्य शुरू नहीं किया है, या बैंक के इंजीनियर से कार्य आगे बढ़ाने की सूचना मिलने के बाद इन शर्तों के तहत बिना किसी वैध कारण के चौदह दिनों तक कार्यों की प्रगति रोक दी है, या iii. कार्यों को उतनी तत्परता से आगे नहीं बढ़ाया है और उतनी प्रगति नहीं की है जिससे कार्य तय समय में पूरे हो सकें, या iv. बैंक के इंजीनियर से यह लिखित सूचना मिलने के सात दिनों बाद भी साइट से सामग्री नहीं हटाई है या कार्य को तोड़कर दोबारा नहीं किया है कि उक्त सामग्री या कार्य को इन शर्तों के तहत बैंक के इंजीनियर ने अस्वीकार कर दिया है, या v. ठेकेदार को लिखित सूचना दिए जाने के सात दिनों बाद भी इस अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा पालन किए जाने वाले सभी या किसी भी कार्य, विषय या बात का पालन करने में लगातार लापरवाही या विफलता की है।

	तो उक्त किसी भी स्थिति में बैंक, किसी पिछली छूट के बावजूद, ठेकेदार को सात दिनों की लिखित सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है, लेकिन इससे बैंक के इंजीनियर के अधिकारों या ठेकेदार के दायित्वों और देनदारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सभी उसी तरह पूरी तरह लागू रहेंगे जैसे अनुबंध समाप्त ही न हुआ हो और जैसे बाद में किए गए कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से किए गए हों। इसके अलावा, बैंक अपने एजेंटों या कर्मचारियों के माध्यम से कार्यों पर और परिसर या आसपास की ज़मीन या सड़कों पर रखे सभी प्लांट, औज़ार, स्कैफ़ोल्डिंग, शेड, मशीनरी, भाप और अन्य बिजली उपकरणों और सामग्री पर कब्ज़ा कर सकता है, और उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है, या कार्य जारी रखने और पूरा करने के लिए उन्हें अपने कर्मचारियों और कामगारों के माध्यम से या किसी अन्य ठेकेदार या व्यक्ति(यों) को लगाकर उपयोग कर सकता है। कार्य पूरा करने के लिए लगाए गए ऐसे अन्य ठेकेदार या व्यक्ति(यों) द्वारा सामग्री और प्लांट के उपयोग में ठेकेदार किसी भी तरह बाधा नहीं डालेगा या उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करेगा। कार्य पूरे होने पर या उसके बाद यथाशीघ्र, बैंक के इंजीनियर ठेकेदार को अपनी बची हुई सामग्री और प्लांट हटाने के लिए लिखित सूचना देंगे, और यदि ठेकेदार सूचना मिलने के चौदह दिनों के भीतर ऐसा नहीं करता है, तो बैंक उन्हें सार्वजनिक नीलामी से बेच सकता है और प्राप्त शुद्ध राशि ठेकेदार के खाते में जमा कर सकता है। इसके बाद बैंक के इंजीनियर यह पता लगाएँगे और अपने हस्ताक्षर से लिखित में प्रमाणित करेंगे कि बैंक द्वारा कब्ज़े में लिए गए उक्त प्लांट और सामग्री के मूल्य, कार्य पूरा करवाने में बैंक को हुए खर्च या हानि, और ठेकेदार को देय राशि (यदि कोई हो) के लिए बैंक को या बैंक द्वारा क्या (यदि कुछ) देय है। इस तरह प्रमाणित राशि का भुगतान, जैसा भी मामला हो, बैंक द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा बैंक को किया जाएगा, और बैंक के इंजीनियर का प्रमाण-पत्र दोनों पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।
26.	**ठेकेदार द्वारा अनुबंध समाप्त करना**
	यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण-पत्र के तहत बैंक द्वारा देय राशि का भुगतान, ठेकेदार द्वारा बैंक को उक्त राशि के भुगतान की माँग करते हुए लिखित सूचना दिए जाने के तीस दिनों बाद भी बकाया और अदा न हो, या यदि बैंक ऐसे किसी प्रमाण-पत्र के जारी होने में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है, या यदि बैंक ठेकेदार को अस्वीकार कर देता है, या यदि बैंक के इंजीनियर या बैंक के आदेश से या किसी न्यायालय की निषेधाज्ञा या अन्य आदेश से कार्य तीन महीनों के लिए रोक दिए जाते हैं, तो उक्त किसी भी स्थिति में ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के माध्यम से बैंक को लिखित सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, और वह किए गए सभी कार्यों का भुगतान तथा अनुबंध के लिए दिए गए, खरीदे गए या तैयार किए गए

	किसी भी प्लांट या सामग्री पर हुई किसी भी हानि की राशि बैंक से वसूल करने का हकदार होगा। ऐसे भुगतान की राशि तय करने में ठेकेदार की मूल निविदा में दी गई शुद्ध दरों का पालन किया जाएगा।
27.	**प्रमाण-पत्र और भुगतान**
	क.जब कार्य लगभग पूरे हो जाएँगे और बैंक के इंजीनियर लिखित में प्रमाणित कर देंगे कि वे पूरे हो गए हैं, तो बैंक द्वारा ठेकेदार को बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण-पत्र के अनुसार परिशिष्ट में बताई गई राशि का भुगतान किया जाएगा। ठेकेदार अंतिम शेष राशि का भुगतान पाने का हकदार होगा, जो बैंक के इंजीनियर द्वारा लिखित में जारी किए जाने वाले अंतिम प्रमाण-पत्र के अनुसार होगा। यह प्रमाण-पत्र वर्चुअल कम्प्लीशन की तारीख से परिशिष्ट में "दोष दायित्व अवधि" के रूप में बताई गई अवधि की समाप्ति पर, या उस अवधि की समाप्ति के बाद जैसे ही कार्य अंतिम रूप से पूरे हो जाएँ और सभी दोष इसके सही आशय और अर्थ के अनुसार ठीक कर दिए जाएँ, इनमें से जो भी बाद में हो, जारी किया जाएगा। बशर्ते कि कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने पर या उसके बाद बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किया गया कोई भी प्रमाण-पत्र ठेकेदार को उसकी देनदारी से मुक्त नहीं करेगा, और कार्यों या सामग्री या प्रमाण-पत्र में शामिल किसी विषय से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी या कपटपूर्ण छिपाव के मामलों में, तथा कार्यों या सामग्री के उन सभी दोषों और कमियों के मामले में जिनका पता उचित जाँच से नहीं लग सकता था, ठेकेदार को उसकी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर का कोई भी प्रमाण-पत्र अपने-आप में इस बात का निर्णायक प्रमाण नहीं होगा कि उससे संबंधित कोई कार्य या सामग्री अनुबंध के अनुसार है, और न ही ठेकेदार का ऐसी किसी राशि पर कोई दावा होगा जिसे बैंक के इंजीनियर ने किसी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो और बैंक ने भुगतान किया हो, लेकिन बाद में पता चले कि वह देय नहीं थी। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। ख.ठेकेदार को अंतिम बिल के साथ एक विवरण जमा करना होगा, जिसमें बिल की तारीख तक उसके द्वारा खरीदी गई सभी भवन सामग्री का ब्योरा हो, ताकि बैंक द्वारा ऐसे बिलों के निपटान से पहले उसका सत्यापन किया जा सके। ग. यदि कार्य या उनका कोई भाग बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तो उन्हें कोई भी प्रमाण-पत्र रोकने का अधिकार होगा। बैंक के इंजीनियर अपने द्वारा पहले जारी किए गए किसी भी प्रमाण-पत्र में सुधार कर सकते हैं।

	घ) यदि ठेकेदार कार्यों का बीमा नहीं कराता और वर्चुअल कम्प्लीशन प्रमाण-पत्र जारी होने तक उन्हें बीमित नहीं रखता, तो बैंक के इंजीनियर द्वारा भुगतान का कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। बैंक के इंजीनियर के प्रमाण-पत्र पर भुगतान 45 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।
28.	**अंतिम बिल की तकनीकी जाँच का अधिकार**
	बैंक को यह अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति या संगठन से कार्यों की और ठेकेदार के अंतिम बिल की, सभी सहायक वाउचर, सारांश आदि सहित, तकनीकी जाँच करवाए। यदि इन जाँचों के परिणामस्वरूप या अन्यथा यह पाया जाता है कि किसी राशि का अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणन हुआ है, तो बैंक के लिए यह वैध होगा कि वह उस राशि को इस कार्य या भारतीय रिज़र्व बैंक के तहत कहीं और ठेकेदार द्वारा किए जा रहे किसी अन्य कार्य के लिए ठेकेदार को देय किसी भी भुगतान में से वसूल करे।
29.	**कामगारों को दिए गए मुआवज़े की वसूली**
	प्रत्येक ऐसे मामले में जहाँ कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के प्रावधानों के कारण बैंक को कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा लगाए गए किसी कामगार को मुआवज़ा देना पड़ता है, बैंक इस तरह दी गई मुआवज़े की राशि ठेकेदार से वसूल करने का हकदार होगा; और यह उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर असर डाले बिना होगा। बैंक ऐसी राशि या उसका कोई भाग प्रतिभूति जमा राशि से या बैंक द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी राशि से, चाहे इस अनुबंध के तहत हो या अन्यथा, काटकर वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। बैंक उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने विरुद्ध किए गए किसी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय इसके कि ठेकेदार लिखित अनुरोध करे और ऐसे दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप बैंक पर आने वाली सभी लागतों के लिए बैंक को पूरी प्रतिभूति दे।
30.	**ठेकेदार की मृत्यु होने पर अनुबंध की समाप्ति**
	इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर असर डाले बिना, यदि ठेकेदार, जो एक व्यक्ति/एकल स्वामी है, की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक के पास ऐसी समाप्ति के लिए बिना किसी देनदारी और ठेकेदार को बिना किसी मुआवज़े के अनुबंध समाप्त करने का विकल्प होगा।
31.	**ठेकेदार द्वारा सभी संबंधित वैधानिक कानूनों का पालन**
	क. ठेकेदार कार्य के संबंध में लागू सभी संबंधित कानूनों के प्रावधानों का पालन करेगा, जैसे • ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970। i. मज़दूरी संहिता, 2019

	ii. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 iii. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 iv. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (ओएसएचडब्ल्यूसी संहिता, 2020) v. नियोक्ता दायित्व अधिनियम, 1938। vi. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986। vii. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 vii. और/या लागू कोई अन्य अधिनियम / कानून ख. लगाए गए कर्मचारी/कामगार ठेकेदार के कर्मचारी होंगे और उपरोक्त अधिनियमों/ नियमों/ विनियमों/ कानूनों के तहत सभी वैधानिक देनदारियों का भुगतान ठेकेदार करेगा। ठेकेदार अनुबंध की अवधि के दौरान उपरोक्त श्रम संहिताओं, कानूनों या लागू किसी अन्य कानून के तहत बैंक पर किए जा सकने वाले सभी दावों के विरुद्ध बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। ग. ठेकेदार को ओएसएचडब्ल्यूसी संहिता, 2020 और दिल्ली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम (जहाँ लागू हो) के तहत श्रम विभाग के संबंधित प्राधिकरणों के पास पंजीकृत होना चाहिए। घ. ठेकेदार सभी नगरपालिका और अन्य विनियमों का पालन करेगा और ओएसएचडब्ल्यूसी संहिता, 2020 आदि के तहत लाइसेंस सहित आवश्यक लाइसेंस और परमिट अपने खर्च पर प्राप्त करेगा। ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालन से संबंधित नियमों और विनियमों के ठेकेदार द्वारा किसी भी उल्लंघन के लिए बैंक किसी भी तरह ज़िम्मेदार नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए सभी संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों से संपर्क और आगे की कार्रवाई की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ङ. ठेकेदार, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा। यदि कोई लागू कानून या अधिनियम बाद के कानून द्वारा संशोधित, परिवर्तित, प्रतिस्थापित या अधिक्रमित किया जाता है, तो मौजूदा प्रावधानों के स्थान पर संशोधित, परिवर्तित, प्रतिस्थापित या अधिक्रमित प्रावधान लागू माने जाएँगे।
32.	**सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020**
	ठेकेदार 'सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020' के प्रावधानों के अनुसार भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निधि के संबंध में नियोक्ता का अंशदान देगा। ठेकेदार को ईएसआई और ईपीएफ अंशदान स्थानीय रूप से केवल दिल्ली में ही जमा करना होगा और उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सभी कर्मचारियों को तुरंत ईएसआई कार्ड और ईपीएफ कार्ड दिए जाएँ।

	किसी भी स्थिति में, यदि ठेकेदार निर्धारित समय के भीतर पीएफ/ ईएसआई आदि के लिए कर्मचारी/ नियोक्ता का अंशदान जमा नहीं करता है, तो बैंक इस करार या बैंक के साथ किसी अन्य अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय या मिलने वाली किसी भी राशि में से उतनी ही राशि वसूल करने और बैंक में लगाए गए कर्मियों का विवरण देते हुए उसे संबंधित प्राधिकरणों को जमा करने का हकदार होगा। यदि कोई लागू कानून या अधिनियम बाद के कानून द्वारा संशोधित, परिवर्तित, प्रतिस्थापित या अधिक्रमित किया जाता है, तो मौजूदा प्रावधानों के स्थान पर संशोधित, परिवर्तित, प्रतिस्थापित या अधिक्रमित प्रावधान लागू माने जाएँगे।
33.	**कानूनों/ विनियमों का पालन**
	(क) मज़दूरी संहिता अधिनियम, 2019 में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी लागू होगी। ठेकेदार को ओएसएचडब्ल्यूसी संहिता, 2020 के अनुसार अपने कर्मचारियों को पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा आदि जैसी बुनियादी सुविधाएँ देनी होंगी। ठेकेदार मज़दूरी के भुगतान, मज़दूरी अवधि, मज़दूरी से कटौती, न दी गई मज़दूरी और अनधिकृत कटौती की वसूली, मज़दूरी रजिस्टर रखने, वेतन पर्ची, मज़दूरी की दरें और रोज़गार की शर्तें प्रकाशित करने, निरीक्षण और नियमित रिटर्न जमा करने के संबंध में समय-समय पर लागू श्रम विनियमों का पालन करेगा या करवाएगा। (ख) यदि इस अनुबंध को पूरा करने के लिए ठेकेदार द्वारा लगाए गए किसी व्यक्ति की मज़दूरी के भुगतान में चूक होती है और इसके लिए श्रम प्राधिकरणों के कार्यालय में दावा दायर किया जाता है और उसका प्रमाण श्रम प्राधिकरणों की संतुष्टि तक दिया जाता है, तो ठेकेदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न किए जाने पर बैंक ठेकेदार की ओर से ऐसे दावे का भुगतान उक्त श्रम प्राधिकरणों को कर सकता है और इस तरह भुगतान की गई कोई भी राशि बैंक ठेकेदार से वसूल कर सकेगा। (ग) यदि श्रम प्राधिकरणों के किसी निर्देश के परिणामस्वरूप या किसी श्रम कानून या विनियम के तहत किए गए किसी दावे या आवेदन के परिणामस्वरूप बैंक को कोई राशि देने का निर्देश दिया जाता है, तो ऐसी राशि ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर बैंक को देय मानी जाएगी। बैंक यह राशि ठेकेदार को देय राशि में से या परफॉर्मेंस बैंक गारंटी में से काटकर ठेकेदार से वसूल करने का हकदार होगा। यदि कोई लागू कानून या अधिनियम बाद के कानून द्वारा संशोधित, परिवर्तित, प्रतिस्थापित या अधिक्रमित किया जाता है, तो मौजूदा प्रावधानों के स्थान पर संशोधित, परिवर्तित, प्रतिस्थापित या अधिक्रमित प्रावधान लागू माने जाएँगे।

34.	**ठेकेदार द्वारा देय लेवी/कर**
	(क) इस अनुबंध के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए वस्तु एवं सेवा कर, शुल्क, लेवी और रॉयल्टी या लागू कोई अन्य कर ठेकेदार द्वारा देय होगा और बैंक इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। (ख) ठेकेदार द्वारा दी गई सेवा के लिए जीएसटी के भुगतान की ज़िम्मेदारी बैंक की नहीं है। कर प्राधिकरण को जीएसटी का भुगतान करना ठेकेदार की ज़िम्मेदारी है। ठेकेदार जीएसटी और अन्य रिटर्न जमा करने का भी पूरी तरह पालन करेगा। दस्तावेज़ी प्रमाण मौजूदा निर्देशों के अनुसार बैंक को जमा किए जाने चाहिए। आयकर, जीएसटी पर टीडीएस या सरकार द्वारा लगाया गया कोई अन्य कर, जैसा लागू हो, ठेकेदार को देय मासिक बिलों में से काटा जाएगा और बैंक इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
35.	**क्षतिपूर्ति (इंडेम्निटी) क्लॉज़**
	ठेकेदार आरबीआई और उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, निदेशकों और प्रतिनिधियों की उन सभी दावों (तीसरे पक्ष के दावों सहित), कार्यवाहियों, हानियों, क्षतियों, लागतों, खर्चों, प्रभारों, जिनमें कानूनी खर्च भी शामिल हैं, के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा जो बैंक को ठेकेदार की ओर से निम्नलिखित कारणों से हुई चूक के कारण उठाने पड़ें: (क) अनुबंध अवधि के दौरान सरकार या अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी लागू कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों का उल्लंघन; या (ख) अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन/ पालन न करना; या (ग) ठेकेदार द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों और वारंटियों का उल्लंघन; या (घ) ठेकेदार द्वारा लापरवाही या धोखाधड़ी वाला कोई कार्य या चूक; या ठेकेदार के कारण किसी तीसरे पक्ष द्वारा। (ङ) ठेकेदार अपने कर्मचारियों के किसी भी दावे के विरुद्ध भी बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा, और ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने कर्मियों / कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से बताए कि बैंक के विरुद्ध उनका कोई दावा नहीं होगा और वे अपनी सेवा शर्तों या किसी अन्य संबंध में बैंक के साथ या उसके विरुद्ध सीधे और/या परोक्ष रूप से कोई औद्योगिक विवाद नहीं उठाएँगे। (च) इसके अलावा, ठेकेदार इस करार के प्रयोजन के लिए अपने यहाँ कार्यरत किसी व्यक्ति को हुई किसी दुर्घटना या चोट के परिणामस्वरूप सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 या उसके तहत बने नियमों या मुआवज़े से संबंधित किसी कानून या नियम के तहत किए जा

	सकने वाले सभी दावों के विरुद्ध हर समय बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। अपने कर्मचारियों के पारिश्रमिक और अन्य बकाया के लिए, और उनके द्वारा की गई चूक / कार्यों के लिए भी, केवल ठेकेदार ही ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार द्वारा लगाए गए कर्मचारियों के संबंध में सभी दावों के विरुद्ध ठेकेदार बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। यदि इस तरह लगाया गया ठेकेदार का कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ता है, तो उसका सामना करना मुख्य रूप से ठेकेदार की ज़िम्मेदारी होगी। यदि बैंक को पक्षकार बनाया जाता है और उसे मामले में पैरवी करनी पड़ती है, तो वकील की फ़ीस और अन्य खर्चों पर हुए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति बैंक को की जाएगी, जिसका भुगतान ठेकेदार माँगे जाने पर बैंक को अग्रिम रूप से करेगा। इसके अलावा, ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक पर किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय या अन्य देनदारी न आए और वह इस संबंध में बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा।
36.	**विवादों का निपटान और मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन)** (i) यदि अनुबंध या कार्यों के निष्पादन के संबंध में या उनसे उत्पन्न बैंक और ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो दोनों पक्षों को उस तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर, जिस दिन कोई पक्ष दूसरे पक्ष को बातचीत / सौहार्दपूर्ण चर्चा के लिए सूचना देता है, आपसी चर्चा द्वारा सद्भावना से उसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करना होगा। विवाद के समाधान के लिए बैंक एक आंतरिक विवाद समाधान समिति (डीआरसी) गठित कर सकता है। (ii) यदि उक्त अवधि में सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं होता है, तो अनसुलझा विवाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति से तय किए गए एकमात्र मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) को भेजा जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 29ख में दी गई 'फ़ास्ट ट्रैक प्रक्रिया' के माध्यम से की जाएगी। इस तरह नियुक्त मध्यस्थ का निर्णय (अवार्ड) अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान ठेकेदार, जब तक बैंक छूट न दे, इस करार के तहत अपने अनुबंधीय दायित्वों का पालन करता रहेगा। यह अनुबंध केवल दिल्ली के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन है।
37.	**न्यायालय का क्षेत्राधिकार**
	इस करार से उत्पन्न या किसी भी तरह इससे जुड़े सभी विवाद नई दिल्ली में उत्पन्न हुए माने जाएँगे और केवल नई दिल्ली के न्यायालयों को ही उन पर निर्णय करने का क्षेत्राधिकार होगा।
38.	**बैंक की संपत्ति को हानि**
	लगाए गए कर्मियों की लापरवाही से बैंक की किसी भी संपत्ति को हुई कोई भी हानि ठेकेदार से

	वसूल की जाएगी, और इसका निर्धारण ठेकेदार को उचित सूचना देने के बाद किया जाएगा। इस संबंध में निर्णय सक्षम प्राधिकारी (सीए) द्वारा लिया जाएगा, जो महाप्रबंधक (संपदा), भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली होंगे। फिर भी, ठेकेदार को क्षेत्रीय निदेशक के पास अपील करने का अधिकार होगा, जिनका निर्णय इस मामले में अंतिम होगा।
39.	**गोपनीयता (नॉन-डिस्क्लोज़र) क्लॉज़**
	क. ठेकेदार और उसके द्वारा बैंक परिसर में सीधे या परोक्ष रूप से लगाए गए कर्मचारी, इस अनुबंध के संबंध में अपने अनुबंधीय दायित्वों को पूरा करने के दौरान ठेकेदार के पास आने वाली या उसकी जानकारी में आने वाली बैंक के बुनियादी ढाँचे / प्रणालियों / उपकरणों आदि से संबंधित किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण को सीधे या परोक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएँगे और उन्हें हर समय पूरी तरह गोपनीय रखेंगे। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि उसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार या उसके कर्मचारी बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी व्यापारिक या तकनीकी पत्र-पत्रिका में या कहीं और कार्यों का कोई विवरण प्रकाशित नहीं करेंगे, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देंगे या उसका खुलासा नहीं करेंगे। ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा किसी गोपनीय जानकारी के खुलासे के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी भी हानि के लिए ठेकेदार बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन न करना ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक हर्जाने/अनुबंध समाप्ति का दावा करने और कानूनी उपाय अपनाने का हकदार होगा। ख. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कदम उठाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह पूरे हों। गोपनीयता और जानकारी का खुलासा न करने संबंधी ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की अवधि समाप्त होने या इसके समाप्त किए जाने के बाद भी लागू रहेंगे।
40.	**कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013**
	बैंक परिसर में "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूरी तरह पालन करने की ज़िम्मेदारी केवल ठेकेदार की होगी। क. बैंक परिसर में ठेकेदार के अपने कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत की स्थिति में, शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष

	दर्ज की जाएगी, जो शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ख. ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति संज्ञान लेगी। ग. यदि घटना में ठेकेदार का कर्मचारी शामिल है, तो देय किसी भी आर्थिक मुआवज़े के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा, उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है तो बैंक के कर्मचारी को दी जाने वाली कोई आर्थिक राहत। घ. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और उससे संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को जागरूक करने की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार बैंक परिसर में लगाए गए अपने कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची देगा।
41.	**अप्रत्याशित घटना (फ़ोर्स मेज्योर) की शर्तें**
	क. इस दस्तावेज़ में दी गई किसी भी अन्य बात के बावजूद, कोई भी पक्ष इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में हुई किसी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि ऐसी देरी उसके उचित नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुई हो, जिनमें बिना किसी सीमा के सरकारों के कार्यों, दैवी घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, हड़तालों, किसी क्षेत्र में दंगों, आतंकवादी हमले, युद्ध (घोषित और अघोषित) के कारण हुई देरी शामिल है। फिर भी, देरी पैदा करने वाली ऐसी कोई घटना होने पर ठेकेदार तुरंत इसकी लिखित सूचना बैंक को देगा। ठेकेदार अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य है। ख. ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के ऐसे पालन के संबंध में अनुबंध समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। ग. घटना समाप्त होने या उसका अस्तित्व खत्म होने के बाद यथाशीघ्र अनुबंध के तहत दायित्वों का पालन फिर से शुरू किया जाएगा। यदि घटना के कारण अनुबंध के तहत किसी दायित्व का पालन आपसी सहमति से तय अवधि से अधिक समय तक रुका रहता है या उसमें देरी होती है, तो कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध समाप्त कर सकता है।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए सभी निर्देश/शर्तें पढ़ और समझ ली हैं और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

तारीख: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर सहित)

अनुलग्नक – I : निविदा का फ़ॉर्म

स्थान:

तारीख:

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
संपदा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
नई दिल्ली

महोदय/महोदया,

नीचे दिए गए ज्ञापन (मेमोरेंडम) में बताए गए कार्य के लिए निविदा आमंत्रण सूचना, अनुबंध की सामान्य और विशेष शर्तें, बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियम और निर्देश तथा निविदा दस्तावेज़ की अन्य सभी सामग्री पढ़कर और उसकी जाँच करके, तथा कार्य स्थल की जाँच करके और निविदा को प्रभावित करने वाली संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करके, मैं/हम एतद्द्वारा उक्त ज्ञापन में बताए गए कार्य को उक्त ज्ञापन में बताए गए समय के भीतर, मूल्य बोली में दी गई दरों पर, और अनुबंध की सामान्य और विशेष शर्तों, अनुबंध की शर्तों (आर्टिकल्स ऑफ़ एग्रीमेंट), बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियमों और निर्देशों में उल्लिखित लिखित निर्देशों के सभी पहलुओं के अनुसार, तथा जहाँ तक लागू हों, ऐसी शर्तों के अन्य सभी पहलुओं के अनुसार करने का प्रस्ताव देता हूँ/देते हैं।

ज्ञापन (मेमोरेंडम)

एनआईटी संख्या / ई-निविदा संख्या	**संख्या: ....**
कार्य का नाम:	**आरएसओ फ्लैट, तीसरी मंज़िल, एनेक्सी बिल्डिंग, मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, नई दिल्ली का नवीनीकरण**
निविदा का अनुमानित मूल्य	**₹22.20 लाख** (बाईस लाख बीस हज़ार रुपये मात्र), कर और सीपीओएच सहित।
बयाना राशि (ईएमडी) (ईएमडी)	शून्य
परफॉर्मेंस बैंक गारंटी	5%

(पीबीजी)	(ठेकेदार द्वारा अनुबंधीय दायित्वों को विधिवत पूरा करने के लिए ठेकेदार से अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर राशि की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी या पीबीजी के बराबर राशि ऑनलाइन माध्यम (एनईएफटी / आरटीजीएस) से ली जाएगी। पीबीजी जमा करने के बाद एल-1 बोलीदाता को कार्य आवंटित किया जाएगा। पीबीजी कार्य के लगभग पूरा होने तक रखी जाएगी।)

2. हम निविदा के खंड III (क) में बताई गई वैधता अवधि तक निविदा को खुला रखने और वैधता अवधि या आपसी सहमति से बढ़ाई गई किसी अन्य अवधि के दौरान इसके नियमों और शर्तों में कोई बदलाव न करने के लिए सहमत हैं।

3. यदि मैं/हम खंड IV(ख) में बताई गई निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा नहीं करता/करते हैं, तो मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके पद-उत्तराधिकारी किसी अन्य अधिकार या उपाय पर असर डाले बिना उक्त बयाना राशि को पूरी तरह ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा, यदि मैं/हम खंड III(क) में बताए अनुसार कार्य शुरू नहीं करता/करते हैं, तो मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके पद-उत्तराधिकारी कानून में उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर असर डाले बिना उक्त परफॉर्मेंस बैंक गारंटी को पूरी तरह ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उक्त परफॉर्मेंस बैंक गारंटी निविदा दस्तावेज़ में बताए गए सभी कार्यों को उसमें दिए गए नियमों और शर्तों पर पूरा करने की गारंटी होगी।

4. इसके अलावा, मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि ऊपर बताए अनुसार बयाना राशि या परफॉर्मेंस बैंक गारंटी ज़ब्त होने की स्थिति में मुझे/हमें इस कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

5. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं और पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि पात्र समान कार्य किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से बैक-टू-बैक आधार पर नहीं करवाया गया है/करवाए गए हैं। इसके अलावा, यदि ऐसा कोई उल्लंघन भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में आता है, तो मुझे/हमें भविष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक में निविदा देने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही, यदि ऐसा कोई उल्लंघन कार्य शुरू होने की तारीख से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में आता है, तो बैंक बयाना राशि/परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की पूरी राशि ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम निविदा दस्तावेज़ों और कार्य से जुड़े अन्य रिकॉर्ड को गुप्त/गोपनीय दस्तावेज़ मानूँगा/मानेंगे और उनसे प्राप्त जानकारी उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताऊँगा/बताएँगे जिसे बताने के लिए मैं/हम अधिकृत हूँ/हैं, और न ही इस जानकारी

का उपयोग किसी ऐसे तरीके से करूँगा/करेंगे जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक की सुरक्षा को नुकसान पहुँचे।

7. यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम एतद्द्वारा अनुबंध के सभी नियमों और प्रावधानों का, जहाँ तक वे लागू हों, पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हूँ/हैं, या ऐसा न करने पर उक्त शर्तों में बताई गई राशि ज़ब्त कराने और भारतीय रिज़र्व बैंक को उसका भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

आज दिनांक _____ माह ________ 20XX को।

मेसर्स ____ के लिए और उनकी ओर से

____

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

नाम ____________________________________

तारीख: पदनाम ____________________________________

स्थान ____________________________________

तारीख ____________________________________

(इस निविदा के अनुलग्नक III के अनुसार निर्धारित प्रारूप में मुख्तारनामे की प्रमाणित सत्य प्रति अपलोड की जानी चाहिए।)

गवाहों के हस्ताक्षर और पते

	हस्ताक्षर	पता
(i) (ii)		

अनुलग्नक II - अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए मुख्तारनामे (पावर ऑफ़ अटॉर्नी) का प्रारूप

(₹100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
संपदा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
नई दिल्ली

महोदय/महोदया,

.... (कार्य का नाम)

हम.. (बोलीदाता का नाम और उसके पंजीकृत कार्यालय का पता) एतद्द्वारा श्री / सुश्री

... .(मुख्तारनामा धारक का नाम और आवासीय पता), जो इस समय हमारे यहाँ कार्यरत हैं और .... पद पर हैं, को अपना मुख्तार (अटॉर्नी) गठित, नियुक्त और अधिकृत करते हैं, ताकि वे हमारे नाम पर और हमारी ओर से उपरोक्त परियोजना के लिए हमारी बोली से संबंधित या उससे जुड़े सभी आवश्यक कार्य, विलेख और बातें कर सकें, जिनमें सभी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें जमा करना, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को जानकारी / उत्तर देना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना, और उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव से संबंधित सभी मामलों में आरबीआई से सामान्य रूप से व्यवहार करना शामिल है।

हम एतद्द्वारा सहमत हैं कि इस मुख्तारनामे के अनुसार हमारे उक्त मुख्तार द्वारा कानूनी रूप से किए गए सभी कार्यों, विलेखों और बातों की हम पुष्टि करेंगे, और हमारे उक्त मुख्तार द्वारा किए गए सभी कार्य, विलेख और बातें हमेशा हमारे द्वारा किए गए माने जाएँगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम

बोलीदाता की मुहर

नोट:

मुख्तारनामे पर उचित स्टाम्प लगा होना चाहिए और वह नोटरी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। बोलीदाता द्वारा दिया गया मुख्तारनामा अपरिवर्तनीय होगा।

अनुलग्नक III - सार्वजनिक संस्था(ओं) द्वारा प्रतिबंधित (डिबार) किए जाने की घोषणा के संबंध में वचन-पत्र

(बोलीदाता द्वारा अपने लेटरहेड पर जमा किया जाए)

<u>कार्य का नाम</u>: आरएसओ फ्लैट, तीसरी मंज़िल, एनेक्सी बिल्डिंग, एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली के नवीनीकरण के लिए ई-निविदा

महोदय,

1. मैं/हम..(बोलीदाता का नाम) घोषणा करता हूँ/करते हैं कि

क. .... (बोली जमा करने की अंतिम तारीख) तक मुझे/हमें या हमारी किसी संबद्ध फर्म* या हमारे किसी साझेदार/निदेशक को भारत या किसी अन्य देश की किसी सार्वजनिक संस्था / इकाई द्वारा प्रतिबंधित / निलंबित / ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

ख. ....(बोली जमा करने की अंतिम तारीख) तक पिछले तीन वर्षों में मैंने/हमने या हमारी किसी संबद्ध फर्म* या हमारे किसी साझेदार/निदेशक ने भारत या किसी अन्य देश की किसी सार्वजनिक संस्था / इकाई के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा निविदा में बताया गया है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।

ग. बोली जमा करने की अंतिम तारीख तक मुझे/हमें या हमारी किसी संबद्ध फर्म* को सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया) आदेश, 2017 के उल्लंघन के लिए किसी भी खरीद करने वाली बसंस्था द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

घ. यदि उपरोक्त कार्य का आवंटन होने तक या उससे पहले मुझे/हमें या हमारी किसी संबद्ध फर्म* या हमारे किसी साझेदार/निदेशक को भारत या किसी अन्य देश की किसी सार्वजनिक संस्था / इकाई द्वारा प्रतिबंधित / निलंबित / ब्लैक लिस्ट किया जाता है, तो हम बैंक को लिखित में सूचित करेंगे।

2. मैं/हम .... (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें या हमारी संबद्ध फर्म* .... (संबद्ध फर्म(मों) का नाम) या हमारे साझेदार/निदेशक .... (साझेदार / निदेशक का नाम) को ....(भारत या किसी अन्य देश की सार्वजनिक संस्था का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित / निलंबित / ब्लैक लिस्ट किया गया है और यह ....(तारीख) तक प्रभावी है। ऐसे पत्र की एक प्रति आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

(बोलीदाता की मुहर और हस्ताक्षर)

तारीख

स्थान

(नोट: ऊपर दी गई दो घोषणाओं में से जो लागू नहीं है, उसे काट दें)

*संबद्ध फर्म: किसी फर्म को "संबद्ध फर्म" कहा जाएगा, यदि उसका प्रबंधन एक ही हो, या उसके पर्याप्त या अधिकांश शेयर प्रतिबंधित/ निलंबित फर्म के पास हों और इस कारण उसका उस पर नियंत्रण हो। इसके अलावा, सभी उत्तराधिकारी फर्में भी संबद्ध फर्म मानी जाएँगी।

अनुलग्नक IV - अनुबंध की शर्तों (आर्टिकल्स ऑफ़ एग्रीमेंट) का मसौदा

एक पक्ष के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह मार्ग, फ़ोर्ट, मुंबई 400001 में है (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है), और दूसरे पक्ष के रूप में ______ ____ (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा गया है) के बीच अनुबंध की शर्तें (आर्टिकल्स ऑफ़ एग्रीमेंट), जो आज दिनांक ______________________________ माह ____को निष्पादित की गई हैं।

चूँकि बैंक आरएसओ फ्लैट, तीसरी मंज़िल, एनेक्सी बिल्डिंग, एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली के नवीनीकरण का कार्य करवाना चाहता है और उसने किए जाने वाले कार्यों का विवरण देने वाली ड्रॉइंग और विनिर्देश तैयार करवाए हैं।

और चूँकि उक्त ड्रॉइंग, विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची पर दोनों पक्षों द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

और चूँकि ठेकेदार यहाँ दी गई शर्तों तथा विशेष शर्तों, मात्राओं की अनुसूची और अनुबंध की शर्तों में दी गई शर्तों (जिन सभी को आगे सामूहिक रूप से "उक्त शर्तें" कहा गया है) के अधीन, उक्त ड्रॉइंग में दिखाए गए और/या उक्त विनिर्देशों में बताए गए और मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों को उसमें दी गई संबंधित दरों पर, उसमें निकाली गई राशि या उसके तहत देय होने वाली किसी अन्य राशि (जिसे आगे "उक्त अनुबंध राशि" कहा गया है) के लिए करने के लिए सहमत हो गया है।

अब एतद्द्वारा निम्नलिखित पर सहमति हुई है:

1. उक्त शर्तों में बताए गए समय और तरीके से भुगतान की जाने वाली उक्त अनुबंध राशि के प्रतिफल में, ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन उक्त ड्रॉइंग में दिखाए गए तथा उक्त विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची में बताए गए कार्य को करेगा और पूरा करेगा।
2. बैंक ठेकेदार को उक्त अनुबंध राशि या देय होने वाली कोई अन्य राशि, उक्त शर्तों में बताए गए समय और तरीके से अदा करेगा।
3. इस अनुबंध के तहत कार्यों की आर्किटेक्चरल योजना और डिज़ाइन आदि के प्रयोजन के लिए उक्त शर्तों में "आर्किटेक्ट" शब्द का अर्थ 'महाप्रबंधक (तकनीकी)' होगा।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली कार्यों की निगरानी, बिलों के प्रमाणन, भुगतान करने और अनुबंध के विभिन्न नियमों, शर्तों और प्रावधानों को लागू करने का प्रशासन करेगा और इसकी सीधी व्यवस्था करेगा।
5. उक्त शर्तों और विभिन्न अनुसूचियों को इस करार का भाग मानकर पढ़ा और समझा जाएगा, और

इसके पक्षकार उक्त शर्तों का पालन करेंगे, उनके अधीन रहेंगे और उक्त शर्तों में दिए गए अपने-अपने करारों को पूरा करेंगे।

6. यहाँ उल्लिखित करार और दस्तावेज़ इस अनुबंध का आधार होंगे।

7. यह अनुबंध न तो एकमुश्त (लम्प सम) अनुबंध है और न ही पीस वर्क अनुबंध है, बल्कि "आरएसओ फ्लैट, तीसरी मंज़िल, एनेक्सी बिल्डिंग, एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली का नवीनीकरण" से संबंधित कार्य करने का अनुबंध है, जिसका भुगतान दरों और संभावित मात्राओं की अनुसूची में दी गई दर पर या उक्त शर्तों में दिए गए प्रावधान के अनुसार वास्तव में मापी गई मात्राओं के आधार पर किया जाएगा।

8. ठेकेदार आरएसओ फ्लैट, तीसरी मंज़िल, एनेक्सी बिल्डिंग, एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली के नवीनीकरण से संबंधित सभी कार्यों और अन्य सहायक कार्यों को उक्त शर्तों में बताए गए तरीके से करने के लिए हर उचित सुविधा देगा और ऐसे कार्य पूरे होने के बाद दीवारों, फ़र्श आदि को हुई किसी भी क्षति को ठीक करेगा।

9. बैंक को इस अनुबंध पर असर डाले बिना, कार्य के आइटम जोड़कर या हटाकर या उनके कुछ हिस्से करवाकर ड्रॉइंग और कार्य की प्रकृति में बदलाव करने का अधिकार है।

10. इस अनुबंध में समय को सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा और ठेकेदार एतद्द्वारा सहमत है कि वह साइट सौंपे जाने के तुरंत बाद या उक्त शर्तों में दी गई कार्य आरंभ की निर्धारित तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो, कार्य शुरू करेगा और समय-वृद्धि के प्रावधानों के अधीन पूरा कार्य 90 दिनों के भीतर पूरा करेगा।

11. इस अनुबंध के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल नई दिल्ली में किए जाएँगे।

12. इस करार से उत्पन्न या किसी भी तरह इससे जुड़े सभी विवाद नई दिल्ली में उत्पन्न हुए माने जाएँगे और केवल नई दिल्ली के न्यायालयों को ही उन पर निर्णय करने का क्षेत्राधिकार होगा।

13. कि इस अनुबंध के विभिन्न भागों को ठेकेदार ने पढ़ लिया है और पूरी तरह समझ लिया है। बैंक के प्रभारी इंजीनियर के विशेष लिखित निर्देशों द्वारा आदेश दिए जाने के अलावा, ठेकेदार निविदा में दी गई मात्राओं से अधिक मात्राओं के भुगतान का हकदार नहीं होगा।

14. गोपनीयता (नॉन-डिस्क्लोज़र) क्लॉज़ –

ठेकेदार और उसके द्वारा बैंक परिसर में सीधे या परोक्ष रूप से लगाए गए कर्मचारी, इस अनुबंध के संबंध में अपने अनुबंधीय दायित्वों को पूरा करने के दौरान ठेकेदार के पास आने वाली या उसकी जानकारी में आने वाली बैंक के बुनियादी ढाँचे / प्रणालियों / उपकरणों आदि से संबंधित किसी भी

जानकारी, सामग्री और विवरण को सीधे या परोक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएँगे और उन्हें हर समय पूरी तरह गोपनीय रखेंगे। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि उसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार या उसके कर्मचारी बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी व्यापारिक या तकनीकी पत्र-पत्रिका में या कहीं और कार्यों का कोई विवरण प्रकाशित नहीं करेंगे, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देंगे या उसका खुलासा नहीं करेंगे। ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा किसी गोपनीय जानकारी के खुलासे के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी भी हानि के लिए ठेकेदार बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन न करना ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक हर्जाने/अनुबंध समाप्ति का दावा करने और कानूनी उपाय अपनाने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कदम उठाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह पूरे हों। गोपनीयता और जानकारी का खुलासा न करने संबंधी ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की अवधि समाप्त होने या इसके समाप्त किए जाने के बाद भी लागू रहेंगे।

15. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कदम उठाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह पूरे हों।

16. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

क. बैंक परिसर में "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूरी तरह पालन करने की ज़िम्मेदारी केवल ठेकेदार की होगी।

ख. बैंक परिसर में ठेकेदार के अपने कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत की स्थिति में, शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी, जो शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

ग. ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति संज्ञान लेगी।

घ. यदि घटना में ठेकेदार का कर्मचारी शामिल है, तो देय किसी भी आर्थिक मुआवज़े के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा, उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है तो बैंक के कर्मचारी को दी जाने वाली कोई आर्थिक राहत।

ङ. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और उससे संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को

जागरूक करने की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

च. ठेकेदार बैंक परिसर में लगाए गए अपने कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची देगा।

17. गोपनीयता और जानकारी का खुलासा न करने संबंधी ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की अवधि समाप्त होने या इसके समाप्त किए जाने के बाद भी लागू रहेंगे। कि इस अनुबंध के विभिन्न भागों को ठेकेदार ने पढ़ लिया है और पूरी तरह समझ लिया है।

18. **अप्रत्याशित घटना (फ़ोर्स मेज्योर) की शर्तें:** इस दस्तावेज़ में दी गई किसी भी अन्य बात के बावजूद, कोई भी पक्ष इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में हुई किसी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि ऐसी देरी उसके उचित नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुई हो, जिनमें बिना किसी सीमा के सरकारों के कार्यों, दैवी घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, हड़तालों, किसी क्षेत्र में दंगों, आतंकवादी हमले, युद्ध (घोषित और अघोषित) के कारण हुई देरी शामिल है। फिर भी, देरी पैदा करने वाली ऐसी कोई घटना होने पर ठेकेदार तुरंत इसकी लिखित सूचना बैंक को देगा। ठेकेदार अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य है। ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के ऐसे पालन के संबंध में अनुबंध समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। घटना समाप्त होने या उसका अस्तित्व खत्म होने के बाद यथाशीघ्र अनुबंध के तहत दायित्वों का पालन फिर से शुरू किया जाएगा। यदि घटना के कारण अनुबंध के तहत किसी दायित्व का पालन आपसी सहमति से तय अवधि से अधिक समय तक रुका रहता है या उसमें देरी होती है, तो कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध समाप्त कर सकता है।

कि इस अनुबंध के विभिन्न भागों को ठेकेदार ने पढ़ लिया है और पूरी तरह समझ लिया है।

जिसके साक्ष्य में बैंक और ठेकेदार ने ऊपर सबसे पहले लिखे गए दिन और वर्ष को इस विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।	यदि ठेकेदार साझेदारी फर्म या व्यक्ति है।
जिसके साक्ष्य में बैंक ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से इस विलेख पर हस्ताक्षर किए हैं और ठेकेदार ने इस पर अपनी सामान्य मुहर (कॉमन सील) लगवाई है और इस विलेख को ऊपर सबसे पहले लिखे गए दिन और वर्ष को अपनी ओर से निष्पादित करवाया है।	यदि ठेकेदार कंपनी है।

हस्ताक्षर क्लॉज़

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इनके हाथों हस्ताक्षरित और

सुपुर्द किया गया

श्री

(नाम और पदनाम)

की उपस्थिति में (1)

पता

(2)

पता

गवाह

द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द किया गया

की उपस्थिति में

(1)

पता

(2)

पता

यदि पक्ष साझेदारी फर्म या व्यक्ति है, तो सभी साझेदारों द्वारा या सभी साझेदारों की ओर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

गवाह

की सामान्य मुहर (कॉमन सील)

इसके निदेशक मंडल द्वारा _ को हुई बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसार यहाँ लगाई गई, इनकी उपस्थिति में

(1)

(2)

उन निदेशकों की, जिन्होंने इसके प्रमाण में इस विलेख पर हस्ताक्षर किए हैं, इनकी उपस्थिति में

(1)

(2)

यदि ठेकेदार अपनी सामान्य मुहर के तहत हस्ताक्षर करता है, तो हस्ताक्षर क्लॉज़ संस्था के अंतर्नियमों (आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन) में दिए गए मुहर संबंधी क्लॉज़ से मेल खाना चाहिए।

ठेकेदार द्वारा श्री _और विधिवत नियुक्त मुख्तार के हाथों हस्ताक्षरित और सुपुर्द किया गया।

यदि ठेकेदार, चाहे कंपनी हो या व्यक्ति, मुख्तारनामा धारक के हाथों हस्ताक्षर कर रहा है।

तारीख: (मुहर)

अनुलग्नक V - भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचन-पत्र / घोषणा / प्रमाण-पत्र का प्रोफ़ॉर्मा

(बोलीदाताओं द्वारा अपने लेटरहेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहर लगाकर और हस्ताक्षर करके जमा किया जाए)

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
नई दिल्ली

कार्य का नाम:

मैंने/हमने ......(बोलीदाता का नाम और पता, स्थान वाले देश सहित) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों के संबंध में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, सार्वजनिक खरीद प्रभाग द्वारा जारी 23 जुलाई 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) फ़ा.सं. 6/18/2019-पीपीडी और उसके बाद के आदेशों / संशोधनों की विषय-वस्तु पढ़ और समझ ली है।

2. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि (बोलीदाता का नाम)

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या

ख. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत है, जिसका प्रमाण-पत्र संलग्न है, या

ग. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले ऐसे देश से है जिसे भारत सरकार ने ऋण सहायता (लाइन ऑफ़ क्रेडिट) दी है, या

घ. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले ऐसे देश से है जहाँ भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है।

(ऊपर दिए गए विकल्पों में से जो लागू नहीं है, उसे काट दें)

3. मैं/हम आगे प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि....(बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और ऊपर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन और उसके बाद के आदेशों / संशोधनों के प्रावधान के तहत विचार किए जाने के लिए पात्र है। मैं/हम यह वचन भी देता हूँ/देते हैं कि उन अनुबंधों के मामले में भी जहाँ बैंक/आरबीआई हमें उप-ठेका देने की अनुमति देता है, मैं/हम (बोलीदाता का नाम) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश(शों) के किसी ठेकेदार को कोई कार्य उप-ठेके पर नहीं देंगे, जब तक कि ऐसा ठेकेदार ऊपर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन/ आदेश में दी गई सभी आवश्यकताओं को पूरा न करता हो।

4. मैं/हम जानता हूँ/जानते हैं और समझता हूँ/समझते हैं कि यदि हमारे द्वारा जमा किया गया यह वचन-पत्र / घोषणा / प्रमाणन / प्रमाण-पत्र झूठा पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा / कार्य आदेश को अस्वीकार / समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, और बैंक कानून के अनुसार बयाना राशि (ईएमडी) / परफॉर्मेंस बैंक गारंटी / प्रतिभूति जमा राशि ज़ब्त करने और / या हमें भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करने सहित कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए भी स्वतंत्र होगा।

बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम, मुहर सहित

तारीख:

स्थान:

अनुलग्नक VI- परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का प्रोफ़ॉर्मा

(जारी करने वाले बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान: ____________________

तारीख:

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
नई दिल्ली

महोदय/महोदया,

आरएसओ फ्लैट, तीसरी मंज़िल, एनेक्सी बिल्डिंग, एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली के नवीनीकरण के लिए ई-निविदा – **परफॉर्मेंस बैंक गारंटी**

चूँकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, ने अपने कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली (जिसे आगे “आरबीआई” कहा गया है) के माध्यम से उपरोक्त कार्य का अनुबंध (जिसे आगे "अनुबंध" कहा गया है) मेसर्स _____ (ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे "उक्त ठेकेदार" कहा गया है और इस शब्द में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) को दिया है।

और चूँकि उक्त ठेकेदार उक्त अनुबंध के तहत अनुबंध में दी गई शर्तों को विधिवत पूरा करने के लिए आरबीआई को कुल ₹____(रुपये _____ मात्र) (राशि अंकों और शब्दों में) की कार्य निष्पादन गारंटी जमा करने के लिए बाध्य है।

हम, ___________________ (बैंक का नाम), (जिसे आगे “बैंक” कहा गया है), ठेकेदार मेसर्स __________ के अनुरोध पर, अनुबंध के नियमों और शर्तों को विधिवत पूरा करने के लिए कार्य निष्पादन गारंटी के रूप में आरबीआई को अधिकतम ₹_तक की राशि का भुगतान करने का एतद्द्वारा वचन देते हैं।

अब यह गारंटी साक्ष्य देती है कि

1. हम___________________(बैंक का नाम) एतद्द्वारा आरबीआई, उसके उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों से सहमत हैं और वचन देते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ठेकेदार ने अनुबंध की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हम पर और उक्त ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा, तो हम आरबीआई द्वारा माँगे जाने पर बिना किसी आपत्ति के

आरबीआई को ₹__________(रुपये___मात्र) की राशि या आरबीआई द्वारा माँगी गई कोई कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित पालन के लिए कार्य निष्पादन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के लिए हमारी देनदारी ₹ __________ (रुपये____________________ मात्र) से अधिक नहीं होगी।

2. हम यह भी वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि ऊपर बताई गई अधिकतम ₹_________________________ (रुपये___________________मात्र) तक की राशि का भुगतान हम आरबीआई से केवल यह लिखित सूचना मिलने पर कि राशि उन्हें देय है, बिना किसी आपत्ति या विरोध के करेंगे, और हम कोई अन्य प्रमाण या सबूत नहीं माँगेंगे। आरबीआई की सूचना हम पर निर्णायक और बाध्यकारी होगी और हम उस पर किसी भी तरह या किसी भी रूप में प्रश्न नहीं उठाएँगे। ठेकेदार द्वारा इससे संबंधित किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ(थों) के समक्ष लंबित किसी वाद या कार्यवाही में उठाए गए किसी विवाद/विवादों के बावजूद बैंक इस तरह माँगी गई कोई भी राशि आरबीआई को अदा करेगा, और इस गारंटी के तहत देनदारी पूर्ण और बिना शर्त होगी। हम ऊपर बताई गई सूचना मिलने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर आरबीआई द्वारा माँगी गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच हुए करार या करारों या अन्य समझौतों से स्वतंत्र होगा।

4. आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे। हम एतद्द्वारा आगे सहमत हैं कि –

क. उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त अनुबंध और/या इसके तहत निर्धारित किसी भी नियम और शर्त के पालन में आरबीआई की ओर से कोई छूट या कोई कार्य, या आरबीआई द्वारा ठेकेदार को कोई समय देना या कोई रियायत देना या इससे जुड़ी कोई अन्य बात हमें या इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व को किसी भी तरह समाप्त नहीं करेगी। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों के पालन से, और ऐसा न करने की स्थिति में हमारे द्वारा अधिकतम ₹. __________________________________(रुपये____________________ मात्र) तक की राशि के भुगतान से ही समाप्त होगी।

ख. इस विलेख के तहत हमारी देनदारी ₹...... (रुपये.... मात्र) की राशि से अधिक नहीं होगी।

ग. इस करार के तहत हमारी देनदारी हमारे उक्त ग्राहकों की ओर से किसी कमी या अनियमितता से, या उसके तहत उनके दायित्वों से, या हमारे उक्त ग्राहकों के विघटन या उनके गठन में बदलाव से प्रभावित नहीं होगी।

घ. यह गारंटी..... (अनुबंध की समाप्ति के 60 दिन बाद तक) लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई चाहे

तो इस गारंटी को यहाँ दिए गए उन्हीं नियमों और शर्तों पर उनके द्वारा बताई गई आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

ङ. जब तक इस विलेख का ऊपर दिए गए प्रावधान के अनुसार नवीनीकरण नहीं किया जाता, इसके तहत हमारी देनदारी को, या उस दिन....... जब हमारे उक्त ग्राहक अपने दायित्वों का पालन कर लें, जिसके लिए केवल आरबीआई का लिखित प्रमाण-पत्र ही निर्णायक प्रमाण होगा, इनमें से जो भी तारीख बाद में हो, समाप्त हो जाएगी। जब तक बैंक गारंटी की समाप्ति तारीख या किसी बढ़ाई गई अवधि से छह महीनों के भीतर हमारे विरुद्ध कोई दावा, वाद या कार्यवाही दायर नहीं की जाती, तब तक इस गारंटी के तहत हमारे विरुद्ध आरबीआई के सभी अधिकार समाप्त हो जाएँगे और हम इसके तहत अपने सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त हो जाएँगे।

जिसके साक्ष्य में बैंक की ओर से मैंने/हमने, विधिवत अधिकृत होकर, -------- --दिन (माह) (वर्ष) को इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और मुहर लगाई है।

____ (बैंक का नाम) के लिए और उसकी ओर से

बैंक के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम

बैंक की मुहर

ऊपर नामित व्यक्ति द्वारा बैंक के लिए और उसकी ओर से, इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षरित, मुहरबंद और सुपुर्द किया गया:

गवाह 1

हस्ताक्षर .... नाम ....

पता ....

(ध्यान दें: इस गारंटी पर उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क लगेगा जहाँ इसे निष्पादित किया जाता है, और इस पर उस अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे जिसके हस्ताक्षर और अधिकार का सत्यापन किया जाएगा)

जिस परिशिष्ट का पहले उल्लेख किया गया है

पहले उल्लिखित शर्तों के क्लॉज़ों का संदर्भ तथा ठेकेदार के लिए सामान्य निर्देशों और विशेष शर्तों का संदर्भ

पैरा सं.	**संदर्भ**	**विवरण**
खंड IV(ख) सामान्य नियम और शर्तों का 21	दोष दायित्व अवधि	बारह महीने
खंड III (क) बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देशों का 16	दी गई दरों की वैधता	निविदा का भाग I खोलने की तारीख से 90 दिन
खंड IV(ख) सामान्य नियम और शर्तों का 27	अंतिम माप की अवधि	कार्य के लगभग पूरा होने (वर्चुअल कम्प्लीशन) की तारीख से तीन महीने।
खंड III (क) बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देशों का 18	पूर्णता की तारीख	कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय कार्य आदेश जारी होने की तारीख के 14वें दिन से 120 दिन है।
खंड IV(ख) सामान्य नियम और शर्तों का 5	परिनिर्धारित नुकसानी की दर	पूरे कार्य के लिए अनुबंध राशि के अधिकतम 10% के अधीन, अनुबंध राशि के 0.25% प्रति सप्ताह की दर से एलडी। निविदाकार कार्य शुरू करने से पहले कार्य का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेगा, जिसे बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
खंड III (क) बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देशों का 22	प्रतिधारण प्रतिशत	प्रत्येक बिल से 5%
खंड IV(ख)	भुगतान के लिए प्रमाण-	अनुबंध के सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने

सामान्य नियम और शर्तों का 27	पत्र का भुगतान करने की अवधि	के अधीन, अंतिम बिल के लिए तीन महीने।

तारीख: - निविदाकार के हस्ताक्षर और मुहर

स्थान: - नाम और पता: फ़ोन/मोबाइल नंबर

सुरक्षा संहिता

1. आसानी से मिल सकने वाली जगह पर प्राथमिक चिकित्सा का सामान रखा जाएगा, जिसमें पर्याप्त मात्रा में कीटाणुरहित पट्टियाँ और रुई शामिल हैं।

2. जिन मामलों में चोट के कारण अस्पताल में भर्ती करना ज़रूरी हो, घायल व्यक्ति को बिना समय गँवाए पास के सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा।

3. जो कार्य ज़मीन पर खड़े होकर सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, उन सभी कार्यों के लिए कामगारों को उपयुक्त और मज़बूत मचान (स्कैफ़ोल्ड) दिए जाने चाहिए।

4. कोई भी पोर्टेबल एकल सीढ़ी 8 मीटर से अधिक लंबी नहीं होगी। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (खाली जगह) से कम नहीं होगी और दो पास-पास के डंडों (रंग) के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होगी। सीढ़ी का उपयोग करते समय सीढ़ी पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा।

5. खोदी गई सामग्री खाई (ट्रेंच) के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की गहराई के आधे, इनमें से जो भी अधिक हो, के भीतर नहीं रखी जाएगी। सभी खाइयों और खुदाई वाली जगहों पर आवश्यक बाड़ और रोशनी की व्यवस्था की जाएगी।

6. भवन के फ़र्श या कार्य प्लेटफ़ॉर्म में हर खुली जगह पर व्यक्तियों या सामग्री को गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त बाड़ या रेलिंग लगाई जाएगी, जिसकी न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर होगी।

7. ढाँचे के किसी भी फ़र्श, छत या अन्य भाग पर मलबे या सामग्री का इतना अधिक भार नहीं डाला जाएगा कि वह असुरक्षित हो जाए।

8. एस्फ़ाल्ट, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसी सामग्री को मिलाने और संभालने में लगे कामगारों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने दिए जाएँगे।

9. (i) लेड (सीसा) वाले किसी भी पेंट का उपयोग पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप के अलावा नहीं किया जाएगा।

   (ii) जब पेंट स्प्रे के रूप में लगाया जा रहा हो या लेड पेंट वाली सतह को सूखा रगड़ा और खुरचा जा रहा हो, तब कामगारों के उपयोग के लिए उपयुक्त फ़ेस मास्क दिए जाने चाहिए।

10. ठेकेदार द्वारा पेंटरों को ओवरऑल (कार्य-पोशाक) दिए जाएँगे और काम बंद होने के समय पेंटरों के हाथ-मुँह धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ दी जाएँगी।

11. कार्यों में उपयोग की जाने वाली होइस्टिंग मशीनें और टैकल, उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट सहित, पूरी तरह ठीक कार्य-स्थिति में होंगे।

12. सामग्री को ऊपर चढ़ाने या नीचे उतारने में या सहारे के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता की, पर्याप्त मज़बूत और दोष-रहित होंगी।
13. बाहरी कार्य को ढकने और परिसर में रहने वालों को किसी भी चोट से बचाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जाल लगाया जाना है।
14. भारी एम.एस. ढाँचे के कार्य के दौरान किसी कामगार को चोट और आसपास के भवनों आदि को क्षति से बचाने के लिए साइट पर सभी सुरक्षा उपाय किए जाएँगे।

स्थान: निविदाकार के हस्ताक्षर, मुहर सहित

तारीख: नाम और पता**:**

फ़ोन नंबर/मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी

विशेष निर्देश

1. कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय: **कार्य आदेश जारी होने की तारीख के 14वें दिन से 120 दिन**। यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं करता है, तो उसे पूरे कार्य के लिए अनुबंध राशि के अधिकतम 10% के अधीन **अनुबंध राशि के 0.25% प्रति सप्ताह की दर से एलडी** देनी होगी। ठेकेदार कार्य शुरू करने से पहले कार्य का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेगा, जिसे बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। मज़दूरों को साइट पर रहने की अनुमति नहीं होगी।

2. ठेकेदार को सभी सामग्री, औज़ार और प्लांट आदि को कार्य स्थल पर ऊपर चढ़ाने, और उन्हें मलबे तथा बचाई गई सामग्री के साथ नीचे उतारने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, जिससे कोई धूल, परेशानी, सामग्री का गिरना या सुरक्षा का खतरा न हो। इसके लिए ठेकेदार को अपनी योजना बैंक से पहले ही अनुमोदित करवानी होगी और सुझाए गए बदलावों को शामिल करना होगा। साइट पर एक ट्रक से अधिक मलबा जमा करने की अनुमति नहीं होगी।

3. ठेकेदार को कर्मचारियों, परिसर में रहने वालों और आने वाले लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक समय तक उचित और पर्याप्त होर्डिंग स्क्रीन और बाड़ लगानी होगी और कार्य के दौरान उसे अच्छी स्थिति में रखना होगा, और जहाँ आवश्यक हो, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रात में ऐसी होर्डिंग या बाड़ पर अच्छी रोशनी करनी होगी। इसके लिए फर्म को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्य के दौरान हुई किसी भी क्षति को ठेकेदार को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के ठीक करना होगा। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपने हित में कार्य की प्रकृति और मात्रा का आकलन करने के लिए साइट का निरीक्षण करें।

4. ठेकेदार को भवन के अंदर कोई भी मलबा रखने की अनुमति नहीं होगी। सारे मलबे को उपयुक्त चूट (ढलान वाली नली) से नीचे ज़मीन तक लाने और बैंक परिसर से बाहर ले जाने से पहले बताई गई जगह पर ढेर लगाने के लिए प्रभारी इंजीनियर के पूर्व अनुमोदन से पहले ही आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

5. लगाए गए कार्य प्लेटफ़ॉर्म ऐसे होंगे जिनसे कामगारों और सुपरवाइज़रों को सुरक्षित रूप से कार्य करने में आसानी हो और जो कम से कम तीन से चार स्तरों पर एक साथ व्यक्तियों, सामग्री और मलबे का भार सह सकें।

6. ठेकेदार भवन के अंदर धूल, गंदगी, शोर/परेशानी को कम से कम रखने का प्रयास करेगा। धूल-मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए ठेकेदार अपने खर्च पर रोज़ाना क्षेत्र की सफ़ाई भी करवाएगा।

7. मरम्मत का कार्य भवन में लोगों के रहते हुए करना है। ठेकेदार को अपना पूरा सहयोग देना होगा

ताकि जहाँ तक संभव हो, रहने वालों को कम से कम असुविधा हो।

8. ठेकेदार उपलब्ध पानी/बिजली का कनेक्शन लेने की व्यवस्था स्वयं करेगा और उनका उपयोग किफ़ायत से करेगा।

तारीख: - ठेकेदार के हस्ताक्षर, नाम और मुहर सहित

स्थान: - पता: फ़ोन/मोबाइल नंबर......ई-मेल आईडी...

<u>सामग्री, विनिर्देश और माप का तरीका</u>

<u>सामग्री</u>

1. गुणवत्ता

कार्यों में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री संबंधित बीआईएस के अनुरूप और यहाँ बताए गए अपने-अपने प्रकार की सर्वोत्तम गुणवत्ता की होगी, अनुमोदित मेक की होगी, और आगे बताए गए परीक्षणों का, या जहाँ सूची/विनिर्देश में परीक्षण नहीं दिए गए हैं वहाँ इंजीनियर द्वारा अनुमोदित संबंधित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण की आवश्यकताओं का पूरी तरह पालन करेगी।

2. निरीक्षण और परीक्षण

यदि आवश्यक हो, तो कार्यों में लगाने से पहले सभी सामग्री का अनुबंध की शर्तों और विनिर्देशों में अन्यत्र दिए गए प्रावधान के अनुसार निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा। संबंधित मानकों के सभी परीक्षणों के लिए सभी नमूनों की लागत अनुबंध दरों में शामिल मानी जाएगी। कोई भी सामग्री तब तक कार्यों में उपयोग नहीं की जाएगी जब तक इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि ने पहले उसे अनुमोदित न कर दिया हो। साइट पर दी गई सामग्री के लॉट के साथ संबंधित सामग्री का निर्माता का परीक्षण प्रमाण-पत्र होगा। सामग्री को तीसरे पक्ष के पास परीक्षण के लिए भेजा जा सकता है; **यदि बैंक के इंजीनियर द्वारा आवश्यक समझा जाए,** तो गुणवत्ता नियंत्रण का काम सीधे आईआईटी, एनआईटी, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) और अन्य केंद्रीय/ राज्य सरकार के संस्थानों को सौंपा जा सकता है, **और इसकी लागत ठेकेदार के बिल से वसूल की जाएगी।**

3. नमूने

कार्यों में उपयोग किए जाने वाले या लगाए जाने वाले और ठेकेदार द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रस्तावित सामग्री के नमूने इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी समय माँगे जा सकते हैं।

4. स्वतंत्र परीक्षण।

यदि आवश्यक हो, तो आपूर्तिकर्ता के कारखाने में हुए परीक्षणों और विश्लेषण की जाँच के लिए इंजीनियर/ बैंक द्वारा नियुक्त किसी टेस्टिंग हाउस/एनआईटी/आईआईटी/ या विश्लेषक द्वारा समय-समय पर किसी भी सामग्री का स्वतंत्र परीक्षण और विश्लेषण किया जा सकता है। परीक्षण की प्रक्रिया और स्वीकृति के मानदंड संबंधित आईएस कोड में बताए अनुसार होंगे। ठेकेदार अपने खर्च पर इंजीनियर द्वारा बताई गई सामग्री किसी टेस्टिंग हाउस या विश्लेषक को देगा और पहुँचाएगा। यदि किसी परीक्षण का परिणाम इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि की दृष्टि में संतोषजनक नहीं होता है, तो संबंधित सामग्री अस्वीकार कर दी जाएगी। सभी परीक्षणों की लागत ठेकेदार वहन करेगा।

5. माप का तरीका

जब तक अलग से न बताया गया हो, माप का तरीका आईएस कोड के नवीनतम संस्करण के अनुसार होगा।

अनुमोदित सामग्री की सूची

1. सभी सामग्री प्रथम गुणवत्ता की आईएसआई मार्क/ आईएसआई मानक वाली होगी।
2. यदि बताए गए अनुमोदित ब्रांड उपलब्ध नहीं हैं, तो कार्य में केवल बैंक / बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित समकक्ष मेक का ही उपयोग किया जाएगा।
3. जहाँ भी ठेकेदार समकक्ष मेक (अर्थात बताए गए मेक के अलावा) का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है, वह बैंक / बैंक के इंजीनियर के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। इसके कारण होने वाला कोई भी अतिरिक्त खर्च और समय पूरी तरह ठेकेदार के खाते में होगा और इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

सीमेंट	ओपीसी (एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा, बिड़ला, रामको या अनुमोदित समकक्ष मेक)।
टीएमटी स्टील बार	टाटा टिस्कॉन, जेएसडब्ल्यू नियोस्टील, सेल या अनुमोदित समकक्ष मेक।
स्ट्रक्चरल स्टील	टाटा, सेल, जिंदल हिसार, जेएसडब्ल्यू या अनुमोदित समकक्ष मेक।
वॉटरप्रूफ़िंग केमिकल	पिडिलाइट, फ़ॉसरॉक, सीका, बीएएसएफ़ या अनुमोदित समकक्ष मेक।
वॉल पुट्टी	जेके वॉल पुट्टी, बिड़ला व्हाइट, एशियन पेंट्स या अनुमोदित समकक्ष मेक।
पेंट और प्राइमर	एशियन, ड्यूलक्स, बर्जर या अनुमोदित समकक्ष
विट्रिफ़ाइड और सिरेमिक टाइलें	कजारिया, जॉनसन, सोमानी या कोई अन्य अनुमोदित समकक्ष मेक
टाइल एडहेसिव और ग्राउट	एमवाईके लैटिक्रीट, रॉफ़ (पिडिलाइट), आर्डेक्स एंड्यूरा या अनुमोदित समकक्ष मेक।
प्लाईबोर्ड / डब्ल्यूपीसी बोर्ड	सेंचुरी, ग्रीनप्लाई, किटप्लाई या अनुमोदित समकक्ष मेक।
जिप्सम सीलिंग टाइलें	सेंट-गोबेन जिप्रॉक, यूएसजी बोरल, आर्मस्ट्रांग या अनुमोदित समकक्ष मेक।
लैमिनेट	ग्रीनलैम, सेंचुरी लैमिनेट्स, मेरिनो लैमिनेट्स या अनुमोदित समकक्ष मेक।

आर्किटेक्चरल हार्डवेयर	गोदरेज, हेटिख, डोरसेट, ओज़ोन या अनुमोदित समकक्ष मेक।
सैनिटरी वेयर	जैक्वार, हिंदवेयर, पैरीवेयर या अनुमोदित समकक्ष मेक।
सीपी ब्रास फ़िटिंग्स	जैक्वार, कोहलर इंडिया, हिंदवेयर, पैरीवेयर या अनुमोदित समकक्ष मेक।
सीपीवीसी और यूपीवीसी पाइप	सुप्रीम पाइप्स, एस्ट्रल पाइप्स, आशीर्वाद पाइप्स या अनुमोदित समकक्ष मेक।
स्टेनलेस स्टील सिंक	निराली, जैना, नीलकंठ या अनुमोदित समकक्ष मेक।
किचन हार्डवेयर और स्लाइड	हेटिख, हैफ़ेल, गोदरेज या अनुमोदित समकक्ष

नोट: सभी सामग्री कार्य में उपयोग से पहले "बैंक के इंजीनियर" से अनुमोदित करवाई जानी चाहिए।

स्थान: निविदाकार के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख: नाम और पता

फ़ोन/मोबाइल नंबर : ई-मेल आईडी:

मात्रा की अनुसूची की प्रस्तावना

1. कार्य ऐसे परिसर में किया जाना है जहाँ लोग रह रहे हैं, इसलिए इसे रहने वालों को कम से कम परेशानी के साथ किया जाएगा। आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएँगे।

2. ठेकेदार निविदा भरने से पहले साइट से परिचित होने के लिए साइट का निरीक्षण करेंगे, ताकि कार्य की प्रकृति, दायरा और किसी भी बाधा सहित उपलब्ध कार्य-स्थान को समझ सकें।

3. साइट पर कार्य करते समय सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाएगा और सभी कामगारों को सेफ़्टी बेल्ट, दस्ताने, हेलमेट आदि दिए जाएँगे।

4. साइट पर किसी दुर्घटना/घटना से बचने के लिए सामग्री को ठीक से और सावधानी से ढेर लगाकर सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

5. आसपास के नगरपालिका फ़ुटपाथ पर या परिसर के भीतर कोई मलबा नहीं रखा जाएगा और ढेर लगने से बचाने के लिए उसे समय-समय पर हटाया जाएगा। कार्य से निकला मलबा नीचे लाया जाएगा और केवल बैंक के इंजीनियर द्वारा बताई गई जगह पर ही उचित रूप से ढेर लगाया जाएगा।

6. कार्य में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री बैंक के इंजीनियर से पहले ही अनुमोदित करवाई जाएगी। साइट पर पहुँचाई गई सामग्री के डिलीवरी चालान की प्रतियाँ नियमित रूप से बैंक के इंजीनियर को जमा की जाएँगी।

7. सामग्री के ब्रांड का अंतिम चयन केवल बैंक द्वारा किया जाएगा। ठेकेदारों को ऊपर बताए गए अनुमोदित ब्रांडों को ध्यान में रखते हुए अपनी दरें देनी होंगी।

8. कार्य की निगरानी के लिए साइट पर पूर्णकालिक अनुभवी साइट सुपरवाइज़र तैनात किए जाएँगे। वह बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार दैनिक प्रगति रिपोर्ट, सामग्री खपत रजिस्टर, श्रम रिपोर्ट, सुरक्षा आदि का रिकॉर्ड रखने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

9. कार्य के दौरान यदि बैंक की संपत्ति को कोई क्षति होती है, तो उसे बैंक से बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के ठीक करवाया जाएगा। इस शर्त का पालन न करने पर बैंक द्वारा ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर इसे ठीक करवाया जाएगा।

10. कार्य पूरा होने के बाद पूरे क्षेत्र को बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि तक ठीक से साफ़ किया जाएगा और कोई मलबा आदि नहीं छोड़ा जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो बैंक फर्म के जोखिम और खर्च पर इसे करवाएगा।

11. दी गई दरों में जीएसटी शामिल होगा।
12. दी गई दरों में साइट की स्थिति के अनुसार मज़बूत मचान (स्कैफ़ोल्डिंग) शामिल होगी।
13. ठेकेदार राज्य सरकार/ केंद्र सरकार/ स्थानीय प्राधिकरणों के सभी नियमों और विनियमों का पालन करेगा, और ऐसे खर्चों को दी गई दरों में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।

स्थान:	ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर
तारीख:	नाम और पता
फ़ोन/मोबाइल नंबर:	ई-मेल आईडी:

भाग - II

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग

नई दिल्ली

बिना मूल्य वाली बोली (अन-प्राइस बिड)

(आइटम के विस्तृत विनिर्देशों के लिए)

कार्य का नाम: आरएसओ फ्लैट, तीसरी मंज़िल, एनेक्सी बिल्डिंग, एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली का नवीनीकरण

मद सं.	आइटम का विवरण	मात्रा	इकाई
	डिस्मेंटलिंग (तोड़ने) का कार्य		
1 (i)	पुराने प्लास्टर या स्कर्टिंग को सावधानी से तोड़ना, जोड़ों को खुरचना और प्लास्टर के लिए सतह को साफ़ करना, जिसमें 50 मीटर लीड के भीतर डंपिंग ग्राउंड तक कचरे का निपटान आदि शामिल है, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। लगभग मात्रा 10 वर्ग मी.	1.00	जॉब
(ii)	सीमेंट मोर्टार में बने ईंट के कार्य को हाथ से/ मशीनी साधनों से तोड़ना, जिसमें बैंक के निर्देशानुसार 50 मीटर लीड के भीतर उपयोग योग्य सामग्री का ढेर लगाना और अनुपयोगी सामग्री का निपटान शामिल है। लगभग मात्रा 3 घन मी.		
(iii)	आरसीसी/पीसीसी कार्य को हाथ से/ मशीनी साधनों से तोड़ना, जिसमें आरसीसी या आर.बी. कार्य में रीइन्फ़ोर्समेंट बार को हाथ से/ मशीनी साधनों से काटना, स्टील बार का ढेर लगाना और बैंक के निर्देशानुसार 50 मीटर लीड के भीतर अनुपयोगी सामग्री का निपटान शामिल है। लगभग मात्रा 1 घन मी.		
(iv)	सीमेंट मोर्टार में लगे दीवार के टाइल कार्य को तोड़ना, जिसमें बैंक के निर्देशानुसार 50 मीटर लीड के भीतर सामग्री का ढेर लगाना शामिल है। (मोर्टार सहित टाइलों की मोटाई 25 मिमी से 40 मिमी के लिए)। लगभग मात्रा 80 वर्ग मी.		

(v)	सीमेंट मोर्टार में लगे फ़र्श के टाइल/स्टोन कार्य को तोड़ना, जिसमें बैंक के निर्देशानुसार 50 मीटर लीड के भीतर सामग्री का ढेर लगाना शामिल है। मोर्टार सहित टाइलों की मोटाई 25 मिमी से 40 मिमी के लिए। लगभग मात्रा 90 वर्ग मी.		
(vi)	दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों (स्टील या लकड़ी) के शटर को चौखट, आर्किट्रेव, होल्डफ़ास्ट आदि सहित पूर्ण रूप से तोड़ना और बैंक के निर्देशानुसार 50 मीटर लीड के भीतर ढेर लगाना = लगभग 35 नग।		
(vii)	डब्ल्यू.सी. पैन / वॉश बेसिन / सभी आकार की सभी सैनिटरी और प्लंबिंग फ़िटिंग्स और फ़िक्सचर को तोड़ना, जिसमें मलबे सहित तोड़ी गई सामग्री का निपटान शामिल है, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण।		
(viii)	एल्युमिनियम/जिप्सम पार्टीशन / फ़ॉल्स सीलिंग को तोड़ना, जिसमें बैंक के निर्देशानुसार अनुपयोगी सामग्री का निपटान और 50 मीटर लीड के भीतर उपयोग योग्य सामग्री का ढेर लगाना शामिल है। लगभग मात्रा 25 वर्ग मी.		
(ix)	जी.आई., सी.आई., सीपीवीसी, यूपीवीसी आदि सभी प्रकार के पाइपों को तोड़ना, जिसमें हाथ से / मशीनी साधनों से चेज़िंग और बैंक के निर्देशानुसार 50 मीटर लीड के भीतर पाइपों का ढेर लगाना शामिल है; कार्य क्षेत्र और आसपास के आवश्यक स्थानों में लगे विभिन्न पाइप; 15 मिमी से 150 मिमी नॉमिनल बोर		
(x)	किचन काउंटर, अलमारी/कैबिनेट, अंडर काउंटर पार्टीशन, शेल्फ़ आदि को तोड़ना/हटाना, जिसमें सभी फ़िक्सचर, फ़िटिंग्स, स्क्रू, कीलें, हार्डवेयर और एक्सेसरीज़ को सावधानी से हटाना पूर्ण रूप से शामिल है। कार्य में निर्देशानुसार उपयोग योग्य सामग्री का ढेर लगाना और अनुपयोगी सामग्री/मलबे का परिसर के भीतर या निर्धारित स्थान पर निपटान शामिल होगा, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण।		
(xi)	बिल्ट-अप सेक्शन में स्टील कार्य को बिना अलग-अलग किए हाथ से/ मशीनी साधनों से तोड़ना और बैंक के निर्देशानुसार 50 मीटर लीड के भीतर ढेर लगाना। लगभग मात्रा 100 किग्रा		
(xii)	भवन के कचरे / मलबे / इसी तरह की अनुपयोगी, तोड़ी गई या बेकार		

	सामग्री (सभी डिस्मेंटलिंग कार्यों से निकली) का मशीनी साधनों से निपटान, जिसमें लोडिंग, परिवहन, और अनुमोदित नगरपालिका डंपिंग ग्राउंड पर उतारना शामिल है, शुरुआती 50 मीटर लीड से आगे, सभी लीड और लिफ़्ट के लिए, बैंक के निर्देशानुसार। लगभग मात्रा 20 घन मी.		
2	चिनाई (मेसनरी) का कार्य		
2.1	प्लिंथ लेवल से ऊपर सुपरस्ट्रक्चर में फ़्लोर V लेवल तक, क्लास डेज़िग्नेशन 7.5 की साधारण पकी हुई मिट्टी की एफ़पीएस (नॉन-मॉड्यूलर) ईंटें उपलब्ध कराना और लगाना, सभी आकार और साइज़ में आवश्यक मोटाई की ईंट चिनाई का कार्य सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट: 4 मोटी रेत) में, जिसमें जोड़ों को खुरचना, तराई, आवश्यक मचान आदि शामिल हैं, सभी लेवल और ऊँचाई पर बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण।	3.00	घन मी.
2.2	आधी ईंट की दीवार में स्थानीय रूप से उपलब्ध सर्वोत्तम गुणवत्ता की ईंटों से सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट: 4 मोटी रेत) में ईंट का कार्य उपलब्ध कराना और करना, जिसमें जोड़ों को खुरचना, तराई, आवश्यक मचान, और आधी ईंट की दीवार में हर चौथी परत पर 8 मिमी व्यास की दो टीएमटी स्टील रीइन्फ़ोर्समेंट बार उपलब्ध कराना और लगाना तथा पास की दीवारों से उचित एंकरिंग आदि शामिल है, सभी लेवल और ऊँचाई पर साइट की आवश्यकता के अनुसार बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण।	10.00	वर्ग मी.
3	रीइन्फ़ोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) कार्य।		
3.1	बीम, शेल्फ़, छज्जे, लिंटल, आरसीसी बैंड, सादे खिड़की सिल आदि के लिए आरसीसी 1:1½ :3 (1 सीमेंट: 1½ मोटी रेत: 3 स्टोन ग्रिट 20 मिमी और उससे छोटी) उपलब्ध कराना और डालना, जिसमें रीइन्फ़ोर्समेंट शामिल नहीं है, लेकिन कॉम्पैक्शन, सेंटरिंग, शटरिंग, स्ट्रटिंग, प्रॉपिंग, मचान और उन्हें हटाना, तराई, फ़िनिश, संबंधित घटकों को आवश्यक आधार देने के लिए पास की दीवारों में पॉकेट काटना आदि शामिल हैं, सभी ऊँचाई और लेवल पर, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। नोट: i) दरों में आरसीसी प्लेटफ़ॉर्म डालने के लिए मौजूदा ईंट चिनाई की दीवार में 50 मिमी गहराई तक चेज़िंग और सीमेंट मोर्टार 1:3 (1 सीमेंट: 3 मोटी रेत) में	0.40	घन मी.

	आसपास की दीवारों की आवश्यक मरम्मत आदि शामिल होगी, साइट की आवश्यकता के अनुसार बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण।		
3.2	आवश्यक व्यास की ग्रेड Fe-500D/Fe-550D की थर्मो-मैकेनिकली ट्रीटेड (टीएमटी) बार की आपूर्ति करना, सीधा करना, काटना, मोड़ना, अपनी जगह पर रखना और बाइंडिंग वायर से बाँधना, जिसमें बाइंडिंग वायर की लागत आदि शामिल है, सभी ऊँचाई और लेवल पर साइट पर बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण।	150.00	किग्रा
4	प्लेन सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) कार्य		
4.1	नॉमिनल मिक्स 1:3:6 (1 सीमेंट: 3 मोटी रेत: 6 स्टोन एग्रीगेट) की पीसीसी को सही लाइन, लेवल और ढलान में उपलब्ध कराना और डालना, जिसमें कॉम्पैक्ट करना, तराई करना और फ़्लोरिंग आदि की निचली परत लगाने के लिए ऊपरी सतह को खुरदुरा करना आदि शामिल है, साइट की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण।	1.34	घन मी.
5	वॉटरप्रूफ़िंग		
5.1	शौचालयों, स्नानघरों, बालकनी आदि के फ़िनिश्ड फ़्लोर लेवल (एफ़एफ़एल) से लगभग 300 मिमी गहराई वाले धँसे हुए (सनकन) हिस्से पर पिडिलाइट (पिडिफ़िन 2के आदि), फ़ॉसरॉक, सीका या किसी अन्य अनुमोदित समकक्ष के उत्पादों का उपयोग करके पॉलिमर आधारित दो-घटक वाली वॉटरप्रूफ़िंग कोटिंग ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना और लगाना, तथा धँसे हुए फ़र्श को ब्रिक बैट कोबा (सब-स्ट्रेट भराई के ऊपर लगभग 100-150 मिमी मोटा ब्रिक बैट कोबा बिछाया जाएगा) से आवश्यक परतों में, निर्माता के विनिर्देशानुसार अनुमोदित गुणवत्ता के वॉटरप्रूफ़िंग कंपाउंड मिले सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट: 4 मोटी रेत) में उपलब्ध कराना और ट्रीट करना, जिसमें ऊपरी और खड़ी सतह को वॉटरप्रूफ़ / लीक प्रूफ़ या किसी अन्य प्रोप्राइटरी बिना जोड़ वाले प्लास्टर या आईपीएस फ़्लोरिंग आदि से फ़िनिश करना शामिल है, साइट की आवश्यकता के अनुसार बैंक के निर्देशानुसार, ताकि अंतिम फ़्लोरिंग सतह लगाई जा सके, पूर्ण। नोट: - बताए गए कार्य के सभी उप-आइटम के भुगतान के लिए फ़िनिश्ड धँसे हुए फ़र्श और उसकी साइडों का केवल एक बार माप वर्ग मीटर में लिया जाएगा।	25.00	वर्ग मी.

6	सीमेंट प्लास्टर		
6.1	अंदरूनी ईंट चिनाई / कंक्रीट सतहों पर सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट :4 मोटी रेत) में 12-15 मिमी मोटा सीमेंट प्लास्टर उपलब्ध कराना और लगाना, जो समतल और चिकना फ़िनिश हो, सभी ऊँचाई और लेवल पर, जिसमें मचान, सतह को खुरदुरा करना, तराई और सफ़ाई, साइट की आवश्यकता के अनुसार फ़िनिशिंग आदि शामिल है, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। नोट: i) साइट की स्थिति के अनुसार प्लास्टर की अतिरिक्त मोटाई के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।	46.00	वर्ग मी.
7	मरम्मत कार्य		
7.1	2.5 वर्ग मी. और उससे कम क्षेत्रफल के पैच में 12 मिमी से 15 मिमी मोटाई के प्लास्टर (सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट: 4 मोटी रेत) से) की मरम्मत, जिसमें पैच को सही आकार में काटना, जोड़ों को खुरचना और दीवारों की सतह तैयार करके प्लास्टर करना शामिल है, जो समतल और चिकना फ़िनिश हो, सभी ऊँचाई और लेवल पर, जिसमें मचान, सतह को खुरदुरा करना, तराई और सफ़ाई, साइट की आवश्यकता के अनुसार फ़िनिशिंग आदि और डंपिंग ग्राउंड तक कचरे का निपटान शामिल है, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण।	25.00	वर्ग मी.
7.2	आरसीसी के छिले हुए हिस्से पर निर्माता के विनिर्देशों और बैंक के निर्देशों के अनुसार अनुमोदित मेक का एसबीआर पॉलिमर मॉडिफ़ाइड सीमेंटीशियस बॉन्ड कोट उपलब्ध कराने, मिलाने और लगाने के बाद, आरसीसी सदस्यों में कंक्रीट कवर के खराब हुए हिस्से पर अनुमोदित मेक का प्रीमिक्स्ड पॉलिमर मॉडिफ़ाइड मोर्टार उपलब्ध कराना, मिलाना और लगाना।	25.00	वर्ग मी.
8	ग्रेनाइट / टाइल कार्य		
8.1	दीवारों पर 150 मिमी ऊँची (लगभग) विट्रिफ़ाइड टाइल स्कर्टिंग उपलब्ध कराना और लगाना, जो अनुमोदित गुणवत्ता की 600 मिमी x 600 मिमी विट्रिफ़ाइड टाइलों से अनुमोदित डिज़ाइन के अनुसार काटी गई हो, साइट की आवश्यकता और अनुमोदित डिज़ाइन के अनुसार 12 मिमी या अधिक मोटे सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 ग्रे सीमेंट : 4 मोटी रेत) के बेड पर और टाइलों के पीछे सीमेंट स्लरी पेस्ट लगाकर सही लाइन और लेवल में	11.00	वर्ग मी.

	लगाई गई हो, जिसमें जोड़ों को मिलते रंग के पिगमेंट वाले सफ़ेद सीमेंट से भरना, सफ़ाई, तराई आदि पूर्ण रूप से शामिल है। दर में सभी लीड और लिफ़्ट सहित बैंक परिसर से बाहर मलबे के निपटान की लागत शामिल होगी, साइट की आवश्यकता के अनुसार बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। विट्रिफ़ाइड टाइलों की मूल दर = ₹650/- प्रति वर्ग मी., सभी कर/जीएसटी सहित (एक्स-गोदाम)।		
8.2	अनुमोदित गुणवत्ता की 600 मिमी x 600 मिमी या किसी अन्य आकार की विट्रिफ़ाइड टाइलें फ़्लोरिंग में अनुमोदित डिज़ाइन के अनुसार मौजूदा फ़र्श के ऊपर बैंक के निर्देशानुसार डिज़ाइन, पैटर्न, बॉर्डर आदि में उपलब्ध कराना और बिछाना, जो सीमेंट आधारित हाई पॉलिमर मॉडिफ़ाइड क्विक सेट टाइल एडहेसिव (पानी आधारित) से औसतन 6 मिमी मोटाई में और साइट की आवश्यकता के अनुसार सही लाइन, लेवल और ढलान में बिछाई गई हों, जिसमें जोड़ों को मिलते रंग के पिगमेंट वाले सफ़ेद सीमेंट से भरना, सफ़ाई, तराई आदि पूर्ण रूप से शामिल है। दर में सभी लीड और लिफ़्ट के साथ बैंक परिसर से बाहर मलबे के निपटान की लागत शामिल होगी, साइट की आवश्यकता के अनुसार और बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। विट्रिफ़ाइड टाइलों की मूल दर = ₹650/- प्रति वर्ग मी., सभी कर/जीएसटी सहित (दिल्ली में एक्स-गोदाम मूल्य)। नोट: टाइल फ़्लोरिंग कार्य की सही लाइन, लेवल और ढलान बनाए रखने और क्षति की मरम्मत आदि के लिए साइट की स्थिति के अनुसार आवश्यक बेड मोर्टार/ एडहेसिव की अतिरिक्त मोटाई के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, साइट की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण।	72.00	वर्ग मी.
8.3	स्नानघर, शौचालय में बैंक द्वारा अनुमोदित शेड, मेक और गुणवत्ता की 300 मिमी x 300 मिमी आकार की प्रथम गुणवत्ता की नॉन-स्किड सिरेमिक टाइलें अनुमोदित डिज़ाइन के अनुसार मौजूदा फ़र्श के ऊपर बैंक के निर्देशानुसार डिज़ाइन, पैटर्न, बॉर्डर आदि में उपलब्ध कराना और बिछाना, जो साइट की आवश्यकता के अनुसार औसतन 20 मिमी मोटाई के सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट : 4 मोटी रेत) बेड और सीमेंट स्लरी पेस्ट	12.00	वर्ग मी.

	पर सही लाइन, लेवल और ढलान में बिछाई गई हों, जिसमें जोड़ों को मिलते रंग के पिगमेंट वाले सफ़ेद सीमेंट से भरना, सफ़ाई, तराई आदि पूर्ण रूप से शामिल है। दर में सभी लीड और लिफ़्ट सहित बैंक परिसर से बाहर मलबे का निपटान शामिल होगा, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। प्रथम गुणवत्ता की नॉन-स्किड सिरेमिक टाइलों का मूल मूल्य ₹500/- प्रति वर्ग मी. होगा, एक्स-गोदाम सभी कर सहित।		
8.4	अनुमोदित गुणवत्ता की 300 मिमी x 600 मिमी या किसी अन्य आकार की सिरेमिक टाइलें दीवार डेडो में उपलब्ध कराना और लगाना, जो साइट की आवश्यकता के अनुसार सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट:4 मोटी रेत) में 12 मिमी मोटे (औसत) बैकिंग प्लास्टर पर और टाइलों के पीछे सीमेंट स्लरी / पेस्ट लगाकर सही लाइन, लेवल और प्लंब में लगाई गई हों, जिसमें जोड़ों को मिलते रंग के पिगमेंट वाले सफ़ेद सीमेंट से भरना, सफ़ाई, तराई आदि शामिल है, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। नोट: i) सिरेमिक टाइलों की मूल दर = ₹550/- प्रति वर्ग मी., सभी कर/जीएसटी सहित (अर्थात दिल्ली में एक्स-गोदाम मूल्य)। ii) दी गई दर में साइट की स्थिति के अनुसार चिकनी और समतल सतह पाने के लिए आवश्यक होने पर बैकिंग प्लास्टर की अतिरिक्त मोटाई की लागत शामिल होगी।	115.00	वर्ग मी.
8.5	मॉड्यूलर कुकिंग प्लेटफ़ॉर्म पर हर दिशा में एक ही लगातार टुकड़े में, 16 से 18 मिमी मोटा मशीन कट, एक तरफ़ मशीन पॉलिश, अनुमोदित रंग का ग्रेनाइट स्टोन, सामने 15 मिमी आगे निकला हुआ, 35 मिमी चौड़ी (लगभग) फ़ुल राउंड/डबल नोज़िंग पॉलिश वाली ग्रेनाइट पट्टी के साथ उपलब्ध कराना, लगाना और चिपकाना, जिसमें स्टोन के आधार के लिए अनुमोदित मेक का लगभग 18 मिमी मोटा डब्ल्यूपीसी बोर्ड उपलब्ध कराना और लगाना, आवश्यक एडहेसिव/स्क्रू से चिपकाना और ग्रेनाइट स्लैब को सही लाइन, लेवल और ढलान में ठीक से लगाना, तथा गैप को सिलिकॉन से सील करना शामिल है। दर में इस निविदा के आइटम संख्या 43 के अनुसार सिंक लगाने के लिए खुली जगह और खाँचा/रिबेट बनाना, गैप को उपयुक्त सीलेंट / सिलिकॉन से सील करके वॉटरटाइट बनाना, एलपीजी होज़ पाइप के लिए लगभग 16 मिमी व्यास का छेद	3.50	वर्ग मी.

	बनाना आदि शामिल होगा, साइट की आवश्यकता के अनुसार और बैंक के प्रभारी इंजीनियर की पूरी संतुष्टि तक पूर्ण। ग्रेनाइट स्टोन की मूल दर = ₹3000/- प्रति वर्ग मी., सभी कर सहित (अर्थात एक्स-गोदाम/शोरूम मूल्य)। नोट: इस आइटम के तहत कार्य के सभी उप-आइटम के भुगतान के लिए काउंटर/ग्रेनाइट के खुले ऊपरी/प्लान क्षेत्रफल को मापा जाएगा और सिंक की खुली जगह आदि के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी।		
8.6	काउंटर, खिड़की सिल, फ़ेशिया और इसी तरह के स्थानों के लिए आवश्यक आकार का, लंबाई में बिना बीच के जोड़ के एक ही टुकड़े में, अनुमोदित शेड, रंग और बनावट का 16 मिमी से 18 मिमी मोटा मशीन कट, एक तरफ़ मशीन पॉलिश ग्रेनाइट स्टोन उपलब्ध कराना और लगाना, जो 15 मिमी मोटे सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट : 4 मोटी रेत) के आधार पर लगाया गया हो, जोड़ों को मिलते रंग के पिगमेंट वाले सफ़ेद सीमेंट से भरा गया हो, जिसमें रगड़ाई, तराई, फ़ुल राउंड मोल्डिंग और सभी किनारों पर हाई ग्लॉस फ़िनिश के लिए पॉलिश आदि शामिल है, सभी लेवल पर, सभी लीड और लिफ़्ट आदि सहित, साइट की आवश्यकता के अनुसार बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। नोट: ग्रेनाइट स्टोन की मूल दर = ₹3000/- प्रति वर्ग मी., सभी कर/जीएसटी सहित (एक्स-गोदाम)।	40.00	वर्ग मी.
9	फ़ॉल्स सीलिंग		
9.1	595x595 मिमी आकार की 12.5 मिमी मोटी स्क्वेयर एज पीवीसी लैमिनेटेड जिप्सम टाइल से टाइल वाली फ़ॉल्स सीलिंग उपलब्ध कराना और लगाना। यह टाइल जिप्सम प्लास्टरबोर्ड से बनी हो, जिसके सामने की तरफ़ अग्निरोधी पीवीसी फ़िल्म और पीछे की तरफ़ मेटलाइज़्ड पॉलिएस्टर लैमिनेट हो, और सभी किनारे सामने की पीवीसी फ़िल्म से सील हों, जो किनारों के चारों ओर लिपटकर किनारों और पीछे की मेटलाइज़्ड पॉलिएस्टर फ़िल्म से चिपकी हो, ताकि टाइल बिल्कुल क्षैतिज लेवल में पूरी तरह सील यूनिट बन जाए। यह हॉट डिप्ड गैल्वनाइज़्ड स्टील सेक्शन के इंटरलॉकिंग मेटल ग्रिड पर लटकी हो, जिसमें आवश्यक लंबाई और आकार पाने के लिए उचित दूरी पर जोड़ों वाले मेन "टी" रनर	25.00	वर्ग मी.

	1200 मिमी सेंटर-टू-सेंटर पर हों, और 1200 x 600 मिमी का ग्रिड बनाने के लिए मेन टी के बीच 600 मिमी सेंटर-टू-सेंटर पर 1200 मिमी लंबे क्रॉस "टी" हों, तथा 600 x 600 मिमी के ग्रिड बनाने के लिए 1200 x 600 मिमी पैनल के बीच में 600 मिमी लंबे सेकेंडरी क्रॉस "टी" इंटरलॉक किए जाएँ, और ग्रिड में अनुमोदित बनावट की फ़ॉल्स सीलिंग टाइलें बिछाई जाएँ, जिसमें डिफ़्यूज़र, ग्रिल, लाइट फ़िटिंग्स, फ़िक्सचर, स्मोक डिटेक्टर आदि सेवाओं के लिए आवश्यक कटिंग/खुली जगह बनाना शामिल है। मेन टी रनर को छत से जीआई स्लॉटेड क्लीट द्वारा लटकाया जाएगा, जो डैश फ़ास्टनर से छत पर लगे हों, और मेन टी के साथ 1200 मिमी सेंटर-टू-सेंटर पर गैल्वनाइज़्ड बटरफ़्लाई लेवल क्लिप वाली जीआई एडजस्टेबल रॉड हों। सभी टी-सेक्शन की नीचे दिखने वाली चौड़ाई पहले से पेंट की हुई होगी। विनिर्देशों, ड्रॉइंग और बैंक के निर्देशानुसार सभी ऊँचाइयों के लिए पूर्ण।		
10	अंदरूनी पेंटिंग		
10.1	अनुमोदित प्राइमर का एक कोट उपलब्ध कराने और लगाने के बाद दीवारों और छतों पर अनुमोदित शेड के प्रीमियम 100% एक्रेलिक इमल्शन पेंट के दो या अधिक कोट उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें खुरचना, सतहें तैयार करना, वॉल पुट्टी से समतल करना आदि शामिल है, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। नोट: (i) दी गई दरों में कार्य के दौरान किसी भी लेवल और ऊँचाई पर आवश्यक मचान उपलब्ध कराना और लगाना भी शामिल होगा। (ii) प्राइमर लगाने और सतह को पेंट करने से पहले बैंक से अनुमोदन लेना आवश्यक है।	300.00	वर्ग मी.
10.2	दरवाज़ों, खिड़कियों, शेल्फ़/ब्रैकेट आदि पर सागौन की लकड़ी / लकड़ी / कमर्शियल बोर्ड की सतहों / एमएस कार्य आदि पर, सतह को ठीक से साफ़ करने, आवश्यक मचान लगाने और अनुमोदित मेक के वुड/ स्टील प्राइमर का एक कोट उपलब्ध कराने और लगाने आदि के बाद, विनिर्देशों के अनुसार अनुमोदित मेक और शेड के प्रथम गुणवत्ता वाले सिंथेटिक इनेमल पेंट के दो या अधिक कोट उपलब्ध कराना और लगाना, साइट की आवश्यकता के अनुसार बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण।	40.00	वर्ग मी.

10.3	सतह को समतल और चिकना बनाने के लिए दीवार और छत पर अनुमोदित ब्रांड और निर्माता की औसतन 1 मिमी मोटाई की सफ़ेद सीमेंट आधारित पुट्टी उपलब्ध कराकर और लगाकर, खुरचकर, सैंडपेपर से घिसकर और ऊबड़-खाबड़पन तथा लहरों को भरकर सतह तैयार करना, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण।	300.00	वर्ग मी.
11	धातु (मेटल) कार्य		
11.1	बिल्ट-अप सेक्शन के लिए माइल्ड स्टील का कार्य उपलब्ध कराना, बनाना और लगाना, जिसमें आवश्यक मोटाई की विभिन्न एमएस शीट, एंगल, टी, चैनल, फ़्लैट, प्लेट, चौकोर / गोल बार, चौकोर और गोल पाइप आदि जैसे एमएस सेक्शन का उपयोग करके फ़िक्स्ड फ़्रेमिंग की जाए, जिन्हें इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से ठीक से वेल्ड किया जाए, और जिसमें खुली सतह पर अनुमोदित मेटल प्राइमर (ज़िंक क्रोमेट) और अनुमोदित मेक और शेड के प्रथम गुणवत्ता वाले सिंथेटिक इनेमल पेंट के दो या अधिक कोट उपलब्ध कराना और लगाना आदि शामिल है, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। नोट: - शुद्ध वज़न मापा जाएगा और उसी का भुगतान किया जाएगा। किसी भी बर्बादी, ड्रॉइंग / डिज़ाइन, आर्किटेक्ट की फ़ीस, फ़िटिंग्स / फ़िक्सचर, नट-बोल्ट आदि के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। वेल्डिंग ठीक से की जाएगी; जहाँ भी रनिंग वेल्डिंग की आवश्यकता हो, ठेकेदार को ध्यान रखना होगा। इस संबंध में किसी भी चूक/लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित जुर्माना लगाया जा सकता है। सामग्री आईएसआई मार्क वाली और टाटा, सेल, जिंदल हिसार, जेएसएल आदि जैसे अनुमोदित ब्रांड की होनी चाहिए।	200.00	किग्रा
11.2	उपयुक्त उच्च गुणवत्ता के ईपीडीएम वॉशर हेडेड सेल्फ़-ड्रिलिंग फ़ास्टनर का उपयोग करके डिज़ाइन/आकार के अनुसार न्यूनतम 0.5 मिमी मोटाई की (पीपीजीएल/पीपीजीआई) रूफ़िंग शीट उपलब्ध कराना और लगाना। इंस्टॉलेशन में आवश्यक ओवरलैप, जहाँ लागू हो वहाँ फ़ैक्टरी में बने रिज, और सभी ऊँचाइयों और लेवल पर लगाने के लिए आवश्यक सभी मचान, औज़ार और टैकल आदि शामिल हैं, ड्रॉइंग और साइट की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण। नोट: क्षेत्रफल को ढकी गई छत के समतल क्षेत्रफल के	35.00	वर्ग मी.

	रूप में मापा जाएगा, जिसमें ओवरलैप, रिज और हिप आदि शामिल हैं, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण।		
12	सैनिटरी और प्लंबिंग कार्य		
12.01	जैक्वार, हिंदवेयर, पैरीवेयर या किसी अन्य अनुमोदित समकक्ष मेक के अनुमोदित मॉडल का प्रथम गुणवत्ता का सेंटर होल सफ़ेद विट्रियस वॉश हैंड बेसिन उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें सी.आई. / एम.एस. ब्रैकेट की नई जोड़ी, 32 मिमी व्यास का सी.पी. बोतल ट्रैप और प्रीमियम गुणवत्ता का सी.पी. वेस्ट कपलिंग, जैक्वार या अन्य अनुमोदित समकक्ष मेक के कनेक्शन पाइप आदि शामिल हैं, साइट की आवश्यकता के अनुसार निर्देशानुसार पूर्ण। वॉश बेसिन के लिए मूल संदर्भ मॉडल हिंदवेयर कोड नंबर: 10008। मूल संदर्भ मॉडल कोड- बोतल ट्रैप- जैक्वार का ALD 769। वेस्ट कपलिंग- जैक्वार का ALD 709।	3.00	प्रत्येक
12.02	हिंदवेयर, पैरीवेयर, जैक्वार या अनुमोदित समकक्ष का प्रथम गुणवत्ता का विट्रियस चाइना ग्लेज़्ड फ़्लोर माउंटेड यूरोपियन डब्ल्यूसी, मानक आकार के सीट कवर के साथ, साइट की आवश्यकता के अनुसार पी या एस ट्रैप सहित, अपनी जगह पर उपलब्ध कराना और लगाना; एक अतिरिक्त नहानी ट्रैप उपलब्ध कराना और जोड़ना तथा उसके आउटलेट का ईडब्ल्यूसी से लीक-प्रूफ़ कनेक्शन करना; ईडब्ल्यूसी ट्रैप का 100 मिमी व्यास के सीआई बाहरी वर्टिकल स्टैक/लाइन से या चैंबर से, साइट की स्थिति के अनुसार अनुमोदित मेक के आवश्यक लंबाई के आईएसआई मार्क सीआई पाइपों और उनकी फ़िटिंग्स से, लीक-प्रूफ़ कनेक्शन उपलब्ध कराना और करना, सभी ऊँचाई और लेवल पर, आवश्यक सिंगल/डबल मचान सहित, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। सीआई पाइप के अन्य पाइप/एस/पी ट्रैप आदि के साथ जोड़ लेड कॉकिंग से ठीक से जोड़े जाएँगे। दर में मेसर्स हिंदवेयर (स्लीक ड्युअल फ़्लश), जैक्वार, कोहलर जैसे अनुमोदित मेक का लो लेवल ड्युअल टाइप पीवीसी फ़्लशिंग सिस्टर्न उपलब्ध कराना और लगाना, साथ में आवश्यक ब्रैकेट/वॉल माउंटिंग फ़िटिंग्स उपलब्ध कराना और लगाना, तथा पानी के इनलेट/एंगल कॉक से पी.वी.सी. कनेक्शन और आउटलेट कनेक्शन आदि उपलब्ध कराना और लगाना शामिल होगा, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण - जिसमें पानी के	2.00	प्रत्येक

	इनलेट / एंगल कॉक का कनेक्टर और डब्ल्यूसी पैन का आउटलेट कनेक्शन आदि शामिल है, पूर्ण। फ़्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी के लिए मूल संदर्भ मॉडल: हिंदवेयर कोड नंबर: स्लिक 20011। पीवीसी सिस्टर्न के लिए मूल संदर्भ मॉडल: हिंदवेयर कोड नंबर: स्लीक स्मार्ट		
12.03	अनुमोदित मेक का सर्वोत्तम गुणवत्ता (हेवी) का 120 मिमी व्यास का गोल आकार का सिंगल फ़्लो ओवरहेड शॉवर (एबीएस बॉडी, क्रोम प्लेटेड ग्रे फ़ेस प्लेट) रबिट क्लीनिंग सिस्टम के साथ (मूल संदर्भ मॉडल जैक्वार कोड नंबर OHS-1789), सी.पी. आर्म के साथ (मूल संदर्भ मॉडल जैक्वार कैट नंबर SHA-479L450S, दीवार पर लगने वाले शॉवर के लिए 90 डिग्री मोड़ और वॉल फ़्लैंज वाला 450 मिमी लंबा कास्टेड शॉवर आर्म), अनुमोदित समकक्ष मेक का, उपलब्ध कराना और लगाना आदि, पूर्ण।	2.00	प्रत्येक
12.04	फ़र्श / नहानी ट्रैप के वेस्ट पाइप के लिए लॉकिंग व्यवस्था वाली, छेद सहित या बिना छेद वाली ग्रेटिंग के साथ हेवी क्वालिटी की 150 मिमी आकार की चौकोर स्टेनलेस स्टील जाली उपलब्ध कराना और लगाना।	7.00	प्रत्येक
12.05	अनुमोदित समकक्ष मेक का हेवी क्वालिटी का साबुनदान (जैक्वार कोड नंबर ACN :1131N या सेरा मोंटाना सीरीज़) उपलब्ध कराना और लगाना।	3.00	प्रत्येक
12.06	साइट के अनुसार आवश्यक आकार का 4.5 मिमी मोटा (औसत) शीशा, 24"x18" (लगभग) फ्रेम के साथ, अनुमोदित मेक का, 6 मिमी मोटे बैकिंग वॉटरप्रूफ़ प्लाई (सिंगल प्राइस) के साथ, शीशे के चारों ओर अनुमोदित डिज़ाइन की 32 मिमी x 12 मिमी सजावटी रेडीमेड मोल्डिंग के साथ, आपूर्ति करना और लगाना, जिसमें साइट की आवश्यकता के अनुसार और निर्देशानुसार आवश्यक फ़िक्सिंग व्यवस्था के साथ शीशे को दीवार पर लगाना, वॉटरप्रूफ़ बोर्ड के पिछले भाग पर प्राइमर के एक कोट के ऊपर सिंथेटिक इनेमल पेंट करना आदि शामिल है। दर में पुराने/क्षतिग्रस्त शीशे को उसकी फ़िटिंग्स/ फ़िक्सचर सहित रिबेट में साल्वेज मूल्य पर ले जाना शामिल होगा, साइट की आवश्यकता के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूर्ण।	3.00	प्रत्येक
12.07	सीपी फ़्लैंज के साथ 15 मिमी व्यास का सी.पी. टू-वे बिब कॉक और क्रोम फ़िनिश में 1 मीटर लंबी फ़्लेक्स ट्यूब वाला हेल्थ फ़ॉसेट/ हैंड शॉवर तथा	2.00	प्रत्येक

	अनुमोदित समकक्ष का वॉल हुक -1 सेट उपलब्ध कराना और लगाना (टू-वे बिब कॉक के लिए मूल संदर्भ मॉडल जैक्वार कैट कोड नंबर FLR-5041N,) (हेल्थ फ़ॉसेट के लिए मूल संदर्भ मॉडल जैक्वार कैट कोड नंबर ALD-579)		
12.08	अनुमोदित गुणवत्ता का 15 मिमी व्यास का सी.पी. ब्रास बिब कॉक, सी.पी. वॉल फ़्लैंज, आवश्यक फ़िटिंग्स और एक्सेसरीज़ के साथ उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें मौजूदा पानी आपूर्ति लाइन से कनेक्शन करना, परीक्षण और चालू करना शामिल है, साइट की आवश्यकता के अनुसार और बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। इस आइटम में कटिंग, मरम्मत और सभी आनुषंगिक कार्य पूर्ण रूप से शामिल होंगे। मूल संदर्भ मॉडल: जैक्वार कोड नंबर: FLR-CHR-5047N (या हिंदवेयर / पैरीवेयर का अनुमोदित समकक्ष)	2.00	प्रत्येक
12.09	अनुमोदित गुणवत्ता का 15 मिमी व्यास का सीपी ब्रास लॉन्ग नोज़ बिब कॉक, सीपी वॉल फ़्लैंज, सभी फ़िक्सिंग एक्सेसरीज़ और मौजूदा पानी आपूर्ति लाइन से आवश्यक कनेक्शन सहित पूर्ण रूप से उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें परीक्षण, चालू करना और सभी जोड़ों को लीक-प्रूफ़ बनाना शामिल है, साइट की आवश्यकता के अनुसार और बैंक के निर्देशानुसार। इस आइटम में कटिंग और मरम्मत पूर्ण रूप से शामिल होगी। मूल संदर्भ मॉडल: जैक्वार कोड नंबर: CON-CHR-107KNN (लॉन्ग बॉडी बिब कॉक) या हिंदवेयर / पैरीवेयर का अनुमोदित समकक्ष मेक।	1.00	प्रत्येक
12.10	अनुमोदित समकक्ष मेक का 15 मिमी व्यास का सीपी ब्रास सिंक मिक्सर, घूमने वाले स्पाउट (वॉल माउंटेड मॉडल), कनेक्टिंग लेग्स और वॉल फ़्लैंज के साथ उपलब्ध कराना और लगाना, पूर्ण। (मूल संदर्भ मॉडल जैक्वार कोड नंबर FLR-5309N) या हिंदवेयर / पैरीवेयर का अनुमोदित समकक्ष मेक।	1.00	प्रत्येक
12.11	बाहरी और अंदरूनी भागों के साथ कंसील्ड स्टॉप कॉक उपलब्ध कराना और लगाना। बाहरी स्टॉप कॉक का मूल संदर्भ मॉडल: FLR-5083NK, कंसील्ड स्टॉप कॉक और फ़्लश कॉक का एक्सपोज़्ड पार्ट किट, जिसमें	2.00	प्रत्येक

	फ़िटिंग स्लीव, ऑपरेटिंग लीवर और एडजस्टेबल वॉल फ़्लैंज हो, जो ALD- 089 के अनुकूल हो, और अंदरूनी कंसील्ड स्टॉप कॉक (20 मिमी पाइपलाइन के लिए उपयुक्त कंसील्ड स्टॉप कॉक की रेगुलर बॉडी, प्लास्टिक प्रोटेक्शन कैप के साथ)।		
12.12	15 मिमी व्यास का सीपी वॉल मिक्सर, जिसमें ओवरहेड शॉवर का प्रावधान हो, ऊपरी तरफ़ 115 मिमी लंबा बेंड पाइप, कनेक्टिंग लेग्स और वॉल फ़्लैंज हों, उपलब्ध कराना और लगाना (मूल संदर्भ मॉडल जैक्वार कैट नंबर: FLR-5273UPR)	2.00	प्रत्येक
12.13	अनुमोदित समकक्ष मेक का वॉल सीपी फ़्लैंज के साथ 15 मिमी व्यास का सीपी ब्रास एंगल वाल्व उपलब्ध कराना और लगाना (मूल संदर्भ मॉडल जैक्वार कैट नंबर: FLR-5053N)।	17.00	प्रत्येक
12.14	अनुमोदित गुणवत्ता का सी.पी. ब्रास टूथब्रश होल्डर उपलब्ध कराना और लगाना।	2.00	प्रत्येक
12.15	अनुमोदित समकक्ष गुणवत्ता की 600 मिमी लंबी एसएस सिंगल टॉवल रेल को टाइलों के ऊपर रॉल प्लग और अनुमोदित गुणवत्ता के स्क्रू से अपनी जगह पर उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें टाइलों को काटना और ठीक करना आदि शामिल है, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। (मूल संदर्भ मॉडल कोड नंबर जैक्वार का AQN-7711, या कोई अन्य समकक्ष)	2.00	प्रत्येक
12.16	एंगल वाल्व, मिक्सर, सिस्टर्न, यूरिनल आदि के लिए 400 मिमी तक लंबा एसएस कनेक्शन पाइप कनेक्टर उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें आवश्यक एक्सेसरीज़ आदि शामिल हैं, पूर्ण।	16.00	प्रत्येक
12.17	अनुमोदित समकक्ष मेक का कॉर्नर ग्लास शेल्फ़ उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें ब्रैकेट आदि से लगाना शामिल है, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। (मूल संदर्भ मॉडल: जैक्वार कैट कोड नंबर ACN-1173)	4.00	प्रत्येक
12.18	जैक्वार या अनुमोदित समकक्ष मेक का सिंगल लीवर बेसिन मिक्सर, रेगुलर स्पाउट के साथ, बिना पॉपअप वेस्ट सिस्टम के, 450 मिमी लंबी ब्रेडेड होज़ और 20 मिमी कार्ट्रिज आकार के साथ उपलब्ध कराना और लगाना। (मूल संदर्भ मॉडल जैक्वार कोड नंबर: FLR-5001B)	3.00	प्रत्येक
12.19	अनुमोदित समकक्ष मेक का 600 मिमी लंबा ग्लास शेल्फ़ उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें ब्रैकेट आदि से लगाना शामिल है, बैंक के इंजीनियर	3.00	प्रत्येक

	के निर्देशानुसार पूर्ण। (मूल संदर्भ मॉडल कोड नंबर जैक्वार का ACN-1171N, या कोई अन्य समकक्ष)		
12.20	अनुमोदित समकक्ष का गोल फ़्लैंज वाला चौकोर सीपी टॉवल रिंग (कोड नंबर ACN-1121N) उपलब्ध कराना और लगाना आदि, पूर्ण।	3.00	प्रत्येक
12.21	अनुमोदित ब्रांड और निर्माता का टॉयलेट पेपर होल्डर उपलब्ध कराना और लगाना, पूर्ण: सी.पी. ब्रास (टॉयलेट पेपर होल्डर की मूल दर - ₹450.00)	2.00	प्रत्येक
12.22	अनुमोदित मेक का 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील सिंक, ड्रेन बोर्ड के साथ, कुल आकार: 1000 मिमी x 510 मिमी, बाउल का आकार 560 मिमी x 410 मिमी x 215 मिमी, अपनी जगह पर उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें 40 मिमी व्यास का हेवी क्वालिटी एसएस वेस्ट कपलिंग, पीवीसी वेस्ट पाइप, और ग्रेनाइट स्टोन में आवश्यक व्यवस्था के साथ लगाना तथा साइट की आवश्यकता के अनुसार जोड़ों की ग्राउटिंग आदि शामिल है, पूर्ण। (मूल संदर्भ मॉडल निराली कैट : एलिगेंस अल्ट्रा बीजी, ग्लॉसी फ़िनिश के साथ बड़ा आकार) नोट:- (i) दी गई दरों में सिंक और ग्रेनाइट स्टोन/ दीवार/ आसपास के क्षेत्र के जोड़ पर जोड़ों को मिलते रंग के पिगमेंट वाले सफ़ेद सीमेंट से भरना, तराई और सफ़ाई आदि शामिल होगा, साइट की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण।	1.00	प्रत्येक
12.23	अनुमोदित मेक का पीवीसी मेडिसिन चेस्ट टाइलों के ऊपर रॉल प्लग और ब्रास स्क्रू से अपनी जगह पर उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें टाइलों को काटना और ठीक करना आदि शामिल है, निर्देशानुसार पूर्ण।	2.00	प्रत्येक
	गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए थर्मल स्थिरता वाले क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) पाइप उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें सभी सीपीवीसी प्लेन और ब्रास थ्रेडेड फ़िटिंग्स शामिल हैं, और पाइप को 1.00 मीटर की दूरी पर क्लैंप से लगाना शामिल है। इसमें पाइपों और फ़िटिंग्स को वन-स्टेप सीपीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट से जोड़ना और चेज़ काटने तथा उन्हें ठीक करने की लागत, जोड़ों के परीक्षण सहित, शामिल है, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण।		
12.2	15 मिमी	40.00	रनिंग मी.

4			
12.2 5	20 मिमी	25.00	रनिंग मी.
	यूपीवीसी सॉइल, वेस्ट और वेंट सिस्टम तथा यूपीवीसी फ़िटिंग्स (मोल्डेड और फ़ैब्रिकेटेड दोनों) जैसे बेंड, टी, वाई-टी, क्रॉस, बॉस कनेक्शन, एक्सेस पीस, सैडल पीस, क्लीनआउट, अन्य सामग्रियों से कनेक्शन के लिए एडैप्टर, प्लग, रिड्यूसर, काउल, ऑफ़सेट और अन्य विशेष फ़िटिंग्स उपलब्ध कराना, जोड़ना, परीक्षण करना और लगाना। जोड़ आम तौर पर पुश-फ़िट ईपीडीएम रिंग जोड़ने की तकनीक से किए जाएँगे। जो फ़िटिंग्स और विशेष फ़िटिंग्स पुश-फ़िट रबर जोड़ के साथ नहीं बनतीं, उनके लिए सॉल्वेंट सीमेंट जोड़ दिए जा सकते हैं। पाइप धँसे हुए फ़र्श में बिछाए / लगाए जा सकते हैं या छत से नीचे लटकाए जा सकते हैं। धँसे हुए फ़र्श में बिछाए गए पाइपों को चारों ओर से 75 मिमी मोटे सीमेंट कंक्रीट (1:2:4) से ढका जाएगा। इंस्टॉलेशन हर तरह से पूर्ण होगा, जिसमें दीवारों, स्लैब में चेज़ / छेद काटना और विनिर्देशों के अनुसार उन्हें ठीक करना शामिल है।		
12.2 6	100 मिमी व्यास	10.00	रनिंग मी.
12.2 7	75-80 मिमी व्यास	10.00	रनिंग मी.
12.2 8	अनुमोदित मेक और गुणवत्ता का, कम से कम 50 मिमी प्रभावी वॉटर सील वाला, 100 मिमी इनलेट और 75 मिमी आउटलेट का यूपीवीसी फ़्लोर ट्रैप / नहानी ट्रैप / गली ट्रैप, वेंट आर्म के साथ या उसके बिना, उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें यूपीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट/एडहेसिव से ड्रेनेज पाइप से जोड़ना, दीवारों और फ़र्श को काटना और ठीक करना, ट्रैप को सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 (1 सीमेंट : 2 मोटी रेत : 4 ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट 20 मिमी नॉमिनल साइज़) में बैठाना शामिल है, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण।	6.00	प्रत्येक
13	**मॉड्यूलर किचन/ वॉल यूनिट**		
13.0	**मॉड्यूलर किचन - अंडर काउंटर स्टोरेज कैबिनेट:** 19 मिमी मोटे	4.00	वर्ग मी.

1	मरीन ग्रेड प्लाईवुड से बने मॉड्यूलर किचन कैबिनेट उपलब्ध कराना, बनाना और लगाना, जिनकी अंदरूनी सतह पर 0.8 मिमी मोटा सफ़ेद लैमिनेट और दूसरी तरफ़ अनुमोदित शेड और मेक का 1 मिमी मोटा लैमिनेट हो, तथा कैबिनेट बॉक्स के लिए 21 मिमी चौड़ी 2 मिमी मोटी पीवीसी एज बैंडिंग/लिपिंग का प्रयोग हो। इनमें खुलने वाले शटर और पर्याप्त संख्या में दराज़ हों, साथ में बॉडी पैनल (साइड और बॉटम पैनल), शटर और दराज़ के फ़ेशिया हों, और बॉक्स का पिछला भाग 19 मिमी डब्ल्यूपीसी बोर्ड से बना हो। सभी शेल्फ़ साइट की आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग ऊँचाई पर कैबिनेट बॉडी में लगाए जाएँगे। प्रत्येक शटर को आवश्यकता के अनुसार सर्वोत्तम गुणवत्ता के दो कैथोडिक इलेक्ट्रोडिपोज़िशन कोटेड (सीईडी) सॉफ़्ट ऑटो क्लोज़िंग कब्ज़ों (गोदरेज, हैफ़ेल, हेटिख या अनुमोदित समकक्ष मेक) से एसएस स्क्रू, कीलों आदि के साथ बॉक्स / कारकस पर लगाया जाएगा, और इन शटरों तथा दराज़ के फ़ेशिया के ऊपर आवश्यक आकार का अनुमोदित गुणवत्ता वाला पाउडर कोटेड एल्युमिनियम 'जी' प्रोफ़ाइल हैंडल लगाया जाएगा। फ़र्श पर रखे जाने वाले यूनिट के कैबिनेट बॉक्स 50 मिमी ऊँची वर्टिकल स्कर्टिंग पर टिके होंगे। यूनिट को उपयुक्त आकार के धातु के स्क्रू और रॉल प्लग से फ़र्श/ दीवार/ स्लैब पर लगाया जाएगा। माप और भुगतान के लिए केवल कैबिनेट के फ़र्श से बॉक्स के ऊपर तक के सामने वाले भाग का क्षेत्रफल माना जाएगा। कैबिनेट बॉक्स का कुल आकार (चौड़ाई x गहराई x ऊँचाई) 200X560X770 मिमी से 600X560X770 मिमी (लगभग) तक होगा और साइट की आवश्यकता तथा एसएस बास्केट आदि के आकार के अनुसार इन्हें आपस में जोड़ा जाएगा, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। नोट: i) कैबिनेट पर कोई टॉप कवर नहीं होगा; यह इस निविदा के आइटम संख्या 24 (डब्ल्यूपीसी बोर्ड के साथ ग्रेनाइट टॉप) के तहत अलग से उपलब्ध कराया जाएगा और उसका भुगतान अलग से होगा। ii) कृपया इस निविदा के भाग I में दी गई मॉड्यूलर किचन की संभावित योजना/ व्यवस्था देखें।		
13.0	**मॉड्यूलर किचन - ओवरहेड स्टोरेज वॉल यूनिट**: 19 मिमी मोटे मरीन	3.00	वर्ग मी.

	ग्रेड प्लाईवुड से बने मॉड्यूलर किचन ओवरहेड यूनिट कैबिनेट उपलब्ध कराना, बनाना और लगाना, जिनकी अंदरूनी सतह पर 0.8 मिमी मोटा सफ़ेद लैमिनेट और दूसरी तरफ़ अनुमोदित शेड और मेक का 1 मिमी मोटा लैमिनेट हो, तथा कैबिनेट बॉक्स के लिए 21 मिमी चौड़ी 2 मिमी मोटी पीवीसी एज बैंडिंग/लिपिंग का प्रयोग हो, जिनमें खुलने वाले प्लाई/ ग्लेज़्ड (5 मिमी मोटे एच्ड क्लियर टफ़न्ड ग्लास) शटर और बॉडी पैनल (पीछे, ऊपर, नीचे, साइड पैनल) हों। प्रत्येक शटर को आवश्यकता के अनुसार सर्वोत्तम गुणवत्ता के दो कैथोडिक इलेक्ट्रोडिपोज़िशन कोटेड (सीईडी) सॉफ़्ट ऑटो क्लोज़िंग कब्ज़ों (गोदरेज, हैफ़ेल, हेटिख या अनुमोदित समकक्ष मेक) से फ्रेमवर्क / कारकस पर एसएस स्क्रू, कीलों आदि के साथ पूर्ण रूप से लगाया जाएगा, और इन शटरों के नीचे की ओर आवश्यक आकार का अनुमोदित गुणवत्ता वाला पाउडर कोटेड एल्युमिनियम 'जी' प्रोफ़ाइल हैंडल लगाया जाएगा। यूनिट को उपयुक्त आकार के धातु के स्क्रू और रॉल प्लग से दीवार पर लगाया जाएगा। माप और भुगतान के लिए केवल खुलने वाले शटरों के सामने वाले भाग का क्षेत्रफल माना जाएगा। कैबिनेट बॉक्स का आकार (चौड़ाई x गहराई x ऊँचाई) 440 (चौड़ाई) X 400 (साफ़ गहराई) X 600 मिमी (ऊँचाई) से 600 (चौड़ाई) X 400 (साफ़ गहराई) X 600 मिमी (ऊँचाई) (लगभग) तक हो सकता है और साइट की आवश्यकता आदि के अनुसार इन्हें आपस में जोड़ा जाएगा, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। नोट: i) कृपया इस निविदा के भाग I में दी गई मॉड्यूलर किचन की संभावित योजना/ व्यवस्था देखें।		
13.0	साइट की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक आकार के, एज ग्राइंडिंग वाले 10 मिमी मोटे टफ़न्ड ग्लास शेल्फ़, 440-900 मिमी (लंबाई) x 380 मिमी (चौड़ाई) (लगभग), वैक्यूम कैचर एसएस पैच फ़िटिंग्स आदि के साथ उपलब्ध कराना और लगाना, साइट की आवश्यकता के अनुसार बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण।	2.30	वर्ग मी.
13.0 4	हेटिख या अनुमोदित समकक्ष मेक का एसएस-304 ग्रेड का 200 मिमी x 560 मिमी x 500 मिमी आकार का बोतल पुलआउट बास्केट सेट उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें घटक लगाने के लिए आवश्यक	1.00	प्रत्येक

	एसएस स्क्रू और अनुमोदित मेक का आवश्यक आकार का सॉफ़्ट/ऑटो क्लोज़िंग टेलीस्कोपिक चैनल/ब्रैकेट शामिल है, साइट पर मौजूदा जगह में ड्रॉइंग के अनुसार और बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण		
13.05	हेटिख या अनुमोदित समकक्ष मेक का एसएस-304 ग्रेड का 600 मिमी x 560 मिमी x 100 मिमी और 150 मिमी ऊँचाई का डिश बास्केट सेट/किट (कटलरी ट्रे किट और 2 नग एसएस वायर डिश बास्केट का सेट) उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें घटक लगाने के लिए आवश्यक एसएस स्क्रू और अनुमोदित मेक का आवश्यक आकार (लगभग 530 मिमी लंबाई) का सॉफ़्ट/ऑटो क्लोज़िंग टेलीस्कोपिक चैनल शामिल है, साइट पर मौजूदा जगह में ड्रॉइंग के अनुसार और बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण	1.00	प्रत्येक
13.06	हेटिख या अनुमोदित समकक्ष मेक का एसएस-304 ग्रेड का 600 मिमी x 560 मिमी x 150 मिमी आकार का बर्तन बास्केट (यूटेंसिल बास्केट), प्लेन एसएस वायर बास्केट के साथ उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें घटक लगाने के लिए आवश्यक एसएस स्क्रू और अनुमोदित मेक का आवश्यक आकार (लगभग 530 मिमी लंबाई) का सॉफ़्ट/ऑटो क्लोज़िंग टेलीस्कोपिक चैनल शामिल है, साइट पर मौजूदा जगह में ड्रॉइंग के अनुसार और बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण	2.00	प्रत्येक
13.07	हेटिख या अनुमोदित समकक्ष मेक का एसएस-304 ग्रेड का 600 मिमी x 300 मिमी x 50 मिमी आकार का ग्लास ट्रे प्लेट ट्रे (जीटीपीटी किट), 1 पीवीसी पानी इकट्ठा करने वाली ट्रे और 2 एसएस वायर ट्रे के सेट के साथ उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें घटक लगाने के लिए अनुमोदित मेक के आवश्यक एसएस स्क्रू शामिल हैं, साइट पर मौजूदा जगह में ड्रॉइंग के अनुसार और बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण	1.00	प्रत्येक
13.08	एसएस-304 ग्रेड के प्लेन एसएस वायर से बने गार्बेज बास्केट होल्डर और सोप होल्डर यूनिट उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें घटक लगाने के लिए आवश्यक आकार के एसएस स्क्रू आदि शामिल हैं, साइट पर मौजूदा जगह में ड्रॉइंग के अनुसार और बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण	1.00	प्रत्येक
14	**हार्डवेयर फ़िटिंग्स**		

	दरवाज़े के शटरों के लिए अनुमोदित गुणवत्ता की निम्नलिखित हेवी क्वालिटी की हार्डवेयर फ़िटिंग्स और फ़िक्सचर की आपूर्ति करना और अपनी जगह पर लगाना, जिसमें खाँचे बनाना, कटिंग, आवश्यक स्क्रू, बोल्ट, नट, वॉशर आदि शामिल हैं, साइट की आवश्यकता के अनुसार बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण।		
14.01	16 मिमी व्यास, 300 मिमी लंबा स्टेनलेस स्टील आलड्रॉप।	5.00	प्रत्येक
14.02	125 मिमी ग्रिप लंबाई वाला लंबा स्टेनलेस स्टील हैंडल।	22.00	प्रत्येक
14.03	250 मिमी लंबे स्टेनलेस स्टील टावर बोल्ट। (हेवी क्वालिटी)	10.00	प्रत्येक
14.04	150 मिमी लंबे स्टेनलेस स्टील टावर बोल्ट (हेवी क्वालिटी)	5.00	प्रत्येक
14.05	दरवाज़े के लिए हार्ड रबर बफ़र स्टॉपर	11.00	प्रत्येक
14.06	एसएस सेफ़्टी चेन	1.00	प्रत्येक
14.07	मुख्य दरवाज़े में स्टेनलेस स्टील पीप होल / मैजिक आई	1.00	प्रत्येक
14.08	रबर ब्रश के साथ हेवी क्वालिटी स्टेनलेस स्टील लेग डोर स्टॉपर	9.00	प्रत्येक
14.09	मुख्य दरवाज़े के लिए सैटिन फ़िनिश वाला मोर्टिस लॉक, 20 सेमी बॉडी और हैंडल के साथ, ताले और 3 चाबियों सहित, अनुमोदित मेक का या अनुमोदित आईएसआई मार्क हेवी क्वालिटी का, आपूर्ति करना और अपनी जगह पर लगाना, जिसमें एमएस स्क्रू आदि शामिल हैं, साइट की आवश्यकता के अनुसार या बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। मूल संदर्भ मॉडल: गोदरेज NEH 19-1 CK	1.00	प्रत्येक
14.10	25 मिमी व्यास की सजावटी स्टेनलेस स्टील पर्दे की रॉड, सजावटी साइड/एंड ब्रैकेट, स्क्रू और लकड़ी के प्लग आदि के साथ, जहाँ भी आवश्यक हो, उपलब्ध कराना और लगाना, बैंक द्वारा अनुमोदित नमूने के	35.00	रनिंग मी.

	अनुसार पूर्ण।		
15	**कपबोर्ड**		
15.1	निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार प्लाईवुड कपबोर्ड उपलब्ध कराना और अपनी जगह पर लगाना: कपबोर्ड पार्टीशन (बाहरी बॉक्स): अनुमोदित मेक के 19 मिमी एमआर ग्रेड प्लाई से बना, जिसकी एक तरफ़ अनुमोदित मेक और शेड का 0.8 मिमी सफ़ेद लैमिनेट हो और दीवार से सटी दूसरी तरफ़ उपयुक्त वुड प्राइमर और सिंथेटिक इनेमल पेंट से फ़िनिश हो, तथा खुले किनारों पर आवश्यक चौड़ाई की 2 मिमी मोटी पीवीसी एज बैंडिंग/लिपिंग हो। कपबोर्ड पार्टीशन (बीच वाले) और शेल्फ़: अनुमोदित मेक के 19 मिमी एमआर ग्रेड प्लाई से बने, जिनके दोनों तरफ़ अनुमोदित मेक और शेड का 0.8 मिमी लैमिनेट और आवश्यक चौड़ाई की 2 मिमी मोटी पीवीसी एज बैंडिंग/लिपिंग हो। दराज़ यूनिट: अनुमोदित मेक के 12 मिमी एमआर ग्रेड प्लाई (फ़ेशिया को छोड़कर) से बनी, जिसके दोनों तरफ़ अनुमोदित मेक का 0.8 मिमी लैमिनेट और आवश्यक चौड़ाई की 2 मिमी मोटी पीवीसी एज बैंडिंग/लिपिंग हो, और जो अनुमोदित मेक के 2 नग हेवी क्वालिटी सॉफ़्ट/ऑटो क्लोज़िंग टेलीस्कोपिक चैनल से लगी हो; दराज़ के फ़ेशिया के ऊपर आवश्यक आकार का अनुमोदित गुणवत्ता वाला पाउडर कोटेड एल्युमिनियम 'जी' प्रोफ़ाइल हैंडल लगाया जाएगा। फ़ेशिया 19 मिमी मोटे एमआर ग्रेड प्लाई से बना हो, जिसके दोनों तरफ़ 0.8 मिमी लैमिनेट हो और खुले किनारों पर आवश्यक चौड़ाई की पीवीसी एज बैंडिंग/लिपिंग हो। शटर: यूनिट में 2 नग शटर लगाए जाएँगे, जो आवश्यकता के अनुसार सर्वोत्तम गुणवत्ता के तीन कैथोडिक इलेक्ट्रोडिपोज़िशन कोटेड (सीईडी) सॉफ़्ट ऑटो क्लोज़िंग कब्ज़ों (गोदरेज, हैफ़ेल, हेटिख या अनुमोदित समकक्ष मेक) से एसएस स्क्रू, कीलों आदि सहित पूर्ण रूप से लगाए जाएँगे। एक शटर पर उच्च गुणवत्ता का शीशा (लगभग आकार 1.5 मीटर (ऊँचाई) x 0.4 मीटर (चौड़ाई)) आवश्यक फ़िटिंग्स के साथ लगाया जाएगा। कपबोर्ड यूनिट में एंड ब्रैकेट के साथ उचित लंबाई की 25 मिमी व्यास की हैंगर रॉड लगाई जाएगी। यूनिट को उपयुक्त आकार के धातु के स्क्रू/ एक्सपेंशन फ़ास्टनर और आवश्यक रॉल प्लग से फ़र्श/ दीवार/ स्लैब पर लगाया जाएगा,	7.00	वर्ग मी.

	जिसमें 1 नग गोदरेज मेक का अलमारी ताला, 150 मिमी लंबाई के 2 नग हैंडल, 150 मिमी लंबाई के 4 नग टावर बोल्ट, 2 नग मैग्नेट कैचर आदि उपलब्ध कराना और लगाना पूर्ण रूप से शामिल है। दर में मज़दूरी, कीलों, स्क्रू, एडहेसिव, बर्बादी आदि की लागत शामिल होगी। माप और भुगतान के लिए कपबोर्ड यूनिट के केवल सामने वाले भाग का क्षेत्रफल माना जाएगा। नोट: कृपया इस निविदा के भाग I में दिया गया कपबोर्ड का संभावित लेआउट देखें।		
15.2	खुले लॉफ़्ट क्षेत्र आदि पर वॉल कैबिनेट उपलब्ध कराना, बनाना और लगाना। दरों में आवश्यक आकार का 19 मिमी मोटा डबल प्लाईवुड फ़्रेम उपलब्ध कराना और लगाना शामिल होगा, जो दीवारों में और लॉफ़्ट के बीच ठीक से लगा हो, जिसमें शटर लगाने के लिए उपयुक्त नट और फ़ास्टनर शामिल हैं। प्लाईवुड फ़्रेम पर अनुमोदित मेक और शेड का 0.8 मिमी लैमिनेट होगा, दीवार से सटी सतह को उपयुक्त वुड प्राइमर और सिंथेटिक इनेमल पेंट से ट्रीट किया जाएगा, और खुली सतह पर आवश्यक चौड़ाई की पीवीसी एज बैंडिंग/ लिपिंग होगी। शटर ग्रीनप्लाई, किटप्लाई, सेंचुरी मेक के 19 मिमी मोटे एमआर ग्रेड कमर्शियल प्लाई से बनाए जाएँगे और उनमें 3 नग 4 इंच आकार के एसएस कब्ज़े, मैग्नेट कैचर, अनुमोदित मेक के पूरी लंबाई वाले 'जी' प्रोफ़ाइल एल्युमिनियम हैंडल लगाए जाएँगे, तथा सभी शटर और शेल्फ़ पर ग्रीनलैम/ सेंचुरी/ मेरिनो का अनुमोदित शेड का लैमिनेट होगा। सभी बाहरी सतहें अनुमोदित मेक के 0.8 मिमी मोटे लैमिनेट से और सभी अंदरूनी सतहें 0.8 मिमी मोटे सफ़ेद लैमिनेट से फ़िनिश की जाएँगी, जिसमें सिलिकॉन सीलेंट से जोड़ना शामिल है। शेल्फ़, लकड़ी के फ़्रेम, कैबिनेट के दरवाज़ों की फ़िटिंग सही लाइन और लेवल में होनी चाहिए और कोई गैप नहीं होना चाहिए, ताकि कॉकरोच, छिपकली या अन्य कीड़े अंदर न आ सकें। **नोट:** माप और भुगतान के लिए लॉफ़्ट की एक तरफ़ की खुली और फ़िनिश की हुई सतह का क्षेत्रफल माना जाएगा।	4.00	वर्ग मी.
16	**खिड़कियाँ**		
16.1	फ़्लाई प्रूफ़ एस.एस.-304 ग्रेड वायर मेश के साथ फ़ैक्टरी में बनी यूपीवीसी थ्री ट्रैक थ्री पैनल स्लाइडिंग खिड़की (दो नग ग्लेज़्ड और एक	14.00	वर्ग मी.

	नग वायर मेश पैनल) उपलब्ध कराना और लगाना, जो न्यूनतम 116 x 45 मिमी के फ़्रेम और 46 x 62 मिमी के सैश से बनी हो, दोनों की दीवार की मोटाई 2.3 ± 0.3 मिमी हो, और उपयुक्त आकार की सिंगल ग्लेज़िंग बीड / डबल ग्लेज़िंग बीड हो। बैंक द्वारा अनुमोदित रंग/शेड की, 1.50 मीटर तक ऊँचाई वाली यह स्लाइडिंग ग्लेज़्ड खिड़की इन-बिल्ट रोलर ट्रैक वाले यूपीवीसी मल्टी-चैंबर्ड फ़्रेम और सैश के एक्सट्रूडेड प्रोफ़ाइल से बनी हो, जिन्हें विधिवत मज़बूती दी गई हो रोल फ़ॉर्मिंग प्रक्रिया से बने आवश्यक लंबाई (आकार और साइज़ यूपीवीसी प्रोफ़ाइल के अनुसार) के 1.60 ± 0.3 मिमी मोटे गैल्वनाइज़्ड माइल्ड स्टील सेक्शन से, और जिसमें उपयुक्त आकार की यूपीवीसी एक्सट्रूडेड ग्लेज़िंग बीड और यूपीवीसी एक्सट्रूडेड इंटरलॉक, ईपीडीएम गैस्केट, हुक वाले टच लॉक, सिंगल नायलॉन रोलर, फ़्रेम को फ़िनिश्ड दीवार पर लगाने के लिए जी.आई. फ़ास्टनर और आवश्यक स्क्रू आदि शामिल हों। फ़्रेम और सैश के प्रोफ़ाइल सभी कोनों पर मिटर कट और फ़्यूज़न वेल्डेड होंगे, जिसमें हार्डवेयर लगाने और पानी निकासी आदि के लिए छेद करना शामिल है। फ़्रेम लगाने के बाद फ़्रेम और पास की फ़िनिश्ड दीवार के बीच के गैप को आवश्यक आकार की और अनुमोदित गुणवत्ता की बैकर रॉड के ऊपर वेदरप्रूफ़ सिलिकॉन सीलेंट से भरा जाएगा, अनुमोदित ड्रॉइंग और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूर्ण। प्रोफ़ाइल के आकार में अधिक की ओर बदलाव स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। दी गई दरों में स्लाइडिंग खिड़की के पैनलों में अनुमोदित मेक का 6 मिमी मोटा टफ़न्ड क्लियर ग्लास उपलब्ध कराने और लगाने की लागत शामिल होगी, बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूर्ण।		
16.2	फ़ैक्टरी में बनी यूपीवीसी मल्टी-चैंबर्ड (केसमेंट) खिड़की उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें ईपीडीएम गैस्केट से लगा 5 मिमी / 6 मिमी मोटा क्लियर फ़्लोट ग्लास हो, रोलर सुविधा वाली मच्छर जाली (नेटलॉन) हो, फ़िक्स्ड फ़्रेम का आकार 45 x 45 मिमी और खुलने वाले सैश का आकार 45 x 78 मिमी हो, और खिड़की का प्रोफ़ाइल यूपीवीसी मल्टी-चैंबर्ड फ़्रेम और एक्सट्रूडेड प्रोफ़ाइल से बना हो, जिन्हें विधिवत मज़बूती दी गई हो	3.00	वर्ग मी.

	1.60 ± 0.2 मिमी मोटे गैल्वनाइज़्ड माइल्ड स्टील सेक्शन से, या निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार, जो रोल फ़ॉर्मिंग प्रक्रिया से आवश्यक लंबाई (आकार और साइज़ यूपीवीसी प्रोफ़ाइल के अनुसार) का बना हो, और जिसमें उपयुक्त आकार की यूपीवीसी एक्सट्रूडेड ग्लेज़िंग बीड और यूपीवीसी एक्सट्रूडेड इंटरलॉक, ईपीडीएम गैस्केट, वूल पाइल, हुक वाले ज़िंक एलॉय (पाउडर कोटेड) टच लॉक, उपयुक्त भार क्षमता वाले सिंगल नायलॉन रोलर के साथ ज़िंक एलॉय बॉडी, फ्रेम को फ़िनिश्ड दीवार/लकड़ी की पैनलिंग पर लगाने के लिए 100 x 8 मिमी आकार के जी.आई. फ़ास्टनर और आवश्यक स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि शामिल हों। फ्रेम का प्रोफ़ाइल सभी कोनों पर मिटर कट और फ़्यूज़न वेल्डेड होगा, जिसमें हार्डवेयर लगाने और पानी निकासी आदि के लिए छेद करना शामिल है। फ्रेम लगाने के बाद फ्रेम और पास की फ़िनिश्ड लकड़ी की पैनलिंग के बीच के गैप को आवश्यक आकार की और अनुमोदित गुणवत्ता की बैकर रॉड के ऊपर वेदरप्रूफ़ सिलिकॉन सीलेंट से भरा जाएगा, अनुमोदित ड्रॉइंग और प्रभारी इंजीनियर के निर्देशानुसार पूर्ण। प्रोफ़ाइल के आकार में अधिक की ओर बदलाव स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। नोट: वेंडर साइट का दौरा करेगा और उस साइट की स्थिति/सतह से पूरी तरह परिचित होगा जिस पर यूपीवीसी खिड़कियाँ लगाई जानी हैं।		
16.3	लगभग 600 x 600 मिमी आकार की, एग्ज़ॉस्ट फ़ैन की व्यवस्था वाली फ़िक्स्ड टाइप ग्लेज़्ड पाउडर कोटेड एल्युमिनियम खिड़की उपलब्ध कराना और लगाना। बारिश का पानी अंदर आने से रोकने के लिए एल्युमिनियम फ्रेमवर्क और दीवार के जोड़ को प्रेशर गन की मदद से अनुमोदित गुणवत्ता और मेक के सिलिकॉन आधारित सीलेंट से ठीक से सील किया जाएगा। खिड़की के फ़िक्स्ड भाग के फ्रेम 100x45 मिमी x 16 गेज के अनुमोदित एक्सट्रूडेड एल्युमिनियम आयताकार बॉक्स सेक्शन और 5 मिमी मोटे फ्रॉस्टेड ग्लास से बनाए जाएँगे, और ऊपर एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लगाने का प्रावधान किया जाएगा। एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लगाने में सुविधा के लिए उसके लिए छोड़ी जाने वाली खुली जगह के लिए एक अतिरिक्त खड़ा	1.10	वर्ग मी.

	और एक अतिरिक्त आड़ा सदस्य (मेंबर) लगाया जाएगा। अनुमोदित मेक की, लगभग 45-50 मिमी आकार के डायमंड आकार के छेदों वाली 5 मिमी मोटी एल्युमिनियम ग्रिल, आवश्यक एल्युमिनियम एफ़ क्लिप/ यू क्लिप और आवश्यक एसएस स्क्रू से खिड़की के फ़्रेम के बाहरी हिस्से पर फ़्रेमवर्क से लगाई जाएगी आदि, पूर्ण। अनुमोदित गुणवत्ता के वूलन पाइल / ईपीडीएम रबर या नियोप्रीन गैस्केट / एल्युमिनियम बीडिंग, स्क्रू, स्लीव, दीवार पर लगाने के लिए स्क्रू और गट्टी आदि सहित, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण।		
16.4	साइट की आवश्यकता और बैंक के निर्देशों के अनुसार विंडो एसी का प्रावधान करने के लिए आवश्यक आकार/सेक्शन 125 मिमी x 65 मिमी (लगभग) की द्वितीय श्रेणी की सागौन लकड़ी की चौखट/फ़्रेम, 5 मिमी फ़्रॉस्टेड ग्लास के साथ, उपलब्ध कराना, बनाना और अपनी जगह पर लगाना। नोट: i) दर में प्रत्येक चौखट/फ़्रेम के लिए कम से कम 4 नग एंकर / होल्डफ़ास्ट उपलब्ध कराना और लगाना शामिल होगा; फ़्रेम के दीवार से सटे भाग को अनुमोदित गुणवत्ता के बिटुमिनस आधारित पेंट से पूरी तरह पेंट किया जाएगा, और पूरे लकड़ी के फ़्रेमवर्क पर दीमक-रोधी ट्रीटमेंट का एक कोट लगाया जाएगा। (ii) दर में साइट की आवश्यकता के अनुसार आसपास की क्षतिग्रस्त जगहों की मरम्मत, आसपास से मेल खाते हुए, बैंक के निर्देशानुसार, भी शामिल होगी, जिसमें सीमेंट मोर्टार (1:4) से किनारे बनाना, सभी लेवल और ऊँचाई पर मचान, तराई और सफ़ाई आदि शामिल है, पूर्ण। iii) दर में ग्लास लगाने के लिए उपयुक्त बीडिंग, फ़्रेम के किनारों पर 25x15 मिमी लकड़ी की मोल्डिंग उपलब्ध कराना, और फ़्रेम / लकड़ी के सदस्यों के खुले भाग पर अनुमोदित शेड में पॉलिश / एसईपी से पेंटिंग करना भी शामिल होगा। iv) भुगतान के लिए दीवार पर लगाने के बाद लकड़ी के फ़्रेम का केवल फ़िनिश्ड सेक्शन मापा जाएगा।	1.00	वर्ग मी.
16.5	बाहर की ओर एल्युमिनियम ग्रिल, परिधि बॉक्स फ़्रेम और स्लाइडिंग शटर, क्लियर ग्लास / एसएस मच्छर-रोधी जाली पैनल आदि के प्रावधान के साथ, 16 गेज मोटे (लगभग) पाउडर कोटेड एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड	4.00	वर्ग मी.

	ट्यूबलर सेक्शन और लॉकिंग व्यवस्था आदि सहित, पाउडर कोटेड 3-ट्रैक स्लाइडिंग एल्युमिनियम खिड़कियाँ उपलब्ध कराना, बनाना और लगाना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: i) खिड़की प्रणाली की परिधि पर जिंदल या अनुमोदित समकक्ष मेक का, अनुमोदित शेड में पाउडर कोटेड एल्युमिनियम फ्रेम सेक्शन (लगभग 100 x 40 x 2.00 मिमी) उपलब्ध कराना, बनाना और लगाना। ii) जिंदल या अनुमोदित समकक्ष मेक के, अनुमोदित शेड में पाउडर कोटेड एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड विंडो फ्रेम सेक्शन का उपयोग करके 3-ट्रैक विंडो प्रणाली उपलब्ध कराना, बनाना और लगाना, जिसमें 3 स्लाइडिंग शटर हों (2 शटर अनुमोदित मेक (मोदी फ़्लोट/ असाही/ सेंट-गोबेन या अनुमोदित समकक्ष) के 5 मिमी मोटे फ़्रॉस्टेड ग्लास पैनल के साथ और एक शटर एसएस 304 - 1.5 मिमी छेद वाली 24 एसडब्ल्यूजी तार की मच्छर जाली के साथ) iii) खिड़कियों के स्लाइडिंग शटरों के लिए अनुमोदित गुणवत्ता और मेक के कंसील्ड लॉक (दोनों सिरों पर शटरों के लिए) उपलब्ध कराना और लगाना। iv) बारिश का पानी अंदर आने से रोकने के लिए एल्युमिनियम फ्रेमवर्क और मौजूदा ग्रेनाइट/कोटा/प्लास्टर/ लकड़ी की लाइनिंग के जोड़ को प्रेशर गन की मदद से अनुमोदित गुणवत्ता और मेक के सिलिकॉन आधारित सीलेंट से ठीक से सील किया जाएगा। v) 16 गेज मोटा (लगभग) 3-ट्रैक विंडो फ्रेम - निचले सेक्शन 'जिंदल सेक्शन' के समान लगभग 92 x 31.75 मिमी आकार के, ऊपरी और साइड सेक्शन 92 x 31.75 मिमी आकार के। ग्लेज़्ड / एसएस जाली वाले शटरों के लिए स्टाइल और रेल - निचली रेल सेक्शन 52 x 18 आकार, ऊपरी रेल, साइड स्टाइल और इंटरलॉकिंग साइड स्टाइल सेक्शन लगभग 40 x 18 मिमी आकार। vi) एल्युमिनियम ग्रिल - अनुमोदित मेक की, लगभग 45-50 मिमी आकार के डायमंड आकार के छेदों वाली 5 मिमी मोटी ग्रिल, आवश्यक एल्युमिनियम एफ़ क्लिप/ यू क्लिप और आवश्यक एसएस स्क्रू से खिड़की के फ्रेम के बाहरी हिस्से पर फ्रेमवर्क से लगाई जाएगी आदि, पूर्ण। vii) अनुमोदित गुणवत्ता के वूलन पाइल / ईपीडीएम रबर या नियोप्रीन गैस्केट / एल्युमिनियम बीडिंग, स्क्रू, स्लीव आदि, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। नोट: i) माप और भुगतान के लिए फ्रेम सहित खिड़की की एक तरफ़ की खुली और		

	फ़िनिश की हुई सतह मानी जाएगी।		
16.6	बाहर की ओर एल्युमिनियम ग्रिल, परिधि बॉक्स फ़्रेम और क्लियर ग्लास आदि के प्रावधान के साथ, 16 गेज मोटे (लगभग) पाउडर कोटेड एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड ट्यूबलर सेक्शन से पाउडर कोटेड फ़िक्स्ड ग्लास एल्युमिनियम खिड़कियाँ उपलब्ध कराना, बनाना और लगाना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: i) खिड़की प्रणाली की परिधि पर जिंदल या अनुमोदित समकक्ष मेक का, अनुमोदित शेड में पाउडर कोटेड एल्युमिनियम फ़्रेम सेक्शन (लगभग 100 x 40 x 2.00 मिमी) उपलब्ध कराना, बनाना और लगाना। ii) अनुमोदित मेक (मोदी फ़्लोट/ असाही/ सेंट-गोबेन या अनुमोदित समकक्ष) के 5 मिमी मोटे फ़्रॉस्टेड ग्लास पैनल उपलब्ध कराना iii) बारिश का पानी अंदर आने से रोकने के लिए एल्युमिनियम फ़्रेमवर्क और मौजूदा ग्रेनाइट/कोटा/प्लास्टर/लकड़ी के सेक्शन के जोड़ को प्रेशर गन की मदद से अनुमोदित गुणवत्ता और मेक के सिलिकॉन आधारित सीलेंट से ठीक से सील किया जाएगा। iv) एल्युमिनियम ग्रिल - अनुमोदित मेक की, लगभग 45-50 मिमी आकार के डायमंड आकार के छेदों वाली 5 मिमी मोटी ग्रिल, आवश्यक एल्युमिनियम एफ़ क्लिप/ यू क्लिप और आवश्यक एसएस स्क्रू से खिड़की के फ़्रेम के बाहरी हिस्से पर फ़्रेमवर्क से लगाई जाएगी आदि, पूर्ण। v) अनुमोदित गुणवत्ता के वूलन पाइल / ईपीडीएम रबर या नियोप्रीन गैस्केट / एल्युमिनियम बीडिंग, स्क्रू, स्लीव आदि, बैंक के निर्देशानुसार पूर्ण। नोट: i) माप और भुगतान के लिए फ़्रेम सहित खिड़की की एक तरफ़ की खुली और फ़िनिश की हुई सतह मानी जाएगी।	10.00	वर्ग मी.
17	**रिबेट (छूट)**		
17.1	ऊपर बताए गए डिस्मेंटलिंग कार्यों से निकली/ढेर लगाई गई स्क्रैप/साल्वेज सामग्री, जैसे प्लंबिंग और सैनिटरी सामान, बढ़ईगिरी/हार्डवेयर के सामान जैसे दरवाज़े, खिड़कियाँ, कैबिनेट, कपबोर्ड, टाइलें, पत्थर या कोई अन्य स्क्रैप सामान, बिजली की फ़िटिंग्स और खिड़कियों की एमएस ग्रिल को छोड़कर, बैंक के निर्देशानुसार ले	-1.00	जॉब

	जाने के लिए रिबेट।		
	कुल		

नोट:

i. दरों में सभी लागू वैधानिक लेवी / कर, जीएसटी/सीजीएसटी/ एसजीएसटी और बोलीदाता द्वारा सरकारी प्राधिकरणों को देय सभी वैधानिक देय राशियाँ शामिल होनी चाहिए।

ii. भाग- II में कोई शर्त, अलग से सशर्त नोट आदि नहीं जोड़े जाने चाहिए।

iii. कृपया केवल सीपीपीपी https://etenders.gov.in/eprocure/app पर दिए गए प्रारूप का ही उपयोग करें।

iv. ऊपर दी गई कुल बोली राशि के अलावा बैंक द्वारा कोई अन्य प्रभार नहीं दिया जाएगा।

v. दरें दशमलव के दो स्थानों तक दी जानी चाहिए।

vi. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी मूल्य बोली जमा करने से पहले साइट की स्थिति से परिचित होने / कार्य का दायरा समझने के लिए साइट का दौरा करें।

vii. तकनीकी बोली (भाग-I) में बताए गए सभी नियम और शर्तें मूल्य बोली का अभिन्न अंग होंगे। इसलिए बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे उसी के अनुसार अपनी दरें दें।

स्थान: बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख: